खण्ड-191, अंक-4
गुरूवार, 24 माघ, शक संवत् 1879
(13 फरवरी, 1958 ई0)

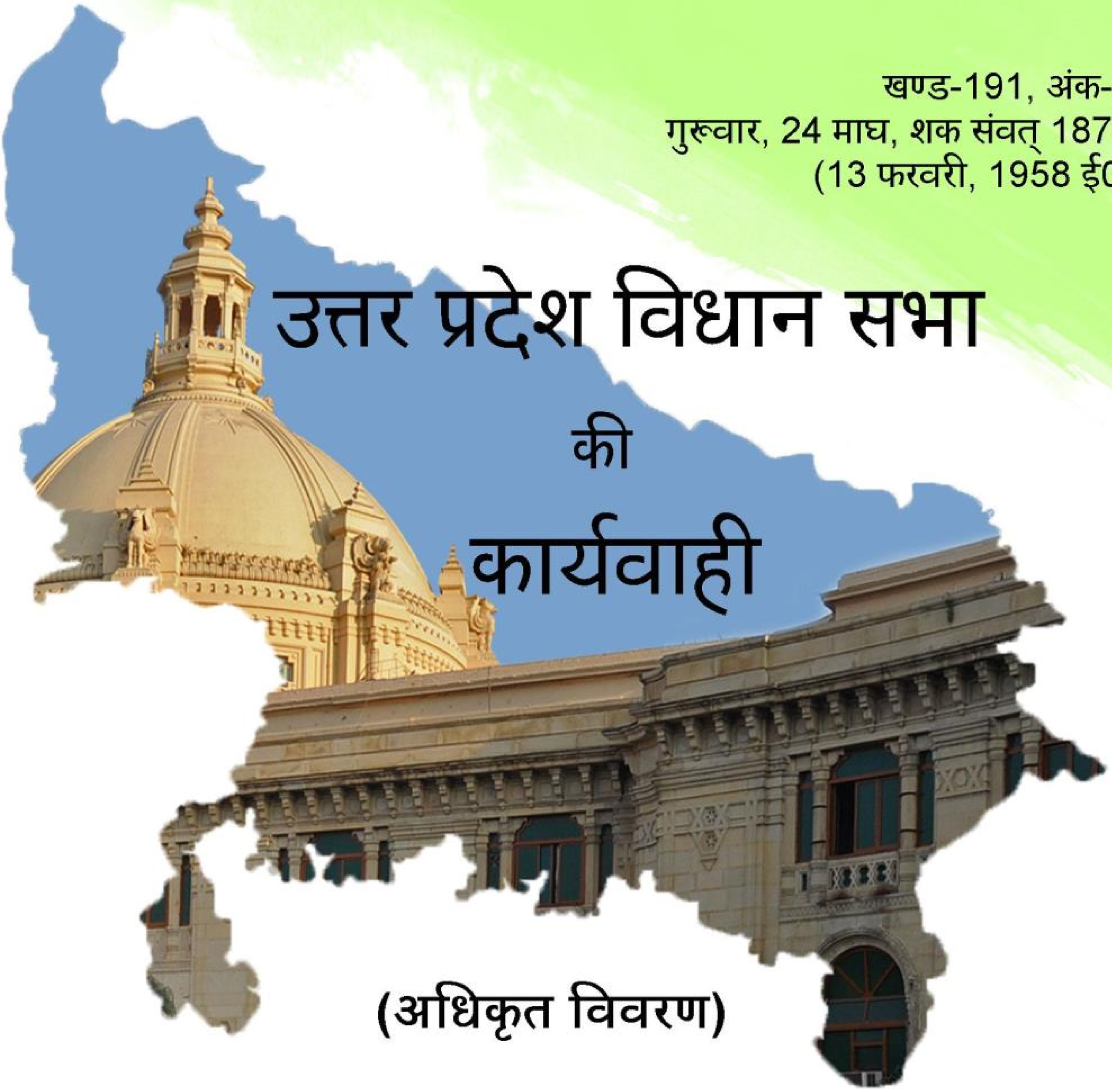

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 191 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १३ फरवरी, १९५८ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य (३५७)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री

गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकरराय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चंद्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेंद्रप्रतापसिंह, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस०जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेंद्रसिंह भंडारी, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नाराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बाबूरामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती

बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बेजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनवी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेंद्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद'हंस', श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेंद्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुबीरराम, श्री
रघुबीरसिंह, श्री (एटा)
रघुबीरसिंह , श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेंद्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
रामदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रकिशोरी, श्रीमती
राजेंद्रदत्त, श्री
राजेंद्रसिंह, श्री
राजेंद्रसिंह यादव, श्री
राम अभिलाष, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलालसहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री

रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लायकसिंह चौधरी श्री,
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रवर्मा, श्री
वीरेंद्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमशुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती

सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

माल उपमंत्री श्री परमात्मानन्द सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १३ फरवरी, १९५८ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उच्चाधिकारियों द्वारा लखनऊ में निर्मित मकानों के सम्बन्ध में जांच

**१—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के कुछ उच्चाधिकारियों के लखनऊ नगर में निर्मित होने वाले मकानों के संबंध में सरकार की ओर से कोई जांच हो रही है?

**२—यदि हां, तो उक्त जांच किस के द्वारा कराई जा रही है और कब तक पूरी होने की संभावना है?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—इस संबंध में जांच पूरी हो चुकी है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच किसके द्वारा करायी गयी थी और उसका क्या परिणाम निकला?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जांच का आश्वासन मैंने दिया था और मैंने की। नतीजा यह निकला कि जो इल्जाम लगाये थे उनमें कोई सिद्ध नहीं हुआ।

श्री चन्द्रजीत यादव—यह जांच किसके द्वारा करायी गयी, किसने की?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जांच मैंने की और जहां तक द्वारा का संबंध है, मैंने १०, १५ आदमियों से, जिनसे आवश्यकता हुई, मदद ली।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मुख्य मंत्री जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की है क्योंकि किसी दूसरे को रिपोर्ट देनी नहीं थी।

बी० टी० सी० तथा एच० टी० सी० अध्यापकों को जे० टी० सी० अध्यापकों का ग्रेड देना

**३—श्री मातप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापन कार्य करने वाले हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण बी०टी०सी० या एच०टी०सी० अध्यापकों को भी जे०टी०सी० अध्यापकों का ग्रेड देने का विचार कर रहे हैं?

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—जी हां।

गोरखपुर जिले में राष्ट्रपति के आगमन पर टेस्ट वर्कस खोलने तथा मालगुजारी वसूली के सम्बन्ध में आश्वासन

**४—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि राष्ट्रपति जी के गोरखपुर बनारस आगमन के अवसर पर रोजी देने तथा मालगुजारी आदि की वसूलियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कुछ आश्वासन दिये गये थे? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हो रही है?

माल उपमंत्री (श्री परमात्मानन्दसिंह)—राष्ट्रपति जी के गोरखपुर आगमन के अवसर पर राज्य सरकार की ओर से केवल दो आश्वासन दिये गये थे——१—स्थगित (postponed) मालगुजारी वसूल की जाय या न की जाय इस पर सरकार विचार करेगी और २—जहां टेस्ट वर्क्स और खोलने की आवश्यकता होगी वहां खोल दिये जायेंगे, विशेषकर गोरखपुर जिले में। पहले आश्वासन के संबंध में सरकार की ओर से आवश्यक आदेश जारी हो चुके हैं, अर्थात् जहां खरीफ १३६५ फसली में आठ आने से अधिक क्षति हुई हो वहां मालगुजारी एक फसल आगे के लिये फिर स्थगित कर दी जाये और जहां ६ व ८ आने के बीच में हुई हो वहां स्थगित (postponed) मालगुजारी का आधा हिस्सा वसूल किया जाये। गोरखपुर में कई नये टेस्ट वर्क्स खोले जा चुके हैं और प्रत्येक जिलाधीश को जहां वह आवश्यक समझें नये टेस्ट वर्क खोलने की अनुमति पहले से ही प्राप्त है।

श्री गेंदासिंह—रेवेन्यू मैनुअल के पैरा १६७ के अनुसार बिलो नार्मल (below normal) फसल होने पर इस तरह का आदेश क्यों दिया गया कि मालगुजारी वसूल की जाय?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—पैराज तो मुझे इस समय याद नहीं हैं। लेकिन आदेश रेवेन्यू मैनुअल के रूल या पैराज से किसी प्रकार कन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं।

श्री गेंदासिंह—रेवेन्यू मैनुअल के पैरा १६७ का (डी) क्लाज मना करता है कि बिलो नार्मल फसल होने पर सस्पेंडेड मालगुजारी वसूल नहीं की जा सकती है। क्या अब मैं आशा करूं कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब की याद्दाश्त काम करेगी?

श्री चरणसिंह—पहले तो ससपेंडेड मालगुजारी और पोस्टपोंड मालगुजारी में मेरे माननीय मित्र कनफ्यूजन कर रहे हैं। जवाब में है कि पोस्टपोंड मालगुजारी, और सस्पेंडेड मालगुजारी के लिये पैरा १६७ वह देखने की कृपा करें। पोस्टपोन्ड मालगुजारी वसूल उसी वक्त होनी चाहिये थी जिस समय वह पोस्टपोन की गई। जो वसूल नहीं होनी चाहिये वह सस्पेंड होती है लेकिन जो वसूल होनी चाहिये और किसी कारण से वसूल न हो तो सरकारी आदेश से पोस्टपोन की जाती है। उसे अगली फसल में वसूल करना ही है। लिहाजा किसी पैरा से कन्फ्लिक्ट नहीं है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या यह बाकी जिलों के लिये भी है या केवल गोरखपुर के लिये ही है?

श्री चरणसिंह—वह केवल टेस्ट वर्क्स गोरखपुर के मुताल्लिक है। पोस्टपोनमेंट आफ एरियर्स सारे सूबे का है। चूंकि गोरखपुर का सवाल उस समय उठाया गया तो मैंने उस समय आर्डर दिया कि और खोल दिये जावें। बाकी, हर एक जिलाधीश को अधिकार है, पुराने आर्डर्स के मातहत, कि वह अपने जिले में खोल सकता है। मालगुजारी में गोरखपुर का जिक्र नहीं है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—क्या माल मंत्री जी ने राष्ट्रपति जी के समक्ष जैतपुर-पिपरौली रोड पर जनता को यह आश्वासन नहीं दिया था कि जो लोग लगान देने के लायक नहीं हैं उनसे लगान नहीं लिया जायगा ?

श्री चरणसिंह—जो देने के लायक नहीं हैं उनसे अभी तक नहीं लिया है। जिनका १२ आने से ज्यादा नुक्सान हुआ है उनका रेमिट हो जायगा, उनका सस्पेंडेड है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस मालगुजारी को पोस्टपोन करने की क्या आवश्यकता हुई ?

श्री चरणसिंह—मैंने यह नहीं कहा कि मालगुजारी पोस्टपोन की गयी थी, सस्पेंड नहीं की गयी थी। सस्पेंड ही ज्यादा रकम की गयी। इसके अलावा जो रियेलाइजेबिल थी उसमें से, अगर किसी-किसी वजह से नहीं वसूल हो सकती है, मान लो समय कम है या बाढ़ आ जाय या राज्य कर्मचारी किसी और जरूरी काम में इलेक्शन वगैरह में लग जावें, इन कारणों से जो कि स्पेसीफाइड नहीं हैं, रेवेन्यू नहीं वसूल हो पाती है तो उसे पोस्टपोन कर दिया है। जो सस्पेंड हो गयी है उसके फाइनल प्रपोजल आने पर रेमिट होती जा रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मालजुगारी रियेलाइजेशन के पोस्टपोनमेंट और सस्पेंशन में क्या फर्क है ?

श्री अध्यक्ष—यह स्पष्ट कर दिया गया है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—मालगुजारी की कुल रकम कितनी है जो सस्पेंड या पोस्टपोन की गयी थी जो अब वसूल करने का आदेश दिया जा चुका है ?

श्री चरणसिंह—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सत्य है कि खरीफ १३६५ की मालगुजारी जो कानून के अनुसार छूट का पर्चा बांट कर वसूल की जानी चाहिये, वह बगैर पर्चा बांटे हुए वसूल की जा रही है ?

श्री चरणसिंह—जो मालगुजारी जिलाधीश सस्पेंड करना मुनासिब समझते हैं, यानी रेमिशन के लिये जिसे समझते हैं, वे बोर्ड आफ रेवेन्यू को सुझाव देते हैं और आप से वे सस्पेंड कर देते हैं। पर्चा तकसीम करने के संबंध में मैनुअल में ऐसा रूल जरूर है कि पहले पर्चा तकसीम किया जाय लेकिन वह फिजिकली असम्भव है। मैं उस बारे में राज्य कर्मचारियों से कई बार जिक्र कर चुका हूं, उस रूल को बदलने की आवश्यकता होगी।

मालगुजारी तथा तकावी की वसूली में ज्यादती की शिकायत

**५—श्री गेंदासिंह—मालगुजारी तथा तकावी वसूली के सिलसिले में जो व्यापक रूप से गैर कानूनी तथा ज्यादती की सूचनायें समाचारपत्रों में अथवा दूसरे जरिये से सरकार को मिल रही हैं उन्हें देखते हुए सरकार कोई जांच इस संबंध में कराने की कृपा करेगी ?

श्री परमात्मानन्दसिंह—मालगुजारी तथा तकावी की वसूली के सिलसिले में किसी गैर कानूनी कार्यवाही तथा ज्यादती की शिकायत सरकार को नहीं प्राप्त हुई है, अतः जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गेंदासिंह---जैसा कि प्रश्न मैंने किया है, क्या सरकार ने समाचारपत्रों में, जैसे 'आज,' 'अमृत पत्रिका', 'नवजीवन' और "स्वतंत्र भारत" हैं, इन पत्रों को देखकर यह उत्तर दिया है ?

श्री अध्यक्ष---प्रश्न में सब कुछ हो, लेकिन किसी खास तौर पर शिकायत उनके पास नहीं पहुंची, यह उत्तर दे चुके हैं। इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री गेंदासिंह---क्या ऐसे समाचारों पर जो भुखमरी आदि के समाचारपत्रों में प्रकाशित होते हैं, सरकार ने उनको देख कर उनकी जांच करवाने की कोई व्यवस्था की है या नहीं ?

श्री परमात्मानन्दसिंह---ऐसा है, अगर कोई ऐसी बात सरकार के सामने आती है तो उसकी जांच की जाती है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---यदि किसी विभाग की शिकायत छपती है तो क्या उसकी कटिंग पर निशान लगा कर सरकार के पास नहीं भेजा जाता है ?

श्री चरणसिंह---अगर किसी समाचारपत्र में किसी स्पेसिफिक शिकायत का जिक्र होता है तो बिना सवाल किये या बिना किसी माननीय सदस्य के गवर्नमेंट के नोटिस में लाये हमेशा कार्यवाही की जाती है, लेकिन आम एलिगेशन होता है तो नहीं की जाती।

श्री गेंदासिंह---अब प्रश्न स्पष्ट हो गया है, तो क्या सरकार इधर जो दो तीन महीने में भुखमरी के समाचार प्रकाशित हुये हैं, उन्हीं को देख कर कोई जांच करवायेगी ?

श्री चरणसिंह---मैं तो जवाब दे चुका हूं कि दो तीन महीने के अन्दर नोटिस में कोई बात नहीं लायी गयी। जब से सदन बना है--२९ जनवरी से भुखमरी वगैरह की खबर निकलने लगी है बाकी डेढ़ महीने की नहीं निकली।

श्री रामायणराय---मेहा ग्राम के किसानों का तार मुख्य मंत्री जी को वसूली की ज्यादती के संबंध में ७ फरवरी की शाम को या ८ फरवरी के प्रातःकाल प्राप्त हुआ है ?

श्री चरणसिंह---मुझे कोई इल्म नहीं है, अगर मुख्य मंत्री जी को तार प्राप्त हुआ होगा तो उन्होंने उसे अवश्य सेक्रेटेरिएट को भेज दिया होगा और उस पर जरूर तहकीकात हुई होगी। जैसा कि माननीय सदस्य ने खुद ही बतलाया, वह तार मुझको ऐड्रेस्ड नहीं था।

श्री रामायणराय---उसकी एक प्रति आपकी सेवा में भी भेज दी गयी है।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने जवाब दे दिया कि भेज दिये होंगे तो इनक्वायरी होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या २५-१-५८ को माननीय माल मंत्री जी के नाम आजमगढ़ के सिसवा ग्राम के किसानों ने शिकायत भेजी थी कि उनको मार-मार कर और चारपाई से बांध-बांध कर मालगुजारी वसूल की जा रही है ?

श्री चरणसिंह---आज मुझे याद नहीं है।

इकानामी कमेटी की रिपोर्ट की मांग

**६---श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश इकानामी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी प्रमुख सिफारिशों को सदन के सामने रखने की कृपा करेगी ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री धर्मसिंह)---उत्तर प्रदेश इकानामी कमेटी ने अभी अपनी पूरी रिपोर्ट सरकार को पेश नहीं की है। इसलिये कमेटी की सिफारिशों को अभी सदन के सामने रखने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रतापसिंह---क्या यह सही है कि इकानामी कमेटी की रिपोर्ट में यह है कि उत्तर प्रदेश के जिलों में जो ऐग्रीकल्चरल आफिसर्स हैं, उनकी पोस्ट्स को समाप्त कर दिया जाय और क्या वह सिफारिश प्रेस में प्रकाशित हो चुकी है।

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इकानामी कमेटी के कौन-कौन सदस्य थे ?

श्री धर्मसिंह---सन् १९५४ में कमेटी बनी थी और उसमें १३, १४ व्यक्ति थे।

श्री मोतीलाल अवस्थी---उनके नाम बतला दिये जायं।

श्री अध्यक्ष---उनको याद होता तो वे बतला देते, इसीलिये उन्होंने कहा कि नोटिस की जरूरत पड़ेगी।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कब तक इकानामी कमेटी की पूरी रिपोर्ट सदन के सामने आ जायगी ?

श्री धर्मसिंह---इकानामी कमेटी की रिपोर्ट को सदन के सामने रखने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इकानामी कमेटी की रिपोर्ट कब पूरी होगी और प्रेस को कब दी जायगी ?

श्री धर्मसिंह---जैसा कि अभी बतलाया गया कि अभी रिपोर्ट पूरी नहीं हुई है, अभी विचाराधीन है और जितनी भी हो गयी है थोड़ी बहुत, वह प्रेस को जानेवाली है।

शाहजहांपुर में कलेक्शन अमीन के पास से सरकारी रुपया लुट जाना

**७---श्री अशफाक अली खां (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार मेहरबानी कर के बतायेगी कि १८-१-५८ को जो सरकारी रुपया शाहजहांपुर मे कलेक्शन अमीन पर डाका डालकर लूटा गया और जिसकी रिपोर्ट थाना सदर बाजार, शाहजहांपुर में लिखी है उसमें अब तक पुलिस ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। पुलिस कप्तान भी मौके पर गये थे और उन्होंने भी स्वयं कुछ तफतीश की। जांच जारी है।

एम० एस० बी० हायर सेकेन्डरी स्कूल, कालपी, जिला जालौन के अध्यापकों की शिकायतें

**८---श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उसके पास एम० एस० बी० हायर सेकेन्डरी स्कूल, कालपी, जिला जालौन के अध्यापकों की ओर से कोई शिकायत दो समानान्तर स्कूल प्रबन्धक समितियों के बनने व लगभग चार महीने से तनख्वाह न दिये जाने तथा उचित वेतन वृद्धि न दिये जाने के संबंध में आई थीं ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां, विद्यालय में दो प्रबन्धक समितियां हैं तथा उनका मामला न्यायालय में चल रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक, जालौन को अनुदान निकालकर अध्यापकों का वेतन देने के लिये आदेश दिये गये हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वेतन वृद्धि के संबंध में जो शिकायतें आयी हैं उस संबंध में कोई आदेश दिया गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश---वेतन संबंधी तो यह शिकायत थी कि वेतन नहीं मिल रहा है, उसके लिये आदेश दे दिया गया है कि जो ग्रान्ट-इन-एड दी जाती है उसमें से इन्सपेक्टर्स आफ स्कूल्स जाकर वेतन बांटें ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस तरह से इंस्पेक्टर द्वारा अनुदान से वेतन बांटने का सवाल ४ मास पहले भी एक बार उठ चुका है और तभी सरकारी अनुदान बांटा गया था ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां, यह बात सही है कि कुछ मास पहले भी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स गये थे और उन्होंने उस क्वार्टर का अनुदान बांट दिया था लेकिन उसमें शिक्षकों का पूरा वेतन नहीं दिया जा सका था । अब जो अगल क्वार्टर का अनुदान मिलेगा उसमें से अब वह फिर बांटेंगे ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लगातार इस प्रकार के कुप्रबन्ध के बावजूद और वेतन न मिलने की शिकायतों के बावजद भी क्या सरकार ने कोई खास प्रबन्ध करने का बिचार इस स्कूल के संबंध में किया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मुकदमा चल रहा है, मामला अभी न्यायालय में है और वह एक प्राइवेट संस्था है । सरकार के हाथ में सिवा इसके और कुछ नहीं है कि ग्रान्ट का देना बन्द कर दे और वेतन की जो शिकायत है, वह तो सरकार इन्सपेक्टर के द्वारा बटवा कर ठीक कर ही रही है ।

देवरिया जिले के तरया सुजान ग्राम में श्रीमती धौरा तथा श्रीमती फुलकलिया की भुखमरी से मृत्यु की शिकायत

**९---श्री गेंदासिंह---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि देवरिया जिले में तरया सुजान ग्राम में दो महिलाओं की मृत्यु गत जनवरी महीने में हुई है जिसके लिये यह कहा जाता है कि उनकी मृत्यु भूख से हुई ?

श्री परमात्मानन्दसिंह---देवरिया जिले के तरया सुजान ग्राम में कथित दो महिलाओं की मृत्यु तो हुई पर वह भूख से नहीं बल्कि लम्बे अरसे की बीमारी के कारण हुई ।

**१०---श्री गेंदासिंह---पिछले तीन महीनों में सरकार को कितनी भूख से मृत्यु की सूचनायें मिलीं और उनकी जांच कराई गई या नहीं ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---जनवरी के अन्तिम सप्ताह तथा फरवरी के आरम्भ में भुखमरी की प्राप्त सूचनाओं पर की गई कार्यवाही की एक सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है । इससे पहले इन तीन महीने के अन्दर अभाव विभाग में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३५६-३५७ पर)

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि तरया सुजान में श्रीमती धौरी की मृत्यु हुई उसका कारण यह था कि उसके पास कोई जीवन का सहारा नहीं था और उसको राशन कार्ड मिला लेकिन उस पर कोई राशन नहीं मिला, इसलिये उसकी मृत्यु हुई ?

श्री चरणसिंह---वह दमे के आरजे से बहुत दिनों से बीमार थी और यह तो माननीय सदस्य ने तसलीम ही कर लिया कि उसके पास राशन कार्ड था, अब यह तहकीकात बाकी है कि बावजूद राशन कार्ड के उसको गल्ला नहीं मिला लेकिन माननीय सदस्य को शायद मालूम हुआ होगा कि राशन कार्ड था और उस पर भी उसकी मौत हो गई ।

श्री गेंदासिंह—क्या मंत्री जी को मालूम है कि उसके पास राशन कार्ड मौजूद था लेकिन एक मास से ज्यादा से उसको गल्ला नहीं दिया गया था ?

श्री चरणसिंह—मैं इसकी तहकीकात करा लूंगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो तरया सुजान में दो महिलाओं की मृत्यु हुई , वह किस बीमारी से हुई ?

श्री चरणसिंह—एक दमे से और दूसरी पेट की बीमारियों से बहुत दिनों से बीमार थी, उसका हसबैंड जिन्दा है । लक्ष्मी उसके पति का नाम है और सुनार कौम है, उसके पास राशन कार्ड भी मौजूद है ।

श्री रामायणराय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि भूख से मरे लोगों के घरों की जांच के समय उनके घर में कितना अन्न मिला, उनके मरने के बाद जो जांच हुई तब कितना अन्न मिला ?

श्री अध्यक्ष—कौन से प्रश्न से संबंधित है ।

श्री रामायणराय—प्रश्न संख्या ९ से संबंधित है ।

श्री अध्यक्ष—वह भूख से तो मृत्यु मानते ही नहीं ।

श्री रामायणराय—श्रीमन्, जांच करायी गयी उसकी चर्चा है .....

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, जांच का फल उन्होंने बता दिया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मंत्री जी उस पेट की बीमारी का नाम बतलायेंगे क्योंकि उनके पास मेडिकल रिपोर्ट आयी होगी ?

श्री चरणसिंह—जी, जिस वक्त यह कहा जाता है कि भूख के कारण मरी थी और हफ्तों में मरी, तो उस वक्त तो गवर्नमेंट को इतला नहीं मिली । अगरचे माननीय गेंदासिंह जी का इलाका वही है तब भी जब वह मर चुकी तब इत्तला आयी । लिहाजा मेडिकल रिपोर्ट का सवाल ही नहीं उठता ।

श्री झारखंडेराय—जो लिस्ट मेज पर रखी गई है उसमें सरकार के पास मौत की कितनी रिपोर्टें हैं ?

श्री चरणसिंह—मैं अगर सवाल ठीक समझा हूं तो यह मौत की खबरें अखबारों में छपीं । उनकी तहकीकात करायी है और सारी खबरें २९ जनवरी के बाद की हैं । अब हर एक के बारे में नहीं बतला सकता कि किस-किस तारीख को कौन मरा.....

श्री अध्यक्ष—वह यह पूछना चाहते हैं कि कितनी संख्या है मरने वालों की ।

श्री चरणसिंह—पायनियर ३१ जनवरी, जिनकी बाबत आज जवाब है । दैनिक भारत, वाराणसी, १ फरवरी.....

श्री अध्यक्ष—वह टोटल पूछना चाहते हैं ।

श्री चरणसिंह—टोटल नहीं लिखा है । किसी में १, किसी में २, किसी में ७.....

श्री अध्यक्ष—यानी २०, २५ के करीब होंगी ।

श्री चरणसिंह—इतनी ही हैं ।

श्री झारखंडेराय—अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि कुल जो सरकार के पास समाचार पत्रों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है उनमें कुल मरने वालों की संख्या कितनी है ?

श्री अध्यक्ष---बता तो दिया कि २०, २५ के करीब होगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी जिलाधीश की रिपोर्ट के उस अंश को पढ़ देने की कृपा करेंगे जिसमें कि तरया सुजान की दूसरी महिला, जो पेट की बीमारी से मरी, उसकी मृत्यु के संबंध में रिपोर्ट दी है ?

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से अंग्रेजी में पढ़ना होगा :

"DEAR SRI AGARWAL,

Kindly refer to your D. O. no. 667/IS, dated February 1, 1958, to Sri Mathur, forwarding the copy of a news item published in the daily *Pioneer*, dated January 31, 1958, regarding starvation deaths in village Tarya Sujan of this district. Enquiries had already been started in this matter as a result of which the following facts have been gathered....."

३१ तारीख की जो पायनियर की कटिंग आपने भेजी है पहली फरवरी को उसकी तहकीकात हमने की, बल्कि इन्क्वायरी आप का खत आने से पहले शुरू हो चुकी थी ।

"Shrimati Ghaura (reported in the *Pioneer* as Shrimati Dhawri)".

धौरी नाम पायनियर में लिखा है । लेकिन असली नाम धौरा है ।

"was a chronic patient of Asthma. She was in possession of a ration card issued to indigent persons for supply of free rations. Her brother Diha is an agricultural labourer who, it is gathered, performed the funeral rites of Shrimati Ghaura and will feed the Brahmins in that connection."

यह लिखा है कि श्रीमती धौरा अस्थमा की बीमार थी । उसके पास राशन कार्ड था जो कि गरीब आदमियों को दिये गये थे फ्री राशन के लिये । उसका भाई खेतिहर मजदूर है । दीहा नाम है । उसकी बाबत मालूम हुआ कि उसने उसका क्रिया-कर्म किया और तेरही भी करेगा ।

"The other lady, Smt. Phulkalia was the wife of Laxmi, goldsmith by caste. She had been a patient of stomach troubles for the last six months. Laxmi is alive and is in possession of a ration card for the indigent persons."

उसके पास भी कार्ड मौजूद है और बावजूद राशन कार्ड के मरने जा रहा है । न गेंदा सिंह जी के पास गया न तहसीलदार के पास ।

"He has also been advanced Rs. 10 as gratuitous relief. He has performed the funeral rites of his wife."

दूसरी महिला श्रीमती फुलकलिया जो लक्ष्मी की स्त्री थी, सोनार कौम से थी । वह छः महीने से पेट की बीमारी से बीमार थी । लक्ष्मी जिन्दा है और उसके पास राशन कार्ड मौजूद है और इसको दस रुपये गैटुटस रिलीफ के मिले थे । उसने अपनी स्त्री का क्रिया कर्म किया है ।

श्री अध्यक्ष---आप संक्षेप में पढ़ कर खत्म कर दें ।

श्री चरणसिंह---इसके बाद पायनियर में गेंदासिंह जी के बयान में जो यह आरोप था कि टेस्ट वर्क्स खत्म किये जा रहे हैं, कलेक्टर ने उसका भी खंडन किया है । लेकिन चूंकि उसका इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है इसलिये मैं नहीं पढ़ रहा हूं ।

न्याय विभाग को शासन विभाग से पृथक करने की मांग

**११---श्री गणेश चन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार सारे प्रदेश में न्याय (Judiciary) व इन्तजाम (Executive) विभागों को शीघ्र अलहदा अलहदा करने पर विचार कर रही है ?

**१२---यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सरकार का इरादा इस योजना को सारे प्रदेश में लागू करने का जरूर है परन्तु आर्थिक कठिनाइयों के कारण अभी ऐसा करना संभव नहीं हो सका है। इस समय यह योजना १८ जिलों में लागू है और उसे कुछ अन्य जिलों में लागू करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि १८ जिलों के अलावा अन्य जिले कौन से हैं जिनमें सरकार न्याय और इन्तजाम विभाग को अलग करने जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जिलों का नाम तय नहीं किया। जैसा कि बजट पेश करने का हमारा इरादा है अगर वह स्वीकार हो गया तो सम्भव है कि दो जिलों में उसको जारी कर सकें। उस वक्त तय करेंगे कि वह कौन से जिले होंगे।

श्री राजनारायण---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिन १८ जिलों में सरकार का यह कहना है कि जुडीशियरी और एग्जिक्यूटिव अलहदा-अलहदा कर दी गयी है वहां के जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स और उनकी सर्विस की तरक्की आदि के बारे में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को रेफर करना पड़ता है और किसी प्रकार वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के मातहत काम करते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---माननीय सदस्य उन नियमों को देख लें जो उस वक्त प्रकाशित हुए थे जब कि जुडीशल मैजिस्ट्रेट की सर्विस कायम हुई थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार ने कोई ऐसा एस्टीमेट बनाया है कि प्रदेश भर में एग्जिक्यूटिव और जुडीशियरी को अलग करने में कितना व्यय पड़ेगा ? यदि हां, तो क्या एस्टीमेट है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ठीक याद नहीं है। लेकिन एक जिले में १८-१९ हजार रुपया पड़ता है। मैं निश्चित रुप से नहीं कह सकता।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार न्याय और कार्यपालिका विभागों को पूर्णतया पृथक करने के लिये कोई पंच वर्षीय योजना बनायेगी क्योंकि इससे, एक-एक जिले से तो अभी कई शताब्दियां लगेंगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---नहीं, बहुत दिन तो नहीं लगेंगे। आखिर, प्रदेश की हालत तो सुधरेगी ही। लेकिन अभी हमने पंचवर्षीय योजना कोई बनायी नहीं, यह बात सही है।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार बम्बई और मदरास के माडल पर इस सूबे में भी समूचे प्रदेश में कुछ ही दिनों के भीतर जुडीशियरी और एग्जिक्यूटिव को अलग करने की मेहरबानी करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस दृष्टि से तो हमने गौर नहीं किया लेकिन मैं सुझाव को देखूंगा।

श्री हरदयाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि न्याय विभाग और शासन विभाग के पृथक्करण में पैसे के अतिरिक्त और भी कोई कठिनाइयां हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं, पैसे की ही कठिनाई है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जुडीशियरी और एग्जीक्यूटिव को अलग करने का प्रश्न इकानामी कमेटी के सामने भी उपस्थित था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं कह नहीं सकता लेकिन इकोनामी कमेटी तो खर्च कम करने वाली कमेटी है और खर्च बढ़ाने वाला सवाल तो शायद उसके सामने न गया हो।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह १८ जिले कौन से हैं जहां न्याय और इन्तजाम विभाग अलहदा-अलहदा कर दिए गए हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---बुलन्दशहर, मथुरा, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, झांसी, उन्नाव बहराइच, सीतापुर, मुजफ्फरनगर, मैनपुरी, बरेली, बिजनौर, बदायूं, मुरादाबाद, फतेहपुर, लखनऊ, रायबरेली और गोंडा ।

गांव समाज के मुकदमों को दीवानी भेजने के लिए आर्थिक सहायता की प्रार्थना

**१३---श्री टीकाराम (जिला बदायूं)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गांव समाज के उन मुकद्दमात को जिनमें परगनाधीशों ने दीवानी का आर्डर दिया है और प्रधान धन अभाव से दायर नहीं कर रहे हैं वह कोई आर्थिक सहायता देने पर विचार कर रही है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---गांव समाज के मुकद्दमात के लिये वकील तथा मुख्तार नियुक्त कर दिये गये हैं और उनकी फीस अभी तक सरकार दे रही है। वकीलों की फीस के अलावा अन्य खर्चे के लिये आर्थिक सहायता देने पर सरकार विचार कर रही है ।

श्री टीकाराम---यह विचार कब तक हो लेगा ?

श्री चरणसिंह---मियाद कायम नहीं की जा सकती ।

श्री टीकाराम---क्या सरकार बतलायेगी कि इसके दौरान में जिन मुकदमों की मियाद निकल जायेगी, उनका क्या होगा ?

श्री चरणसिंह---उनका कोई इलाज नहीं है ।

फसल प्रतियोगिता में पुरस्कार

**१४---श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश की फसल प्रतियोगिता में पुरस्कार पाने की दृष्टि से कौन-कौन से जिले प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी में रहे ?

कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)---इस वर्ष अभी तक केवल खरीफ की फसल प्रतियोगितायें हुई हैं जिसका फल एकत्रित किया जा रहा है । रबी की फसल प्रतियोगतायें अभी होने को हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---श्रीमन्, मैंने जो प्रश्न किया था वह पिछले वर्ष की प्रतियोगिता के आधार पर इस वर्ष जो पुरस्कार दिये गये उनके बारे में पूछा था और माननीय मंत्री जी ने यह जवाब दिया कि इस साल कोई , फसल प्रतियोगिता अभी हुई नहीं तो क्या वह यह बताने की कृपा करेंगे कि इस साल जो पुरस्कार दिये गये विगत वर्ष की प्रतियोगिता के फलस्वरूप, उनमें विभिन्न जिलों का क्या नम्बर है ?

श्री अध्यक्ष---अब प्रश्न का जब उन्होंने अर्थ ही दूसरा समझा तो जिस अर्थ में प्रश्न अब आप पूछ रहे हैं उसका वे जवाब कैसे देंगे ? माननीय मंत्री के पास अगर इन्फार्मेशन हो तो जवाब दे दें ।

कृषिमंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---इस वर्ष से तो मैं करेंट ईयर समझा ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---श्रीमन्, इस साल तो अभी फसल समाप्त ही नहीं हुई तो यह अर्थ उसका कैसे हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष---ठीक है, आपने एक दृष्टिकोण से पूछा । उन्होंने दूसरा समझा ।

सहकारी सुपरवाइजरों की जगहों के लिये अप्लीकेशन फार्म की कीमत का विरोध

**१५--श्री राम सिंह चौहान वैद्य (जिला आगरा)---क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी सुपरवाइजरों की कितनी जगहों के लिये सरकार ने इस समय विज्ञापन दे रखा है ? क्या इस सम्बन्ध के प्रार्थना-पत्र छपे हुये फार्मों पर मांगे गये हैं और उसकी कीमत दो रुपया प्रति फार्म है ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन ने सहकारी सुपरवाइजरों की ४०० जगहों के लिये विज्ञापन दे रक्खा है। इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र छपे हुए फार्मों पर मांगे गये हैं जिनका मूल्य प्रति फार्म दो रुपया है।

**१६--श्री रामसिंह चौहान वैद्य---अब तक प्रार्थना-पत्रों के कितने ऐसे फार्म आ चुके हैं।

श्री मोहनलाल गौतम---११ फरवरी, १९५८ तक लगभग ३,४०० फार्मों पर आवेदन पत्र यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन के कार्यालय में आ चुके हैं।

श्री राम सिंह चौहान वैद्य---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसके पूर्व भी कभी फार्मों की कीमत रखी गयी थी और रखी गयी थी तो कितनी ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसके लिये नोटिस की जरूरत है। यह नान-आफिशल एजेंसी है जिसने यह किया है। उससे खबर मंगानी पड़ेगी।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार प्रान्त में गरीबी और बेकारी को देखते हुए इस दो रुपये की फीस को हटाने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह जो एप्लीकेशंस आती हैं और इम्तहान होते हैं उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन में भी फार्मों का रुपया लिया जाता है, इम्तहान का भी लिया जाता है और इंटरव्यू का भी लिया जाता है और कोशिश यह की जाती है कि जितना खर्चा इम्तहान पर हो वह टैक्सपेयर पर न पड़े, इम्तहान देने वालों पर ही पड़े।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन ४०० जगहों के चुनाव को करने के लिये कौन सी कमेटी बैठी है और उसमें कौन-कौन सदस्य हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह प्राविंशियल कोआपरेटिव यूनियन का काम है, वही बतायेंगे, मुझे मालूम नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह, जहां-जहां फार्मों की कीमत रखी जाती है, उनमें कीमत क्या है ?

श्री मोहनलाल गौतम---सबका तो मालूम नहीं, लेकिन मैंने अभी जानने की कोशिश की तो पी० सी० एस० के फार्म की कीमत २ रुपया, एप्लीकेशन फी ५ रुपया, एग्जामिनेशन फी ५० रुपया एक सर्विस की, दो सर्विस की ६५ रुपया और ३ सर्विसेज की ७५ रुपया। सेक्रेटरियट के अपर डिवीजन की फार्म की कीमत २ रुपया, एप्लीकेशन फी ५ रुपया और एग्जामिनेशन फी २५ रुपया है। नायब तहसीलदार की पोस्ट के फार्म की कास्ट २ रुपया, एप्लीकेशन फी ५ रुपया और एग्जामिनेशन फी २५ रुपया है, शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिये १५ रुपया है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि फार्म आये तो ३,४०० हैं, लेकिन बिके कितने हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसका अन्दाज तो नहीं हो सकता है। १५ फरवरी आखिरी तारीख है, उसके बाद कोई अन्दाज किया जाय तो हो सकता है। कुछ जिलों में फार्म रखे हुए हैं, हर मिनट का हिसाब मेरे पास नहीं है और यह सरकार का काम भी नहीं है, एक नान-आफिशियल एजेंसी उसको कर रही है।

अभावग्रस्त जिलों में जनता की सुविधा के लिये जिलाधीशों को आदेश

**१७--श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)--क्या माल मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के अभावग्रस्त जिलों की जनता को राहत पहुंचाने के सम्बन्ध में इस समय जिलाधीशों को कुछ नये आदेश जारी किये गये हैं ?

श्री परमात्मानन्दसिंह--जी हां, दो आदेश अभी हाल में जारी किये हैं।

**१८--श्री विश्रामराय--यदि हां, तो क्या सरकार कृपया उपर्युक्त आदेश का विवरण सदन के सम्मुख उपस्थित करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री परमात्मानन्दसिंह--आदेशों की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३५८-३६० पर)

श्री विश्रामराय--क्या मालमंत्री कृपया बतायेंगे कि फसली १३६५ खरीफ में मालगुजारी में क्या सुविधाएं दी गयी हैं ?

श्री चरणसिंह--मालगुजारी के सिलसिले में तो नियमों के अनुसार छूट दी गयी होगी और सस्पेंशन हुआ होगा--और तो कोई सुविधा शायद नहीं दी गयी होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि मालगुजारी जो स्थगित थी वह ८६ लाख के करीब थी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने नेता विरोधी दल को यह आश्वासन दिया था कि यह माफ कर दी जायगी ?

श्री चरणसिंह--जहां तक मुझको याद है ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था कि जो सस्पेंड कर दी गयी है, या जो पोस्टपोन कर दी गयी है, या जो अब तक वसूल नहीं हुई है वह सारी माफ कर दी जायगी। वह यहां स्वयं मौजूद हैं, वह बता सकते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने कोई ऐसा आश्वासन दिया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं गलत आश्वासन नहीं दिया करता और जो मेरे सही आश्वासन होंगे उनका पालन निश्चय ही माल मंत्री कर रहे होंगे।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने इस प्रकार की कोई बात कही थी कि ८६ लाख रुपये की सस्पेंडेड मालगुजारी पर जो कमेटी उन्होंने बनायी थी, वह उसको माफ करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री चरणसिंह--मुझे याद नहीं पड़ता, लेकिन जो कुछ मैंने कहा होगा वह कमेटी के टर्म्स आफ रेफ़रेंस में बात आयी होगी।

श्री गेंदासिंह--क्या ८६ लाख की माफी या सस्पेंशन के सिलसिले में आल पार्टीज़ कमेटी में कोई रेफ़रेंस हुआ या कोई फैसला हुआ था ?

श्री चरणसिंह--जी, विचार हुआ था और फैसला यह हुआ कि जितनी सस्पेंड कर चुकी है गवर्नमेंट वह नियमों के अनुसार बिलकुल सही है और आगे और रेमिशन करने की जरूरत नहीं है।

श्री त्रिलोकीसिंह—क्या माननीय माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरी यह याद सही है या गलत कि उन्होंने उस कमटी में कहा था कि सस्पेंडेड मालगुजारी पर विचार करने का इस कमटी को कोई अधिकार नहीं है ?

श्री चरणसिंह—सस्पेंड जो हो चुकी थी वह तो ईश्यू था ही नहीं। सारा ईश्यू यह था कि जो वसूल की जा रही है वह वसूल न की जाय। सस्पेंशन के मुताल्लिक रूल १६७ के मातहत आगे को वसूल की जाय या न की जाय, उसका सवाल था। जितने प्रोपोजल्स रेमिशन के आते हैं उनमें से ९५ प्रतिशत तो उसी फसल में रेमिट हो जाती है, ५–१० परसेंट अगली फसल में रेमिट होती है। उसके बाद कलेक्टर लिखता है कि वह रेमिट न हो।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय राजस्व मंत्री अपनी याददाश्त पर जोर डालेंगे कि जो पहले उन्होंने कहा था कि इस पर आल पार्टीज़ कमेटी में विचार हुआ और उसने वसूल करने के लिये फैसला किया, वह गलत है ?

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदासिंह जी की डिमांड यह थी कि आगे को वसूल न किया जाय, जो वसूल किया जा रहा है और जो वसूल हो चुका है वह वापस कर दिया जाय। जो स्थगित किया गया है वह तो ९५ परसेंट रेमिट हो जाता है।

श्री झारखंडेराय—जिलाधीशों को जो नये आदेश दिये गये हैं उनकी मुख्य बातें माननीय मंत्री कृपा कर बतलायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—बहुत बड़े लेटर्स होंगे। माननीय विश्रामराय जी को वे दे दिये गये हैं, आप कृपाकर उनसे ले कर देख लें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय माल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि हुक्म में जो यह कहा गया है कि खरीफ की फसल में ८ आने से ज्यादा जहां फसल को नुकसान हुआ हो वहां पर मालगुजारी स्थगित कर दी गई है तो वह मालगुजारी कितनी है जिसकी वसूली स्थगित कर दी गई है ?

श्री चरणसिंह—खरीफ १३६५ फसली में जहां ८ आने से ज्यादा नुकसान हुआ है वहां तो रूल्स के मुताबिक वैसे ही मालगुजारी वसूल नहीं होगी। उसमें किसी आदेश के जाने की जरूरत है ही नहीं। अब तक ४१ जिलों से १ करोड़ ६५ लाख रुपये की मालगुजारी के सस्पेंशन व रेमिशन के प्रपोजल्स गवर्नमेंट के पास कलेक्टरों के द्वारा आ चुके हैं। एक हफ्ता पहले के ये प्रपोजल्स हैं और उस सम्बन्ध में आदेश की कोई जरूरत नहीं है। जो आदेश गये हैं वे तो पोस्टपोन्ड एरियर्स के बारे में हैं जो रियलाइज हो जाने चाहिये थे लेकिन किसी वजह से पोस्टपोन हुए। पोस्टपोंड एरियर्स में अगर ८ आने से ज्यादा नुकसान हुआ है १३६५ फसली में तो बिल्कुल वसूल नहीं होंगे, कैरीड फार्वर्ड होंगे। अगर नुकसान ८ आने और ६ आने के बीच है तो आधे वसूल होंगे और नुकसान अगर ६ आने से कम है तो पोस्टपोंड एरियर्स पूरे वसूल होंगे।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में मालगुजारी वसूल करने के लिये अमीनों की जमाबन्दी

**१९—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में इस साल का लगान (Land Revenue) वसूल करने के लिये अमीन तैनात किये गये हैं ? यदि हां, तो उन्हें किस हिसाब से लगान वसूली की जमा बन्दी दी गई है ?

श्री परमात्मानन्दसिंह—जी हां। अमीनों द्वारा वसूलयाबी का माहवारी कोटा जो हर जिले का अलग-अलग निश्चित है ४००० रु० से ७,००० रु० तक है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सरकार द्वारा कोई अन्य आदेश नहीं दिये गये हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जो सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में अमीनों से वसूली कराई जा रही है वह किस जमाबन्दी से वसूली हो रही है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, पूरी नहीं हो रही है । जो सस्पेंडेड एमाउंट है उसको मिन्हा करके वसूल किया जा रहा है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या अमीनों को इस बात की हिदायत है कि जो मालगुजारी सस्पेंड हो गई है उसको छोड़ कर वसूल करें ?

श्री चरणसिंह—सस्पेंशन के मानी ही यह हैं कि वह वसूल नहीं की जायगी और गलती से कोई करता है तो उसको नोटिस जायगी ।

तारांकित प्रश्न

*१-२—श्री नारायणदत्त तिवारी—[२७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३-४—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—[२७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

आजमगढ़ जिले की सदर तहसील में चकबन्दी का कार्य समाप्त होने की अनुमानित अवधि

*५—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की सदर तहसील में जो चकबन्दी का कार्य हो रहा है वह पूरी तहसील में कब तक पूर्ण रूप से समाप्त हो जायगा ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—सम्भवतः मार्च, १९५९ तक ।

*६—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि सदर तहसील में चकबन्दी समाप्त हो जाने पर जिले की किस तहसील में चकबन्दी का कार्य आरम्भ किया जायगा ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—इसका अभी निर्णय नहीं किया गया है ।

*७—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस तरीके से इस समय चकबन्दी का कार्य हो रहा है उस प्रकार से पूरे प्रदेश में कितने वर्षों में चकबन्दी का कार्य सम्पन्न हो जायगा ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—अभी यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि पूरे प्रदेश में चकबन्दी का कार्य कब तक समाप्त हो जायेगा ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बतलायेगी कि किस दूसरी तहसील में चकबन्दी की जायगी, उसके लिये आदेश प्रदेशीय सरकार स्वयं देती है या जिले के अधिकारी स्थान को चुन कर प्रदेशीय सरकार से स्वीकृति मांग लेते हैं ?

श्री चरणसिंह—जिलाधीश से मश्विरा करके डायरेक्टर, कंसालिडेशन को लिख देते हैं । आदेश यहां से जाते हैं, लेकिन जिलाधीश के मश्विरे के बाद ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ के सेटिलमेंट आफिसर ने सरकार को यह लिखा है कि सी० ओ० और ए० सी० ओ० की कमी के कारण विलम्ब हो रहा है, अतः इनकी तादाद बढ़ा दी जाय ?

श्री चरणसिंह—यह बात ठीक है और हम बावजूद अपनी कोशिशों के स्टाफ को नहीं बढ़ा सके । अब पांच सी० ओ० वहां दे दिये गये हैं ।

*८-९—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—[आठवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ६५-६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

खीरी जिले की निघासन तहसील में अग्निपीड़ितों को सहायता

*१०—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील निघासन, जिला खीरी के किन-किन गांवों में मई तथा जून, सन् १९५७ में आग लगने की दुर्घटनायें हुई ।

श्री परमात्मानन्दसिंह—तहसील निघासन, जिला खीरी के कुल ४३ गांवों में मई तथा जून, सन् १९५७ में आग लगने की दुर्घटनायें हुईं । ग्रामों के नाम संलग्न सूची में दिखा दिये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३६१ पर)

*११—श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार बतायेगी कि इन गांवों के किसानों को क्या-क्या सहायता सरकार की ओर से दी गई ?

श्री परमात्मानन्दसिंह—पीड़ित व्यक्तियों को मकान बनाने का सामान कन्सेशन रेट से जंगल से दिया गया, ६० रुपये की अहेतुक सहायता और ३,४९० रुपये तकावी के रूप में बांटे गये तथा २०० बोरे सीमेंट के परमिट दिये गये ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन ४३ गांवों में आग लगने से अनुमानतः कितने रुपये की हानि हुई ?

श्री परमात्मानन्दसिंह—आग लगने से अनुमानतः ३,७७,५२२ रुपये की हानि हुई ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार के पास जिला से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव मिला है कि इन ४३ गांवों के लिये टीन और सीमेंट का विशेष कोटा मुकर्रर किया जाय ?

श्री परमात्मानन्दसिंह—ऐसी कोई सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है ।

बस्ती जिले में राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, हैसर बाजार के अन्तर्गत कार्य

*१२—श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में N. E. S. Block, हैसर बाजार में अब तक कौन-कौन से विकास कार्य हो चुके हैं ?

नियोजन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—इस ब्लाक में दिसम्बर, १९५७ तक जो-जो विकास कार्य हुये हैं उनकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है ?

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३६२ पर)

आजमगढ़ जिले में सड़कों के निर्माण पर व्यय के सम्बन्ध में जानकारी

*१३—श्री रामकुमार पांडेय—क्या नियोजन मंत्री नियोजन कमेटी, आजमगढ़ द्वारा सड़कों के निर्माण हेतु दिये गये धन को खर्च न करने के सम्बन्ध में २५ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४ एवं ४५ के उत्तरों के क्रम में यह बतायेंगे कि सन् १९५६ में फूलपुर-दर्वासा रोड, सरसेना-काझा रोड, तरला-कम्हरिया रोड तथा जीयनपुर-बिलरिया रोड के लिये पूरा धन खर्च नहीं करने का कारण क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इन सड़कों पर पूरे स्वीकृति धन के खर्च न होने का कारण यह है कि जिला बोर्ड से जिसके माध्यम से उक्त सड़कें बन रही हैं कार्य की पूर्ति की रिपोर्ट आई है पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता का Completion Certificate अभी प्राप्त नहीं हुआ है । जैसे ही यह Certificate प्राप्त होगा धन वितरित कर दिया जायगा ।

*१४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अम्बरी-दिदारगंज रोड, खुरहर-रानीपुर रोड, कम्हरिया-चण्डेसर रोड, मधुवन-दुबारी रोड, अजमतगढ़-अमिला रोड तथा लालगंज-पल्हना रोड पर निर्माण हेतु कुछ भी रुपया क्यों नहीं खर्च किया गया तथा ये सड़कें किस विभाग द्वारा बनवाई जा रही हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अम्बारी-दिदारगंज रोड, खुरहट-रानीपुर रोड, मधुवन-दुबारी रोड, अजमतगढ़-अमिला रोड का निर्माण जिला बोर्ड के माध्यम से हो रहा है। जिला बोर्ड ने जितने कार्यपूर्ति की रिपोर्ट दी है उस पर अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग से Certificate मांगा है जो अभी प्राप्त नहीं हुआ है। जब प्राप्त हो जायगा तब स्वीकृति धन का भुगतान होगा।

लालगंज-पल्हाना रोड सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित कराई जा रही है। कार्य आरम्भ हो गया है। कार्य पूर्ण होने पर स्वीकृति धन दिया जायगा।

*१५—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या नियोजन मंत्री नियोजन कमेटी आजमगढ़ द्वारा सड़कों के निर्माण हेतु दिये गये धन को खर्च करने के सम्बन्ध में २५ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४ और ४५ के उत्तरों के क्रम में यह बतायेंगे कि मऊ-गोकुलपुरा रोड तथा सुल्तानीपुर-गोकुलपुरा रोड दिये गये अनुदान से कब बनाई गई तथा इन सड़कों के निर्माण के लिये क्या और किसी विभाग से सहायता मिली थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मऊ-गोकुलपुरा रोड १९५४ में जिला बोर्ड द्वारा निर्मित कराई गई। इसके कार्य पूर्ति की रिपोर्ट बोर्ड से मार्च, १९५७ में प्राप्त हुई। इस रोड पर जिला बोर्ड का एवं जिला नियोजन समिति का ही धन व्यय हुआ अन्य किसी विभाग का नहीं।

सुल्तानीपुर-गोकुलपुरा रोड जिला बोर्ड द्वारा १९५४ में निर्मित कराई गई। कार्य पूर्ति की रिपोर्ट १९५४ में प्राप्त हुई। इस सड़क पर जिला बोर्ड एवं जिला नियोजन समिति का ही धन व्यय हुआ। अन्य किसी विभाग का नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानीपुर-गोकुलपुरा रोड पर, स्वशासन विभाग से जो ७५ हजार रुपया १९५४ में दिया गया था, उसमें से इस मद पर व्यय हुआ ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—७५ हजार रुपया कहीं दिया नहीं गया है, केवल १० हजार रुपया अनुमानतः व्यय का है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या नियोजन मंत्री सुल्तानीपुर-गोकुलपुरा और मऊ-गोकुलपुरा रोड्स के सम्बन्ध में जानकारी हासिल करने की कृपा करेंगे कि इस पर १ लाख रुपये से ज्यादा व्यय हुआ है और स्वशासन विभाग द्वारा जो ७५ हजार रुपये दिये गये थे उसका भी उस पर व्यय हुआ है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। यह तो नियोजन समिति ने जो रुपया दिया था उसी का है। अगर आप लिखकर देंगे तो वह मालूम करा लिया जायगा।

*१६—श्री गनेशचन्द्र काछी—[२७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

मथुरा जिले के समसपुर ग्रामवासियों का माल मंत्री को कथित प्रार्थना-पत्र

*१७—श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या यह सत्य है कि गांव समसपुर, डाकखाना भैंसों, तहसील मथुरा, जिला मथुरा के निवासियों ने माल मन्त्री को चकबन्दी योजना के विरोध में कोई प्रार्थना-पत्र दिये थे ? यदि हां, तो उन प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री परमात्मानन्दसिंह—प्रश्न में उल्लिखित समसपुर ग्राम के निवासियों का चकबन्दी विषयक कोई प्रार्थना-पत्र सचिवालय में प्राप्त नहीं हुआ है। मंत्री जी को मथरा नगर में उनके दौरे के समय कोई पत्र दिया गया हो तो उसकी उनको याद नहीं है।

१८-२०—श्री हरकेशबहादुर (जिला प्रतापगढ़)—[२७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*२१—श्री गनेशचन्द्र काछी—[२७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

मैनपुरी जिले के लिये ग्राम सेवकों का चुनाव

*२२—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अभी हाल में (१३-९-५७ के निकट) जो ग्राम सेवकों का चुनाव हुआ है उसमें मैनपुरी जिले से कुल कितने ग्राम सेवक रक्खे गये हैं और उनमें से हरिजन तथा पिछड़ी जाति के कितने रक्खे गये हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उस चुनाव से अभी तक कोई ग्राम सेवक नहीं रक्खा गया है, इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

अलीगढ़ जिले में वर्षा पीड़ितों को सहायता

*२३—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या माल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले की गत वर्षा तथा बाढ़ से कितने व्यक्तियों तथा जानवरों की मृत्यु हो गई?

श्री परमात्मानन्दसिंह—गत वर्षा तथा बाढ़ के कारण अलीगढ़ जिले में २२ व्यक्ति तथा ९५ पशुओं (जिनमें ४९ भेड़, बकरियां शामिल हैं) की मृत्यु हुई।

*२४—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसीलवार सहायता अब तक कितनी बट चुकी है?

श्री परमात्मानन्दसिंह—तहसीलवार बांटी गई सहायता का विवरण आपके ही द्वारा पूछ गये प्रश्न ६० के उत्तर में चौथे गुरुवार दिनांक ६ फरवरी, १९५८ को दिया जा चुका है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मृतकों के आदमियों को कितनी आर्थिक या दूसरे प्रकार की सहायता दी गयी?

श्री चरणसिंह—कुछ जरुरी तो नहीं है कि जो आदमी मर गया हो उसके लोगों को बाद में सहायता दी ही जाय। यह तो उनकी हालत के ऊपर है। ज्यादातर लोग मकान के गिर जाने से मरे हैं। बाकी अलग-अलग अगर किसी को सहायता दी गयी है तो उसकी तफसील यहां मौजूद नहीं है। वैसे कुल ८५ हजार रुपया बतौर ग्रेचुटस रिलीफ के बांटा जा चुका है जबकि गवर्नमेंट ने कुल ९० हजार रुपया कलेक्टर को दिया था।

सचिवालय के अस्थायी चपरासियों को हटाने का आदेश

*२५—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने अभी हाल ही में सचिवालय के अस्थाई कर्मचारियों को नौकरियों से अलाहदा किये जाने के लिये कोई आदेश जारी किया है? यदि हां, तो कब और कब से अलाहदा किया जाना है?

*२६—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त आदेशानुसार किस-किस श्रेणी के कितन-कितने कर्मचारी अलाहदा किये जायेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, केवल निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिये । इसके फलस्वरूप ४ जनवरी, १९५८ को सचिवालय के १४० चपरासी कम किये गये । पर इन्हें सरकार के अन्य विभागों में लगाया गया ।

*२७—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार उक्त कर्मचारियों में से उन लोगों की संख्या बतलाने की कृपा करेगी कि जिनकी नौकरियां क्रमशः तीन, पांच व सात वर्ष से अधिक हो गई है तथा जो ओवरएज (Overage) हो गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—तीन वर्ष से अधिक नौकरी वाले चपरासियों की संख्या १६ है और इनमें से ६ ओवरएज (Overage) हो गये हैं । क्रमशः पांच और सात वर्ष से अधिक नौकरीवाला कोई चपरासी नहीं निकाला गया ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय पुनर्गठन योजना के दूसरे चरण के अनुसार भी कुछ कर्मचारी अलाहदा किये जाने वाले हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आगे क्या होने वाला है यह मैं अभी नहीं कह सकता ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन दूसरे विभागों में यहां के चपरासी भेज दिये गये हैं उन विभागों में क्या चपरासियों की कमी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने यह नहीं कहा कि वे वहां चपरासियों की ही जगह पर रखे गये । मैं बता दूं, एक तो केन कमिश्नर और दूसरे डायरेक्टर आफ ऐग्रीकल्चर के यहां कुछ कामदारों की जगहें थीं जिन पर वे नियुक्त हुये हैं ।

*२८-३०—श्री गौरीशंकरराय (जिला बलिया)—[छठवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ६१-६३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*३१-३३—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—[२७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

मद्य निषेध एवं समाजोत्थान के लिये आनरेरी प्रचारकों की नियुक्ति

*३४—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान के लिये आनरेरी प्रचारकों की नियुक्ति की जा चुकी है ?

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)—अभी तक ३२ जिलों में प्रचारकों की नियुक्ति की जा चुकी है । शेष १९ जिलों में नियुक्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

*३५—श्री मुरीलधर कुरील—क्या मादक कर मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आनरेरी प्रचारकों की नियुक्ति किसके द्वारा किस आधार पर की जाती है ।

डाक्टर सीताराम—आनरेरी प्रचारकों की नियुक्ति विशेषाधिकारी मद्यनिषेध द्वारा की जाती है । प्रायः पुराने प्रचारक जिनका कार्य संतोषजनक होता है नियुक्त किए जाते हैं और उन जिलों में जहां पुराने प्रचारकों का कार्य असन्तोषप्रद पाया जाता है वहां संबंधित मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी की सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है ।

*३६—श्री मुरलीधर कुरील—क्या मादक कर मन्त्री कृपा करके बतायेंगे कि क्या सरकार प्रचारकों की नियुक्ति जिला मद्य निषेध बोर्डों की सलाह से करने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री मुरलीधर कुरील—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि प्रचारकों के काम के लिये जो जिलों में व्यवस्था की गई है उसके अनुसार प्रचारक सही ढंग से कार्य कर सकना सम्भव न समझ कर माननीय मन्त्री जी के पास त्याग-पत्र भेज रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम—ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो आनरेरी प्रचारक नियुक्त किये जाते हैं इनको कुछ दैनिक भत्ता भी मिलता है ?

डाक्टर सीताराम—इनको ५० रुपया मासिक आनरेरियम मिलता है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता

*३७—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रदेश की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अधिक धन बढ़ाने की प्रार्थना की है ? यदि हां, तो क्या आश्वासन केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हुआ है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इस सम्बन्ध में जो अनुरोध किया गया, वह नियोजन आयोग (प्लानिंग कमिशन) से, परन्तु अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या यह सही है कि प्रदेश के क्षेत्रफल और यहां की आवश्यकता को देखते हुये केन्द्रीय सरकार से उत्तर प्रदेश को इस वक्त सबसे कम सहायता मिली है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रदेश के क्षेत्रफल और आबादी को देखते हुये जितनी, हमारी समझ में, हमको सहायता मिलनी चाहिये थी, उतनी तो नहीं मिली लेकिन मैं यह भी नहीं कह सकता कि सबसे कम मिली है ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार को अमेरिका से अभी जो अधिक सहायता मिली है, इसके बाद क्या प्रदेशीय सरकार इस प्रयत्न में है कि इस प्रदेश का कम कोटा बढ़ाया जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक कि अमेरिका से सहायता की बात है, वह जरूर मिली है और उसी के मिलने का यह नतीजा है, जहां तक मैं समझता हूं, कि हमारा रिहन्द डैम जो शायद छूट जाता, फिर से शामिल कर लिया गया है ।

*३८—श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)—[२७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

रायबरेली जिले में खुलने वाले राष्ट्रीय प्रसार सेवा-खण्ड

*३९—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला रायबरेली में एन० ई० एस० ब्लाक का केन्द्र खुलने जा रहा है ? अगर हां, तो कहां पर ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला रायबरेली में दो राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड खोले जा चुके हैं—

२ अक्टूबर, १९५६ को डलमऊ में तथा १ जुलाई, १९५७ को नसीराबाद में ।

उक्त योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रदेश को राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना से आच्छादित कर देने का विचार है । अतः द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सम्पूर्ण रायबरेली जिले के राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना के अन्तर्गत आ जाने की आशा है ।

नोटः—तारांकित प्रश्न संख्या ३७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*४०—श्री गुप्तारसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त जिले में सरेनी शहीद स्थान पर एन० ई० एस० ब्लाक का सेन्टर कब खुलने जा रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस विषय पर राज्य सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

*४१—श्री गुप्तारसिंह—[हटा दिया गया।]

पूर्वी जिलों मे खोले गये टेस्ट वर्क

*४२—श्री रणबहादुर सिंह (जिला बस्ती)—क्या माल मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पूर्वीय जिलों में कहां-कहां टेस्ट वर्क्स चल रहे हैं, कितना-कितना धन प्रत्येक टेस्ट वर्क के लिये सरकार ने स्वीकार किया है ? क्या बस्ती जिले में टेस्ट वर्क आरम्भ हो गया है ?

श्री चरणसिंह—इस समय पूर्वी जिलों में से बस्ती, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, बलिया, फैजाबाद, बहराइच जिलों में टेस्ट वर्क्स चल रहे हैं तथा इलाहाबाद गाजीपुर एवं मिर्जापुर में भी शीघ्र ही शुरू हो रहे हैं। इन जिलों को इस कार्य के लिये स्वीकृत धनराशि का विवरण संलग्न सूची में दिखा दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३६३ पर)

बस्ती जिले की हरैया तहसील में घाघरा के कटाव क्षेत्र वासियों को सहायता

*४३—श्री रणबहादुर सिंह—क्या माल मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हरैया तहसील (बस्ती) में १० वर्ष में (१९४७ से १९५७) तक कितने ग्राम घाघरा नदी के कटान में कटे हैं ? गांव वालों को, जो कटान से प्रभावित हुये हैं सरकार ने क्या सहायता दी है ?

श्री चरणसिंह—गत १० वर्षों में जिला बस्ती की तहसील हरैया में घाघरा नदी की कटान से कुल १२ ग्राम कट गये हैं। इन गांवों के निवासियों को सुरक्षित स्थान पर बसाया गया। इन्हें समय-समय पर आवश्यकतानुसार तकावी, अहेतुक अनुदान, गृह निर्माण के लिये अनुदान, भूमिकर में माफी आदि दी गई।

कानपुर में भारत सेवक समाज के अधिवेशन पर व्यय

*४४—श्री राजनारायण—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर में भारत सेवक समाज के अधिवेशन के सिलसिले में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कितना रुपया व्यय किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कानपुर में पंचम भारतीय भारत सेवक समाज कन्वेन्शन के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा लगभग ४,००० रुपये व्यय किये गये हैं।

*४५—श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—[नवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ६४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४६—श्री जगन्नाथ लहरी—[२७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

देवरिया जिले में टेस्ट वर्क पर काम करने वालों की मजदूरी

*४७—श्री रामायण राय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय देवरिया जिले में जिन-जिन स्थानों पर टेस्ट वर्क चल रहा है वहां पर काम करने वालों को क्या मजदूरी दी जा रही है ?

श्री चरणसिंह---देवरिया जिले में इस समय टेस्ट वर्क के रूप में जो कार्य किये जा रहे हैं उनके नाम इस प्रकार हैं---

(१) हड़हा-करहकोल बांध;
(२) सोहनपार-रामपुर सड़क;
(३) हनुमान गंज-कटाइमर पुरवा सड़क (खड्डा होकर);
(४) तमकुही-तरयासुजान सड़क;
(५) लाररोड-बरहज सड़क;
(६) खिरकिया-किन्दरपट्टी सड़क;
(७) पडरीमल-बैकुन्ठपुर सड़क;
(८) पकहा-बनजरिया सड़क;

इन पर काम करने वाले प्रत्येक पुरुष, स्त्री तथा बच्चे की दैनिक मजदूरी क्रमशः ८ आना, ६ आना तथा ४ आना है ।

*४८---श्री रामायणराय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में जहां-जहां टेस्ट वर्क चल रहा है उनमें कितने लोग काम कर रहे हैं ?

श्री चरणसिंह---टेस्ट वर्क के रूप में किये जाने वाले कार्यों की सूची प्रश्न संख्या ४७ के उत्तर में दे दी गई है । इस समय इन सब कार्यों पर लगभग १०,००० मजदूर काम कर रहे हैं ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता

*४९---श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक प्रदेशीय सरकार को कितनी धनराशि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हो चुकी है तथा किस-किस मद पर कितना-कितना धन प्राप्त हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---महालेखापाल से प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संबंध में प्रदेशीय सरकार को केन्द्रीय सरकार से अब तक १८·८० करोड़ रुपया प्राप्त हुआ । विभिन्न मदों पर प्राप्त धन का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३६४ पर)

*५०---श्री नेकराम शर्मा---[हटा दिया गया ।]

अलीगढ़ जिले के विकास क्षेत्र हसायन में शिक्षा प्रचार

*५१---श्री नेकराम शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र हसायन (अलीगढ़) में कितने वाचनालय एवं पुस्तकालय खोले गये हैं और किन-किन ग्रामों में उनको कितनी-कितनी किताबें तथा समाचार-पत्र दिये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस विषय का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३६५ पर)

बदायूं जिले की बिसौली तहसील में अग्निपीड़ितों को सहायता

*५२---श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)---क्या सरकार कृपया तहसील बिसौली, जिला बदायूं के उन किसानों की सूची जिन के खलियान तथा मकान दोनों तथा उन किसानों के जिनके केवल खलियान तथा केवल मकान आग के प्रकोप से १९५७ में जल गये सदन की मेज पर रखेगी ? उन आग से पीड़ित लोगों को सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई और अग्निकांड के कितने-कितने रोज बाद दी गई ?

श्री चरणसिंह---अपेक्षित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३६६-३६९ पर)

जिला नियोजन अधिकारियों की ट्रेनिंग

*५३---श्री शिवराजसिंह यादव---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर के पद पर नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति को कोई ट्रेनिंग दी जाती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं।

नियुक्ति के बाद सभी जिला नियोजन अधिकारियों को सुविधानुसार ट्रेनिंग दी जाती है।

*५४---श्री शिवराजसिंह यादव---[२७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

बदायूं जिले के तिलियाखाता गांव को ऊंचा करने के लिये प्रार्थना-पत्र

*५५---श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)---क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम तिलियाखाता (बदायूं) के निवासियों ने जिलाधीश को एक प्रार्थना-पत्र गांव को ऊंचे स्थान पर बसाने के बारे में दिया था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री चरणसिंह---जी हां, ग्राम तिलियाखाता के निवासियों की प्रार्थना पर गांव में एक ऊंचा स्थान उनके बसने के लिये व्यक्तिगत समझौते से प्राप्त किया गया, परन्तु प्रभावित व्यक्ति उस स्थान पर बिना एक पक्का कुआं बने जाने को तैयार नहीं थे। सरकार ने अब कुयें का प्रबन्ध कर दिया है। प्रभावित व्यक्ति अब इस ऊंचे स्थान पर बस सकते हैं।

*५६-५७---श्री श्रीकृष्ण गोयल तथा श्री कैलाशकुमार सिन्हा (जिला बदायूं)---[२७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

इलाहाबाद शहर में मादक पदार्थों का ठेका

*५८---श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत ३ वर्षों में भांग, गांजा और अफीम की बिक्री के ठेके इलाहाबाद शहर में कितने-कितने रुपये के हुये हैं ?

डाक्टर सीताराम---

	१९५४-५५	१९५५-५६	१९५६-५७
	रु०	रु०	रु०
भांग			
गांजा	१,०७,४००	१,०८,०००	६१,५००
अफीम	५४,४००	६५,५००	७२,०००

*५९---श्री अब्दुल रऊफ लारी---इस वर्ष इलाहाबाद शहर का ठेका कितने रुपये का हुआ है ?

डाक्टर सीताराम---इस वर्ष इलाहाबाद शहर में अफीम और गांजा का ठेका नीलाम नहीं हुआ। अब केवल आदी व्यक्तियों को ही यह चीजें बेचने के लिये दुकानें हैं जो नीलाम नहीं की जाती हैं बल्कि सरचार्ज प्रणाली के अनुसार दी जाती हैं। भांग के लिये दुकानें नीलाम की गई थीं जिसका लाइसेन्स फीस ६७,७०० रु० है।

*६०-६१---श्री धमुनासिंह (जिला गाजीपुर)---[२७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*६२–६४—श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल (जिला बाराबंकी)—[२७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

जोत चकबन्दी को जनप्रिय बनाने के लिये उपाय

*६५—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—सरकार जोत चकबन्दी अधिनियम को जनप्रिय बनाने के लिये कौन-कौन से उपाय कर रही है ?

श्री चरणसिंह—चकबन्दी विभाग ने ३ पुस्तिकायें प्रकाशित की हैं जिनमें इस योजना को भलीभांति समझाने का प्रयास किया गया है। इन पुस्तिकाओं को एक बड़ी संख्या में ग्राम जनता में वितरण किया गया है। जिससे विशेष कर ग्रामीण जनता को यह मालूम हो जावे कि इस योजना से उनको क्या लाभ है। जिस तहसील में चकबन्दी होती है उसके सब ग्रामों की चकबन्दी समिति को एक प्रतिलिपि चकबन्दी अधिनियम व नियम की दी जाती है ताकि वह इनको पढ़ कर सब ग्राम निवासियों को चकबन्दी की विशेषतायें बतावें। संचालक तथा उपसंचालक महोदय ने समय-समय पर रेडियो पर इस विषय पर भाषण दिये हैं। जब कभी संचालक या उपसंचालक दौरे पर जाते हैं तो गांवों में मीटिंग करके ग्रामीण जनता को चकबन्दी योजना के लाभ समझाते हैं और उनकी शंका का समाधान करते हैं। जिला तथा प्रान्तीय प्रदर्शनियों में जनता को योजना के हर अंग को समझाने का प्रयत्न किया जाता है। चकबन्दी की हर कार्यवाही का गांव में प्रकाशन किया जाता है और चकबन्दी सम्बन्धी तमाम फैसले मौके पर चकबन्दी समिति की राय ले कर ग्राम जनता के समक्ष किये जाते हैं। इन सब कार्यवाहियों के साथ ही साथ चकबन्दी कर्मचारी जनता को इस योजना के लाभ भी समझाते रहते हैं।

२—संचालक चकबन्दी के आदेशानुसार योजना को जनप्रिय बनाने के लिये समय-समय पर चकबन्दी के विषय में समाचार तथा अन्य मनोरंजक घटनाओं का विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ करेंगे। सूचना विभाग के सहयोग से चकबन्दी के कार्य पर एक फिल्म भी जिला उन्नाव में खींची गई है जो कि अभी तैयार नहीं हो सकी है। उसके प्राप्त होने पर फिल्म प्रदर्शन द्वारा भी चकबन्दी योजना को जनप्रिय बनाने का प्रयत्न किया जावेगा।

३—यह बात भी सरकार के विचाराधीन है कि चकबन्दी के पश्चात् उन्नति (Improvements) के काम अर्थात् वे काम जिनके लिये ऐक्ट XIX की रू से तक़ावी दी जा सकती है इस इलाके में ख़ासतौर से किये जायं। साथ ही साथ सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि चकबन्दी का पूरा ख़र्चा न वसूल किया जाय बल्कि जो ख़र्चा चकबन्दी से पहले कागज़ात को ठीक करने में होता है उसको वसूल न किया जाय।

*६६—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—[छठवें बुधवार के लिये प्रश्न ७८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बलिया जिलान्तर्गत रसड़ा में परिवहन कार्यालय की इमारत का न होना

*६७—श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या सरकार जिला बलिया के अन्तर्गत रसड़ा के परिवहन विभाग के कार्यालय के लिये जो अब तक किराये के मकान में है अपना भवन बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

*६८—श्री गंगाप्रसादसिंह—[२७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

बुलन्दशहर जिले में जमुना नदी का पानी, घाटों का ठेका तथा रेत सम्बन्धी मामला

*६९—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर यमुना नदी के कारण कुछ प्रदेश की सीमा का विवाद पंजाब व देहली सरकार से है ? यदि हां, तो सरकार बतायेगी कि इसका निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री चरणसिंह—जी हां। सीमा का विवाद इस प्रदेश एवं पंजाब तथा देहली की प्रदेशीय सरकार से बुलन्दशहर जिले के बारे में चल रहा है और इसको शीघ्र अंतिम करने का प्रयत्न किया जा रहा है किन्तु यह नहीं कहा जा सकता है कि इसका निर्णय कब तक हो जावेगा क्योंकि इसमें पंजाब सरकार, देहली सरकार और भारत सरकार से लिखा पढ़ी हो रही है।

*७०—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि यमुना नदी के घाटों का ठेका राज्य सरकार द्वारा क्यों नहीं दिया जाता है और वह किसके द्वारा दिया जाता है ?

श्री चरणसिंह—जिला बुलन्दशहर में घाटों का ठेका पूर्व काल से देहली तथा पंजाब सरकार द्वारा दिया जाता है। अभी तक इस बात का पुचारु रूप से पता नहीं चल सका है कि यह ठेका देहली तथा पंजाब सरकार द्वारा क्यों दिया जाता है। सरकार इस सम्बन्ध में पूरी जांच के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही करेगी।

*७१—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ग्राम सभा छलेरा, जिला बुलन्दशहर का विवाद ओखला के नजदीक जमुना के रेती उठाने का देहली सरकार से है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री चरणसिंह—देहली प्रदेश के कुछ ठेकेदार गांव समाज छलेरा, जिला बुलन्दशहर के अन्तर्गत जमुना नदी के रेती को अनाधिकार रूप से उठा ले जाते हैं। उनको रोकने के लिये देहली सरकार को लिखा गया था। देहली सरकार ने, मई, १९५७ को यह सूचित किया है कि उन्होंने जिलाधीश देहली को आदेश दिया है कि बुलन्दशहर जिले की सीमा के अन्दर वाली रेती का देहली वालों द्वारा अनधिकृत ठेके का नीलाम रोक दें।

सरकारी अधिकारियों से मोटरें वापस लेने का आदेश

*७२—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने अपने अधिकारियों को सरकारी मोटरें जमा करने के लिये कब आदेश दिया था तथा अभी तक कितनी कारें जमा हो चुकी हैं और कितनी शेष हैं ?

डाक्टर सीताराम—मोटरें जमा करने का आदेश ३० अगस्त, १९५७ को जारी किया गया था। कितनी गाड़ियां जमा हुई हैं इसकी सूचना एकत्र की जा रही है।

नैनीताल जिले के कालोनाइजेशन क्षेत्र में भूमि सम्बन्धी अधिकारी तथा रेकार्ड

*७३—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नैनीताल जिले में सरकारी या कालोनाइजेशन भूमि से एलिक्शन अधिकार प्राप्त अधिकारी काम्पिटेन्ट ऐथारिटी कौन हैं ?

श्री चरणसिंह—यह अधिकारी निम्नलिखित हैं :

१—सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, काशीपुर।
२—सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, तराई व भावर।
३—तहसीलदार, काशीपुर।
४—तहसीलदार, किच्छा।

५—ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर कालोनाइजेशन (रिलीफ ऐन्ड रिहैबिलिटेशन) रुद्रपुर, जिला नैनीताल ।

६—ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर, काशीपुर, जिला नैनीताल ।

*७४—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या काशीपुर कालोनाइजेशन क्षेत्र के रेकार्ड सेटिलमेंट आपरेशन समाप्त हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित रिकार्ड कम्पलीट कर रेविन्यू ऐथारिटीज को भेजा जा चुका है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। अभी समाप्त नहीं हुये हैं।

*७५—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कालोनाइजेशन क्षेत्र में बसे हुये टेनेंट्स की टेनेंसी हेतु कौन सा ऐक्ट लागू होता है ?

श्री चरणसिंह—इस वक्त उक्त क्षेत्र में यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट लागू होता है।

गोंडा जिले में दरजी-कुआ-मनकापुर सड़क को मसकनवा की ओर बढ़ाने की प्रार्थना

*७६—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या गोंडा जिला नियोजन समिति ने जून या जुलाई, १९५७ में सरकार से यह सिफारिश की है कि दरजी-कुआ-मनकापुर सड़क जो पक्की हो रही है मसकनवा की तरफ दो मील और पक्की कर दी जाये ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। परन्तु धन के अभाव के कारण उक्त सड़क को पक्का करना सम्भव नहीं है।

आबकारी विभाग, आगरा के कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें

*७७—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या डिप्टी सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस (कम्प्लेंट) ने अगस्त, १९५६ या उसके आस-पास आबकारी विभाग, आगरा के कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करके कोई रिपोर्ट दी है ? सरकार ने उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस (कम्प्लेन्ट्स) ने ऐसी दो रिपोर्टें दीं। पहली रिपोर्ट दिनांक ११ जुलाई, १९५६ के अनुसार आबकारी विभाग आगरा के कर्मचारियों के विरुद्ध आक्षेप प्रमाणित नहीं हो सके अतः उस पर कोई और कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई। दूसरी रिपोर्ट दिनांक २३ अगस्त, १९५६ में उल्लिखित जांच के परिणामों का पुनर्निरीक्षण कराये जाने पर आबकारी कर्मचारियों की कुछ असावधानी अवश्य पाई गई जिसके लिये उन्हें भविष्य में सतर्क रहने की हिदायत कर दी गई।

*७८—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या आगरा के आबकारी विभाग ने अगस्त, १९५६ के बाद अपने कर्मचारियों या अधिकारियों की कोई शिकायत या शिकायतें डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस (कम्प्लेंट्स) को भेजीं ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

*७९—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार का ध्यान आगरा के न्यायालयों के फैसलों में सन् १९५२ से १९५७ जून के आगे तक आबकारी विभाग के कर्मचारियों या अधिकारियों के खिलाफ जो आक्षेप किये गये हैं उनकी तरफ गया है ? अगर हां, तो सरकार ने उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

डाक्टर सीताराम—जी हां। मादक-कर आयुक्त को उचित आदेश दे दिये गये हैं।

आजमगढ़ जिले में जवाहरपुर ग्राम सभा के प्रधान की ग्राम के पेड़ों के काटने के सम्बन्ध में शिकायत

*८०--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील के ग्राम सभा जवाहरपुर के प्रधान ने ३१ दिसम्बर, १९५६, ६ फरवरी, १९५७ तथा ३० दिसम्बर, १९५६ को क्रमशः जिलाधीश, परगनाधीश एवं थानेदार मधुबन को रजिस्ट्री प्रार्थना-पत्र द्वारा सूचित किया था कि उनके ग्राम के ग्राम के हरे पेड़ कुछ व्यक्ति बिना सरकारी हुक्म के काट रहे हैं ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह--जी हां। इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर थाना मधुबन की पुलिस द्वारा निरीक्षण कराने पर पता चला कि ४ सूखे आम के पेड़ काटे गये थे। चूंकि मुकदमा चलाने के लिये काफी सबूत नहीं मिला, इसलिए Private Forests Act के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकी।

*८१--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि जिस दिन पेड़ काटे जा रहे थे उसी दिन तहसीलदार घोसी, सन्निकट के ग्राम डुमरी में मौजूद थे तथा सूचना देने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री चरणसिंह--पेड़ों के काटे जाने के समय तथा दिनांक का सही पता नहीं है। तहसीलदार घोसी का कैम्प ग्राम डुमरी में १८ दिसम्बर, १९५६ से २१ दिसम्बर, १९५६ तक रहा था। उनको पेड़ों के काटे जाने की किसी भी साधन द्वारा सूचना नहीं मिली थी।

*८२--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि कटे हुये बाग की भूमि को मजरुआ बना दिया गया है ? क्या यह भी सही है कि इस भूमि पर मुर्दे जलाये जाते थे तथा पशुओं का चरागाह था ?

श्री चरणसिंह--जी हां, भूमि मजरूआ कर ली गई है। परन्तु इस पर कोई श्मशान या चरागाह पहले से न था।

बरेली जिले की नवाबगंज तहसील में वर्षा तथा ओला पीड़ितों को सहायता

*८३--श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि २०-२१ अक्तूबर, १९५७ को अति वर्षा तथा भारी ओला वृष्टि से तहसील नवाबगंज, जिला बरेली के गांवों में खरीफ की फसल का नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो कितने गांवों में ?

श्री चरणसिंह--जी हां। १४० ग्रामों में फसल को क्षति पहुंची।

*८४--श्री शिवराजबहादुर--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस सिलसिले में जिलाधीश तथा एस० डी० एम० व इंजीनियर नहर विभाग, जिला बरेली से किसानों के डेपुटेशन्स मिले और लोगों ने इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र भी दिये ?

श्री चरणसिंह--सरकार के पास शिष्टमंडल (deputations) के एस० डी० एम०, इंजीनियर नहर विभाग और जिलाधीश से मिलने की कोई सूचना नहीं है। कुछ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे जिनकी जांच की गई थी।

*८५--श्री शिवराजबहादुर--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इन पीड़ित किसानों को सरकार ने क्या-क्या सहायता दी है ?

श्री चरणसिंह--२५,००० रुपया तकावी पीड़ितों को बांटी गई तथा भूमि-कर में सहायता, नियम के अन्तर्गत जो उचित होगी, दी जायेगी।

*८६—श्री गणेशचन्द्र काछी—[बारहवें मंगलवार के लिए प्रश्न संख्या २९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सरकारी अधिकारियों से मोटरें वापस लेना

*८७—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन आफिसरों के पास सरकारी गाड़ियां थीं उनमें से किस-किस विभाग के कितने आफिसरों ने गाड़ियां वापस कर दी हैं और कितनों ने नहीं ?

डाक्टर सीताराम—इस सम्बन्ध में पूरी सूचना अभी इकट्ठी नहीं की जा सकी है। सूचना प्राप्त होने पर उत्तर दिया जायगा।

*८८—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—जिन आफिसरों ने गाड़ियां वापस नहीं की हैं क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसका क्या कारण है और सरकार उसके बारे में क्या करने जा रही है ?

डाक्टर सीताराम—सूचना एकत्र की जा रही है परन्तु यह सम्भव नहीं मालूम होता कि जिन गाड़ियों को वापस करना था, वह वापस न हुई हों।

प्रतापगढ़ जिले की तहसीलों में विचाराधीन मुकदमे

*८९—श्री हरकेशबहादुर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ जिले की तहसीलों में कितने-कितने मुकदमे फरवरी, १९५७ में अलग-अलग लम्बित (pending) थे और जुलाई, १९५७ के अन्त तक कितने-कितने मुकदमे अलग-अलग तीनों तहसीलों में लम्बित (pending) थे ?

श्री चरणसिंह—जिला प्रतापगढ़ की तहसीलों में फरवरी, १९५७ और ३१ जुलाई, १९५७ तक लम्बित (pending) मुकदमों का ब्यौरा संलग्न सूची में वर्णित है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ३७० पर)

उन्नाव जिलान्तर्गत हड़हा परगने में बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*९०—श्री खड़गसिंह चौधरी (जिला उन्नाव)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, १९५७ के गंगा के सैलाब में उन्नाव तहसील के ग्रामों में जो सैलाब आया था तो उन्नाव तहसील के परगना हड़हा के फो गांव में कितना-कितना सामान सहायतार्थ बांटा गया था ?

श्री चरणसिंह—सितम्बर, १९५७ के बाढ़ के समय परगना हड़हा के बाढ़ग्रस्त गांवों में २-३ दिन में कुल ६४७ रुपया का सामान सहायतार्थ बांटा गया। प्रत्येक गांव में बांटे गये सामान की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है तथापि यह खयाल किया जाता है कि प्रत्येक गांव में औसतन ११.५० रुपया का सामान बांटा गया।

रोडवेज बसों पर रिटर्न टिकट की व्यवस्था करने पर विचार

*९१—श्री हरकेशबहादुर—क्या रोडवेज बसों पर रिटर्न जर्नी टिकट की व्यवस्था विचाराधीन है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, किसी एक मार्ग पर रिटर्न टिकट जारी किये जायेंगे और अगर यह प्रयोग सफल हुआ और काफी लोगों ने इसका लाभ उठाया तो और मार्गों पर भी रिटर्न टिकट की व्यवस्था करने का विचार किया जायेगा।

प्रतापगढ़ जिले में सरकारी अधिकारियों से मोटरगाड़ियों की वापसी

*९२—श्री हरकेशबहादुर—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किन-किन सरकारी अधिकारियों को जिला प्रतापगढ़ में सरकारी गाड़ियां दी गई हैं और किन-किन अधिकारियों की गाड़ियां वापस ली जायेंगी तथा कौन-कौन वापस ली हुई गाड़ियां प्रतापगढ़ रोडवेज स्टेशन पर किराये हेतु टैक्सी के रूप में रक्खी जायेंगी ?

डाक्टर सीताराम—इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है ?

अलीगढ़ जिले में वर्षा तथा बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*९३—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले की किस-किस तहसील को इस वर्ष की बाढ़ तथा वर्षा से हानि हुई है और कितनी-कितनी सहायता तथा तकावी बांटी जा चुकी है ?

श्री चरणसिंह—अलीगढ़ जिले की समस्त तहसीलों में गत वर्ष वर्षा तथा बाढ़ से हानि हुई । सहायता तथा तकावी के वितरण का तहसीलवार विवरण आपके द्वारा ही पूछे गये प्रश्न ६० के उत्तर में चौथे गुरुवार, दिनांक ६ फरवरी, १९५८ को दिया जा चुका है ।

*९४—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाढ़ या वर्षा से डूबे हुये तथा तबाह किन-किन गांवों में तहसीलदार या उच्च अधिकारी अभी तक नहीं पहुंच पाये हैं जहां अभी तक पानी भरा हुआ है ?

श्री चरणसिंह—ऐसा कोई ग्राम शेष नहीं है जहां अधिकारी वर्ग ने निरीक्षण न किया हो और जहां अभी तक पानी भरा हुआ हो ।

*९५—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि लहरा, एहन, काशीनगला, पतुआनगला आदि जिन गांवों की खेती पानी में डूबी हुई है और इन गांवों के मकानों में भी पानी भरा है और खंडहर हो गये हैं उस पानी के निकलवाने की क्या व्यवस्था हुई है ?

श्री चरणसिंह—लहरा, एहन, काशीनगला, पतुआनगला आदि किसी गांव में पोखर आदि को छोड़कर अब कहीं भी पानी नहीं भरा हुआ है । पानी निकालने के सभी सम्भव साधन जैसे पम्प का प्रयोग, नालियों का खुदवाना आदि अपनाये गये थे ।

गोंडा जिलान्तर्गत परगना सादुल्लानगर व बूढ़ापार में भूमिदान में प्राप्त भूमि का वितरण

*९६—श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परगना सादुल्लानगर व बूढ़ापार, तहसील उतरौला, जिला गोंडा में कितनी भूमि भूमिदान यज्ञ में प्राप्त हुई और कितने लोगों को दी गई ?

श्री चरणसिंह—गोंडा जिला के परगना सादुल्लानगर में ६७ एकड़ व परगना बूढ़ापार में ४१३·२० एकड़ भूमि भूदान यज्ञ में प्राप्त हुई ।

यह समस्त भूमि क्रमशः ४३ तथा १५३ व्यक्तियों में वितरित की गई ।

*९७—श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह—क्या यह सत्य है कि ग्राम बमनजोत व महुआ पाकर, परगना बूढ़ापार, तहसील उतरौला, जिला गोंडा में जिन लोगों को भूमि दी गई उनको न तो अब तक कब्जा मिला और न अधिकारियों ने अब तक निशानदेही की ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं ।

रीजनल ट्रान्सपोर्ट कमेटियों द्वारा परमिटों का वितरण

*९८—श्री मुरलीधर कुरील—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में मोटर, ट्रक्स, बस व लारी चलाने के परमिट देने के लिये कहां-कहां पर रीजनल ट्रांसपोर्ट कमेटियां हैं और इन कमेटियों द्वारा अब तक कुल कितने परमिट दिये गये और जिन्हें परमिट दिये गये उनमें से कितने हरिजन हैं ?

डाक्टर सीताराम—उत्तर प्रदेश में आठ रीजनल ट्रांस्पोर्ट अथारिटीज हैं जो आगरा, बरेली, मेरठ, नैनीताल, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और गोरखपुर में हैं। अब तक कुल १२,७१८ परमिट दिये गये हैं। हरिजनों की संख्या बताना संभव नहीं क्योंकि रेकार्ड में परमिट पाने वालों की जाति संबंधी विवरण नहीं लिखा जाता।

*९९—श्री मुरलीधर कुरील—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उक्त कमेटियों में कौन-कौन सदस्य होते हैं और उनमें से प्रत्येक में कितने-कितने हरिजन सदस्य हैं ?

डाक्टर सीताराम—इन कमेटियों में निम्नलिखित सदस्य होते हैं —

(१) डिवीजन के कमिश्नर (चेयरमैन);
(२) हेडक्वार्टर्स के जिलाधीश;
(३) एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, पी०डब्लू०डी०;
(४) अध्यक्ष, जिला बोर्ड;
(५) विधान सभा के एक सदस्य;
(६) रीजनल ट्रांस्पोर्ट आफिसर (सचिव)।

नोट—केवल बरेली रीजन में एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर के स्थान पर सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर हैं।

इन कमेटियों में कोई हरिजन सदस्य नहीं हैं।

ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर, अमरौधा, जिला कानपुर के विरुद्ध शिकायतें

*१००—श्री त्रिलोकीसिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर, अमरौधा, जिला कानपुर के विरुद्ध कुछ शिकायतें आई हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

पीलीभीत जिलान्तर्गत अमरिया थाने में नरभक्षी शेर का मारा जाना

*१०१—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम जगत, थाना अमरिया, जिला पीलीभीत में आदमखोर शेर कब से लगा है और कितने बच्चे, औरतें व आदमी सन् १९५६ से आज तक उसने मारे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह शेर इस क्षेत्र में सन् १९५६ से लगा था और उसके द्वारा २४ दिसम्बर, १९५७ तक ९ व्यक्ति मारे गये थे। उनमें से कोई औरत या बच्चा नहीं था। गत जनवरी में यह शेर मारा जा चुका है। उसी माह में पीलीभीत जिले के इसी क्षेत्र के आसपास के इलाके में चार और शेर मारे जा चुके हैं।

देवरिया जिले में सलेमपुर सामुदायिक विकास योजनान्तर्गत व्यय

*१०२—श्री उग्रसेन—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले के अन्तर्गत सलेमपुर राष्ट्रीय प्रसार क्षेत्र में पहली पंचवर्षीय योजना में कुल कितना रुपया खर्च हुआ और द्वितीय योजना में कितने खर्च का अनुमान है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सलेमपुर ब्लाक सामुदायिक विकास ब्लाक था। इस ब्लाक में पहली पंचवर्षीय योजना में १७,२१,६३० रुपया व्यय हुआ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जब कि यह ब्लाक नार्मलाइज्ड ब्लाक के रूप में काम कर रहा है इस ब्लाक पर ३,२४,३३३ रु० व्यय होने का अनुमान है।

*१०३—श्री उग्रसेन—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सलेमपुर ब्लाक, देवरिया के ब्लाक-अफसर के वेतन तथा दफ्तर निर्माण में पृथक्-पृथक् कितना रुपया प्रथम पंचवर्षीय योजनान्तर्गत खर्च हुआ और जनहित के कार्यों में कितना व्यय हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सलेमपुर ब्लाक में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पूछे गये खर्चे का ब्योरा इस प्रकार है—

		रु०
(१) ब्लाक अफसर का वेतन	..	१२,२८०
(२) दफ्तर निर्माण ..	..	५,०१४
(३) जनहित सेवा कार्य ..	..	११,७१,१६९

जनहित सेवा कार्य के खर्चे में जनता से श्रम तथा सामान के रूप में प्राप्त ३,६४,९८० ० की लागत का अनुमान शामिल नहीं है।

पीलीभीत जिले की पूरनपुर तहसील में निजी जंगलों का मुआवजा

*१०४—श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—क्या यह सच है कि तहसील पूरनपुर, जिला पीलीभीत में निजी जंगलों का मुआवजा सन् १९५५ से अब तक निश्चित दर से अधिक दर पर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों और कितने व्यक्तियों को ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। तहसील पूरनपुर में निजी जंगलों का मुआवजा सन् १९५५ से अब तक किसी मध्यवर्ती को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम के निदेशों के विपरीत नहीं निर्धारित किया गया। अतएव प्रश्न के शेष भाग का सवाल ही नहीं उठता।

*१०५—श्री बलदेवसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त तहसील के ग्राम बेला, जो जमींदारी की समाप्ति से पहले भू-दान में दिया जा चुका है, के जंगल का मुआवजा उसके पहले जमींदार को दिया गया है ? यदि हां, तो कितना और किस दर से ?

श्री चरणसिंह—ग्राम बेला के जंगल का मुआवजा अभी किसी को दिया ही नहीं गया है। अतएव, प्रश्न के शेष भाग का सवाल ही नहीं उठता।

वाराणसी में राधास्वामी मठ की दीवार पर वारेन हेस्टिंग्स के निवास का संकेत

*१०६—श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को विदित है कि वाराणसी में ज्ञान मंडल कार्यालय के सामने राधास्वामी वाली इमारत के एक कमरे पर एक शिला लगी है जिस पर अंकित है कि सन् १७८३ में वारेन हेस्टिंग्स इसी में कुछ दिन टिका था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, किन्तु शिला राधास्वामी मठ की एक बाहरी दीवार पर लगी है न कि किसी कमरे पर।

आजमगढ़ कलेक्टरी कचहरी की इमारत में गैलरी तथा कुछ दरवाजों का बन्द करना

*१०७—श्री रामपुनीर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि आजमगढ़ कलेक्टरी कचहरी की बीच की गैलरी तथा कोर्ट के कुछ दरवाजे जून सन् १९५७ के अंतिम सप्ताह से कलेक्टर के आदेश से बन्द हैं ?

श्री चरणसिंह—जी हां। गैलरी में खुलनेवाले न्यायालयों के कुछ दरवाजे जून, सन् ५७ के पहले से ही लकड़ी की छड़ों से बन्द हैं। गैलरी में होकर आना जाना जून, ५७ से बन्द किया गया था।

*१०८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त आदेश के विरुद्ध बार एसोसियेशन, आजमगढ़ ने ३-७-५७ को जिलाधीश को कोई प्रस्ताव डेपुटेशन सहित भेजा है? यदि हां, तो उस पर कौनसी कार्यवाही की गई?

श्री चरणसिंह—जी हां। वकीलों के प्रतिनिधि मंडल से विचार विनिमय कर जिलाधीश ने ६ जुलाई, ५७ को अपने पुराने आदेश में यह संशोधन कर दिया है कि विवादग्रस्त गैलरी में होकर जाने की सुविधा वकीलों, मुख्तारों और अहलकारों को उपलब्ध रहे।

*१०९—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कलेक्टरी कचहरी, आजमगढ़ के भवन का निर्माण किस सन् में हुआ था तथा इस प्रकार की घटना इस घटना के पूर्व भी कभी घटित हुई थी?

श्री चरणसिंह—आजमगढ़ कलेक्टरी कचहरी भवन का निर्माण सन् १८३० में हुआ था, यद्यपि इस बात का कोई रेकर्ड नहीं है फिर भी जब-जब आवश्यकता पड़ी है बीच की गैलरी साधारण जनता के लिये बन्द रही है किन्तु वकीलों, मुख्तारों और अहलकारों के लिये सदा खुली रही है और अब भी खुली है।

गोंडा जिले में पशुपालन, मत्स्य सम्वर्धन तथा कुक्कुट पालन के कार्य में ली गई भूमि के संबंध में जानकारी

*११०—श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिला में पिछले दो वर्षों में कितने जोत (Land Holdings) ऐसे हैं जिन पर (क) पशुपालन, (ख) मत्स्य संवर्धन अथवा (ग) कुक्कुट पालन का कार्य हुआ है?

श्री चरणसिंह—यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

*१११—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—क्या यह सही है कि लेखपाल गोंडा जिला में अपने कागजात में पशुपालन, मत्स्य-पालन अथवा कुक्कुट पालन कार्यों का इन्दराज नहीं करते? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया आदेश देगी कि जहां ऐसे कार्य होते हैं उनको इन्दराज अवश्य किया जाय?

श्री चरणसिंह—जी हां।

(क) सरकार इसकी आवश्यकता नहीं समझती।

प्रान्तीय रक्षक दल के जिला संगठनकर्ता का त्याग-पत्र

*११२—श्री गुप्तारसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९५७ से अब तक प्रांतीय रक्षक दल के कितने जिला संगठनकर्त्ताओं ने इस्तीफे दिये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक।

*११३—श्री गुप्तारसिंह—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इनमें कितने इस्तीफे शर्तिया (conditional) थे और कितने बिना किसी शर्त के (unconditional)? क्या किसी जिला संगठनकर्त्ता ने प्रांतीय रक्षक दल के एडमिनिस्ट्रेटिव कमांडेंट के पास भी अपने इस्तीफे के कारणों को स्पष्ट करते हुये आवेदन-पत्र भेजा था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(क) ऊपर बताया गया इस्तीफा शर्तिया था।

(ख) जी हां।

*११४—श्री गुप्तारसिंह—क्या प्रांतीय रक्षक दल के जिला संगठनकर्त्ताओं के इन इस्तीफों के कारणों की जांच हुई है ? यदि नहीं हुई, तो क्या सरकार उन कारणों की निष्पक्ष जांच कराने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां । जांच हो चुकी है ।

अतारांकित प्रश्न

इटावा जिले में वेटरनरी स्टाकमैनों के चुनाव में परिगणित व बैकवर्ड लोग तथा भ्रष्टाचार के मामले

१—श्री गुप्तारसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिला प्लानिंग व लाइव स्टाक आफिसर की ओर से जनवरी, सन् ५६ से जून, ५७ तक कितने स्टाकमैन (वैटरनरी) चुने गये ? उनमें कितने बैकवर्ड व कितने परिगणित जाति के थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इटावा जिले में प्लानिंग व लाइव स्टाक अफसर की ओर से जनवरी, सन् ५६ से जून, सन् ५७ तक दो चुनाव हुए। पहले में एक बैकवर्ड, एक परिगणित तथा दो साधारण और दूसरे में दो बैकवर्ड तथा दो साधारण स्टाकमैन (वैटरनरी) चुने गये ।

२—श्री गुप्तारसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले के सी०आई०डी० विभाग ने शहर के बाहर देहातों में कितने केस भ्रष्टाचार व रिश्वत के पकड़े ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गत तीन वर्षों में इटावा जिले के देहाती क्षेत्र में सी० आई० डी० द्वारा भ्रष्टाचार या रिश्वत का कोई भी मामला नहीं पकड़ा गया वरन् डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस (कम्प्लेंट्स) इटावा ने जून, १९५७ में रिश्वत का एक मामला पकड़ा था, जिसमें अदालती कार्यवाही हो रही है ।

इटावा जिले के कलेक्शन विभाग में पिछड़ी व परिगणित जातियों के अमीन

३—श्री गुप्तारसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा के कलेक्शन विभाग में कुल कितने अमीन हैं तथा उनमें कितने बैकवर्ड व कितने परिगणित जाति से हैं ?

श्री चरणसिंह—इटावा जिले के कलेक्शन विभाग में अमीनों की संख्या १०९ है जिसमें से १४ पिछड़ी जाति (बैकवर्ड) तथा ६ परिगणित जाति के हैं।

रोडवेज इटावा व फर्रुखाबाद डिपो में हरिजन व बैकवर्ड चालक तथा असिस्टेंट जनरल मैनेजर, इटावा की कार का माइलेज

४—श्री गुप्तारसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रोडवेज इटावा व फर्रुखाबाद डिपो में कितने चालक और परिचालक हैं ? उनमें कितने हरिजन व कितने बैकवर्ड हैं ?

डाक्टर सीताराम—इटावा व फर्रुखाबाद डिपों में क्रमशः कुल ४४ व ५४ चालक तथा ४८ व ५२ परिचालक हैं। इटावा डिपो में क्रमशः ४ हरिजन व ११ बैकवर्ड चालक तथा ४ हरिजन व ५ बैकवर्ड परिचालक हैं। फर्रुखाबाद डिपो में क्रमशः ३ हरिजन व ५ बैकवर्ड चालक तथा ५ बैकवर्ड परिचालक हैं।

५—श्री गुप्तारसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रोडवेज इटावा फर्रुखाबाद डिपो में अलग-अलग चालकों और परिचालकों की जनवरी, १९५५ से

जून, १९५७ तक कितनी भर्ती हुई? उसमें कितने इम्प्लायमेंट एक्सचेंज के लिये गये और कितनों को असिस्टेंट जनरल मैनेजर ने स्वयं भर्ती किया?

डाक्टर सीताराम---उक्त अवधि में इटावा व फर्रुखाबाद डिपो में क्रमशः कुल ३७ व ३२ चालक तथा ५४ व ४२ परिचालक भर्ती किये गये। इनमें से क्रमशः १८ व ९ चालक और २३ व १९ परिचालक इम्प्लायमेंट एक्सचेंज के द्वारा तथा क्रमशः १९ व २३ चालक और ३१ व २३ परिचालक असिस्टेंट जनरल मैनेजर द्वारा स्वयं नियुक्त किये गये।

६---श्री गुप्तारसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त असिस्टेंट जनरल मैनेजर, इटावा को दी गई राजकीय कार का माहवारी माइलेज ब्योरा सन् १९५५ से जून, १९५७ तक का क्या है?

डाक्टर सीताराम---वांछित सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ३७१ पर।)

अल्मोड़ा नगरपालिका द्वारा जल-कर लगाये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---श्री गोविन्दसिंह विष्ट का एक कामरोको प्रस्ताव अल्मोड़ा नगरपालिका की तरफ से जो टैक्स लगाया गया है, उसके सम्बन्ध में है। यह कोई अर्जेन्सी का सवाल नहीं है। कई महीने पहले, मैं समझता हूं, शायद पिछले साल ही टैक्स लगा है। इसलिये इसमें अर्जेन्सी का सवाल न होने के कारण प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। मैं इसको पढ़ता भी नहीं हूं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, मुझे कुछ कहने की इजाजत दी जाय। यह टैक्स हाल ही में लगा है और हाल ही में नोटिस आई है। यह सुपरसीडेड म्युनिसिपल बोर्ड है। हमने उनसे निवेदन किया, लेकिन कोई तवज्जह नहीं दी गई।

श्री अध्यक्ष---३ तारीख से यह असेम्बली बैठ रही है। आपको यह पहले यहां रखना चाहिये था। शार्ट नोटिस क्वेश्चन भी आप पूछ सकते थे। जब आपको अपने जिले की पिछली बातें याद आती जाती हैं तो उनको रखते जाते हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---अभी हाल ही में फरवरी के महीने में यह टैक्स मांगा गया है।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, अब मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

बनारस सिल्क मिल लिमिटेड के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री राजनारायण का है। उसमें यह है कि बनारस सिल्क मिल लिमिटेड १९५४ में बन्द हुआ। इसको फिर से चालू करने के संबंध में सरकार ने कोई सिफारिश की और एक अंग शायद चालू हुआ। उसके विषय में वह अब चाहते हैं कि विवाद हो। अगर उनको इसकी अर्जेन्सी मालूम थी तो वह इसको पहले ही दिन प्रश्न पूछ कर ले आते, लेकिन उन्होंने यह नहीं किया। मैं इसकी भी इजाजत नहीं देता।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---यह पहले भी सूचित किया गया है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। परसों हमारे

[श्री राजनारायण]

पास खबर आई कि हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया है । इसलिये मैंने अपने नोट में इस बात को लिख दिया है ।

श्री अध्यक्ष—नोट की बात दूसरी है ।

श्री राजनारायण—आप अलग से चिट्ठी मांगते हैं तो उसी के लिये मैंने नोट लिखा था । अगर सारी तफसील दे दी जाय तो कामरोको प्रस्ताव बड़ा लम्बा हो जायगा । हाई-कोर्ट के विचाराधीन था, जो समाप्त हो गया....

श्री अध्यक्ष—जी नहीं । प्रस्ताव में इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं है । सवाल यह है कि जो प्रश्न उठता है....

श्री राजनारायण—श्रीमन्, ४० लाख रुपये का नुकसान हो रहा है और फिर मैंने पूरी तफसील दे दी थी ।

श्री अध्यक्ष—लेकिन इतना पुराना सवाल हो जाने के बाद यह प्रश्न....

श्री राजनारायण—फैसला तो हाईकोर्ट का अब हुआ ।

श्री अध्यक्ष—वह चीज इसमें लिख देनी चाहिये थी ।

श्री राजनारायण—इसके साथ के नोट में लिख दिया था ।

श्री अध्यक्ष—इसमें यह है कि "गत वर्ष मैंने यह प्रश्न उठाया था तो सरकार की ओर से कहा गया कि मामला हाईकोर्ट के विचाराधीन है । अभी कल मुझे मालूम हुआ कि हाईकोर्ट या किसी कोर्ट में अब यह मामला विचाराधीन नहीं रह गया है । अतः यह प्रश्न विचार के लिये लाया जा सकता है ।" यह आपने नोट में लिखा है । तो यह स्पष्ट ही दिखाई देता है कि कामरोको प्रस्ताव का विषय यह नहीं बन सकता । यह बहुत पुराना मामला हो गया है ।

सिविल इंजीनियरिंग स्कूल, चंदौली जिला वाराणसी के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—तीसरा कामरोको प्रस्ताव बलवान सिंह जी का है कि जिला वाराणसी बनारस जिलान्तर्गत चंदौली में करीब ९ लाख रुपये की लागत से बनाये गये सिविल इंजीनियरिंग स्कूल में घटिया किस्म का सामान लगा है जिससे दीवालें फट रही हैं । यह भी निश्चित विषय नहीं है और इसलिये कामरोको प्रस्ताव का विषय हो नहीं सकता । मैं इसकी भी इजाजत नहीं देता हूं ।

पलिया कालोनी के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—चौथा कामरोको प्रस्ताव पलिया कालोनी के विषय में है । मैंने पहले दो कामरोको प्रस्ताव इस विषय पर नामंजूर कर दिये हैं । फिर यह तीसरा बंशीधर शुक्ल जी ने भेजा है । मैं इसको पढ़ कर नहीं सुनाता हूं और यह भी नामंजूर करता हूं ।

पूर्वी जिलों में स्थित चीनी मिलों की स्थिति पर विवादार्थ समय निर्धारण की मांग

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, पिछले १० दिनों के अंदर प्रदेश के पूर्वी अंचल से शुगर इंडस्ट्री के बारे में काफी परेशानी पैदा करने वाली खबरें आती रही हैं । उनका उद्गार इस सदन में भी हो रहा है । इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार

से यह चाहूंगा कि अगर शुगर इंडस्ट्री के बारे में और केन ग्रोअर्स के बारे में वह कोई सर्वांगपूर्ण वक्तव्य इस सदन में दें और उस पर हम लोगों को भी मौका मिले अपनी बात कहने का तो बड़ा अच्छा हो जाय। मैं समझता हूं कि भटनी, रामकोला, सरदारनगर, शिवरही ही आदि मिलों की बातें आप के सामने पेश की जा चुकी हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि यदि सम्भव हो तो यह मौका सदन को अवश्य दिया जाय।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—मैं क्या मौका दूं हुजूर, यह तो कुदरत मौका दे रही है। १७ तारीख को मौका है। बजट पेश होगा, उस पर जेनरल डिस्कशन भी होगा, उसमें शुगर का मामला भी है और इंडस्ट्रीज का भी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—यह जो कुछ कहते हैं वह सब कुदरत के हुक्म से ही कहते हैं।

*लेखा परीक्षा (आडिट) रिपोर्ट, १९५७ (भाग १)

श्री अध्यक्ष—अब माननीय वित्त मंत्री लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९५७ को सदन की मेज पर रखेंगे।

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सरकार की लेखा परीक्षा (आडिट) रिपोर्ट, १९५७ ई० (भाग १) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—यह अंग्रेजी में है या हिन्दी में?

श्री अध्यक्ष—दोनों में है। अंग्रेजी में भी है और हिन्दी में भी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—हमारे पास तो है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष—वह वहीं पर रखा हुआ है, जहां कि रखा जाता है। उसका नाम लेना मैं ठीक नहीं समझता। (हंसी)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, पिजन होल में भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—रखी है, आप जाकर देख लें। जो आपके नाम की आलमारी है, उसमें रखी हुई है।

शनिवार, १५ और २२ फरवरी तथा मार्च १, १५ और २२ को सभा के उपवेशन करने के संबंध में संकल्प

†मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं:—

"उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम ११ के उप-नियम (२) के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा की बैठक शनिवार को नहीं होती। परन्तु वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के द्वितीय पूरक अनुदानों तथा वित्तीय वर्ष १९५८–५९ के आय-व्ययक तथा उनसे सम्बन्धित विनियोग विधेयकों को यथासमय पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह सदन यह निश्चय करता है कि इस सदन की बैठक अपने नियमित समय पर शनिवार, दिनांक १५ व २२ फरवरी, १९५८ तथा मार्च १, १५ एवं २२, १९५८ को भी होगी।"

---

*छापी नहीं गई।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

इसके सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि ज्यादा निवेदन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही परम्परा बराबर रही भी है। ३१ मार्च तक बजट पास करना है, इसलिये मैं आशा करता हूं कि सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष—(श्री जगन्नाथ लहरी से) आप संशोधन ला रहे हैं ?

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—जी हां।

आदरणीय मुख्य मंत्री जी के संकल्प में मैं आपकी अनुमति से निम्न संशोधन पेश करता हूं—

"प्रथम पंक्ति में 'उपनियम (२)' के स्थान पर 'उपनियम (१)' रख दिये जायं।"

द्वितीय पंक्ति में शब्द 'बैठक' के बाद शब्द 'शनिवार' को निकाल कर '५ बजे उपरान्त' रख दिये जायं।

छठी व सातवीं पंक्तियों में शब्द 'शनिवार' से आगे के शब्द निकाल दिये जायं तथा उनके स्थान पर शब्द 'के उपरान्त भी प्रतिदिन १ घंटे अधिक होगी' रख दिये जायं।

यह मेरा संशोधन है और मैं समझता हूं कि जिस उद्देश्य से माननीय मुख्य मंत्री जी शनिवार को भी बैठक करने का प्रस्ताव लाये हैं, मेरे एक घंटा समय बढ़ाने के हिसाब से, उनका वह उद्देश्य पूरा हो जाता है।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं। मान्यवर, जब इस सदन का यह नियम है कि शनिवार को बैठक न होगी तो जिस समय तक नियम ११ निलम्बित न किया जाय, कोई भी प्रस्ताव इस नियम के अनुसार नहीं लिया जा सकता है कि शनिवार को बैठक होगी। यह प्रस्ताव नियम के अनुसार नहीं मालूम होता है।

दूसरी बात मैं मान्यवर की सेवा में और निवेदन कर दूं। जब कभी किसी नियम को निलम्बित किया जाता है तो बिजनेस उसके सिलसिले का सदन के सामने होता है। केवल एंटिसिपेशन में कि कल क्या होगा या और किसी दिन क्या होगा, कोई प्रस्ताव नियम के अनुसार नहीं हो सकता। इसलिये मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करता हूं कि यह संकल्प नियमानुसार नहीं है।

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, जहां तक कि नियम के बाद "११" छूट गया है, उसे तो ११ कर दिया जाना चाहिये, वहां तक तो बात सही है, लेकिन जहां तक प्वाइंट आफ आर्डर की बात कही गयी है उसके लिये मैं एक अंग्रेजी की कहावत कहता हूं, "I appeal from Phillip drunk to Phillip sober."

इसका अर्थ यह है माननीय त्रिलोकी सिंह देख लें कि वे पिछले सालों से खुद क्या करते आये हैं। वे यहां बहुत दिनों से सदस्य हैं और यहां की परम्पराओं की जानकारी उनको भी उतनी ही है जितनी कि मुझको है। हर साल ऐसा होता रहा है। मैं समझता हूं इसमें कोई महत्त्व की चीज नहीं है। महज नियम को निलम्बित करने का प्रस्ताव मैंने रखा है, यह सदन अपनी प्रक्रिया का पूरा स्वामी है, इसलिये मैं समझता हूं कि इसमें दिक्कत की कोई चीज नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं, आप के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी को, स्मरण कराऊंगा कि उनको स्वतः बहुत गम्भीरता के साथ माननीय त्रिलोकीसिंह जी के प्वाइंट आफ आर्डर पर विचार करना चाहिये था और उसका स्पष्टीकरण...

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--उस पर तो मैं विचार करूंगा ।

श्री राजनारायण--मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि इस नियमावली के अनुसार सरकार को हर सोमवार को एक सप्ताह का प्रोग्राम देना होता है और यदि कभी कोई आवश्यक कार्य हुआ तो उस के लिये कोई गैर-सरकारी दिन या छुट्टी का दिन सरकारी कार्य-क्रम में शामिल किया जाता रहा है, लेकिन एक दम यह प्रस्ताव करना कि जितने शनिवार हों वह सब, चाहे काम हो या न हो, चाहे समय से पहले ही बिल पारित हो जाते हों, उस परिस्थिति में यह प्रस्ताव गैरकानूनी, अवैध और परम्परा के विरुद्ध है । कोई ऐसा जनरल प्रस्ताव नहीं आ सकता कि इस बैठक में जितने शनिवार हों वह सब जोड़ दिये जायं । आप स्वयं देखें कि इसमें माननीय सदस्यों को कितनी दिक्कत होगी और साथ ही साथ नियमों की अवहेलना होगी ।

एक तो प्रत्येक सप्ताह के आरम्भ में सरकार को सोमवार को जो कार्य-क्रम बताना है उसको भी उसने पहले ही समझ लिया, उसको भी देने की जरूरत नहीं रही ।

दूसरे सदन की जितने दिन की बैठक हो, मालूम होता है कि वह एक सामान्य परम्परा बनाना चाहते हैं कि शनिवार की छुट्टी न हुआ करे । मैं बताता हूं कि यह शनिवार की छुट्टी केवल स्कूल कालेज के विद्यार्थियों को छुट्टी नहीं है । उस दिन माननीय सदस्यों को बिलों के पढ़ने लिखने और विचार करने का अवसर मिलता है । अगर प्रत्येक शनिवार को, चाहे आवश्यकता हो या न हो, सरकार बराबर सरकारी काम के लिये लेगी तो किस तरह से सदन के सम्मानित सदस्य अपने कर्त्तव्य का पालन कर पायेंगे ? जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें यह चर्चा आई थी और आज भी विरोधी दलों के नेताओं का बुलावा है, शायद लोग जायं । वहीं पर इस तरह की नीति की तमाम बातों पर पहले विचार हो जाना चाहिये था, लेकिन आज यकायक २ मास के शनिवारों का प्रस्ताव आगया । मैं समझता हूं कि हर दृष्टिकोण से इसे हमें स्वीकार नहीं करना चाहिये और इसे माननीय मुख्य मंत्री जी को वापस लेना चाहिये । उन्हें सब से बात करना चाहिये और जो बिल सरकार की गलती के कारण देरी से आये हैं, उनकी उस गलती की जिम्मेदारी हम भी उठाने को तैयार हैं । बैठकर सब दल के लोग विचार कर सकते हैं, लेकिन यह प्रस्ताव कि हर शनिवार को बैठक हो बिलकुल अवैध, परम्परा विरुद्ध और हर दशा में नियम विरुद्ध है ।

श्री श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विषय इस समय विचाराधीन है उस सम्बन्ध में मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूं । मैं ऐसा समझता हूं कि अगर एक सुझाव को माननीय मुख्य मंत्री जी स्वीकार कर लें तो कोई विधान का प्रश्न भी नहीं रहता और एक सर्वसम्मत निर्णय भी हो सकता है । विधान के सम्बन्ध में जो प्रश्न राजनारायण जी ने उठाया है मेरी भी सूचना यह है कि इस सम्बन्ध में शनिवार को बैठक हो या न हो, कोई बातचीत माननीय मुख्य मंत्री जी से होने वाली है, उस बातचीत को ध्यान में रखते हुए, इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी केवल अगले शनिवार का प्रस्ताव करें और बाकी का प्रस्ताव वापस ले लें । इसलिये मैं अपील करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी की कहावत के अनुसार कि "I appeal from Phillip drunk to Phillip sober." वह इसको मान लें ।

श्री अध्यक्ष--जो प्वाइंट आफ आर्डर श्री त्रिलोकीसिंह जी ने उठाया है, उस पर पहले फैसला होना है ।

उनका कहना यह है कि कोई भी जब तक नियम निलम्बित नहीं हो जाय तब तक प्रस्ताव का दूसरा भाग नहीं उठ सकता ।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—अध्यक्ष महोदय, आपके फैसला देने के पहले मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं .....

श्री अध्यक्ष—आप नियम के बारे में कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां—जी हां। मैं इस बात के मुताल्लिक तो कुछ नहीं कहूंगा कि इसकी मेरिट्स क्या है, यह तो नेता सदन ने बतलाया है। यह जो बात कही गयी कि ऐसा होना ठीक नहीं है, तो मैं रूल २२१ की तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं—

"221. *Suspension of Rules*—Any member may, with the consent of the Speaker, move that any rule may be suspended in its application to a particular motion before the House and if the motion is carried, the rule in question shall be suspended for the time being."

इसके माने यह हैं कि एक हाउस के मेम्बर को अख्तियार है कि अगर किसी सिलसिले में रूल हमारा मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति पैदा हो जाय जिसमें उस रूल के मातहत काम करने में दिक्कत पैदा हो, तो उसको हक है कि आपकी तवज्जह उस तरफ दिला सके और आप उसको सस्पेंड कर दें और रूल ११ (२) अपनी जगह पर नहीं रहेगा। फिर कार्यवाही वैसे ही की जायगी जैसे इस रूल के मातहत हाउस फैसला करे।

श्री अध्यक्ष—माननीय सुल्तान आलम खां साहब ने जो बात कही है उसमें उन्हें कुछ गलतफहमी हो गयी है। रूल २२१ में स्पष्ट दिया हुआ है कि कोई सदस्य यह मूव कर सकता है, प्रस्ताव ला सकता है कि फलां नियम निलम्बित किया जाय और जब निलम्बित किया जाय तो इस दृष्टि से किया जाय कि उसका ऐप्लीकेशन किसी विचाराधीन प्रस्ताव के ऊपर न लागू हो, इस तरह से वह निलम्बित कर दिया जाय। इस तरह के शब्द नियम में हैं। यह उनका आक्षेप था कि प्रस्ताव में कहीं यह चीज नहीं है कि फलां नियम को निलम्बित कर दिया जाय और उसकी एवज में फलां कार्य के लिये शनिवार को मीटिंग हो। यह शब्द किसी रूप में प्रस्ताव में आ जाने चाहिये थे।

जहां तक टेक्नीकल रूल नियम की है तो मैं साफ कह सकता हूं कि विरोधी दल के नेता ने जो एतराज उठाया उसमें सार है, लेकिन उसके साथ साथ वे देखें कि नियम २२१ में यह भी आगे दिया हुआ है—

"The Speaker shall decide the procedure to be followed in lieu of that contained in the suspended rule." तो उसके लिये क्या प्रोसीजर होना चाहिये, यह जब नियम सस्पेंड हो जाय तब स्पीकर स्वयं तय करेगा। इस तरह का पहले भी कई दफा प्रश्न सामने आ चुका और यह प्रोसीजर तय किया गया कि इस तरह का प्रस्ताव जब कभी शनिवार वगैरह की बैठक के लिये हो तो उसमें उस नियम का जिस नियम को निलम्बित करना है, उसका जिक्र कर दिया जाय कि उसमें क्या बात है और प्रस्ताव में फिर यह बताया जाय कि उसकी एवज में यह काम किया जाय और सदन से ही राय ले ली जाय। एक दफा नियम निलम्बित कराना और बाद में आये फिर स्पीकर उसका प्रोसीजर तय करे इस प्रकार दोहरा काम होने के बजाय हमने यह तरीका आज तक माना है। तो मैं समझता हूं कि जो प्रोसीजर अभी तक माना गया है वही प्रोसीजर मैं पहले तय कर चुका हूं और उसी के अनुसार इस प्रकार का प्रस्ताव कोई अवैध नहीं है। इसका मतलब ही यह है कि नियम ११ निलम्बित होगा और उसकी जगह वह कार्यवाही होगी, जो सदन अभी फैसला करेगा कि शनिवार को बैठक होगी या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि नियम निलम्बित न किया जाय तो आप इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दें और यह भी कर सकते हैं कि जो दूसरा तरीका श्री जगन्नाथ लहरी जी ने कहा कि शनिवार को न बैठ कर रोजाना बैठक का एक-एक घंटा बढ़ा दिया जाय। उसमें सब रूल (१) निलम्बित होगा और (२) नहीं निलम्बित होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह कार्य कौन सा है जिस कार्य के लिये यह काम किया जाता है ? वह कार्य है बजट का पास होना। वह प्रस्ताव में लिखा हुआ है।

मैं समझता हूं कि इसमें कोई अवैधानिकता नहीं है।

श्री त्रिलोकीसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करूं। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। किन्तु, मान्यवर का ध्यान मैं उसी सस्पेंशन आफ रूल के नियम २२१ की तरफ दिलाना चाहता हूं। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि सस्पेंशन हो सकता है किसी नियम का। उसी प्रश्न के सम्बन्ध में जो हाउस के सामने हो। आज इस आदरणीय सदन के सामने बजट का कोई प्रश्न नहीं उपस्थित है। जब यह आये तब लिया जा सकता है, लेकिन हम इन ऐंटीसीपेशन सस्पेंड कर दें यह रूल २२१ के अन्तर्गत नहीं होगा।

यदि, मान्यवर, उसे गौर से पढ़ें, मैंने अर्ज कर दिया है सस्पेंशन होता है "may be suspended in its application to a particular motion before the House."

श्री अध्यक्ष—तो मोशन यह है हाउस के सामने। यह जो दिक्कत होती है, उसी प्वाइंट आफ व्यू से उन्होंने यह मोशन दिया है कि उस नियम को सस्पेंड कर दिया जाय। यह डेफिनिट मोशन है कि फलां फलां तारीख को, शनिवार को बैठें। इस मोशन के लिये ग्यारहवां नियम बाधक है। तो वह सस्पेंड हो जाता है। मैंने दोनों को मिला दिया।

श्री त्रिलोकीसिंह—मेरे अर्ज करने का मंशा यह है कि मोशन होगा बजट का।

श्री अध्यक्ष—कोई जरूरी नहीं है। कोई मोशन अगर ले आयें उस मोशन की ऐप्लीकेशन के लिये भी हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि कोई मोशन पहले से सदन में मौजूद हो। वह भी एक तरीका हो सकता है कि अगर कोई मोशन सामने चल रहा हो और उसके बीच में यह प्रस्ताव कर दें कि इस मोशन के लिये फलां रूल लागू न हो। यह भी एक प्रस्ताव आ सकता है। लेकिन यह भी हो सकता है कि कोई मोशन सदस्य पेश करें और उस मोशन के लिये अगर कोई नियम हायल होता हो तो उसको सस्पेंड करने का प्रस्ताव करे, उस तरीके के लिये इसमें बाधा नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, दूसरा प्वाइंट आफ आर्डर मेरा है। मैं नियम ७६ की ओर आप का ध्यान दिलाऊंगा जिसके अनुसार सरकार अगर कोई प्रस्ताव लाना चाहती है तो सात दिन का नोटिस देगी और सेक्रेटरी महोदय उस प्रस्ताव की कापियां ४८ घंटे पहले हमारे पास भेज देंगे। तो प्रस्ताव की सूचना हमें केवल आज जब एजेंडा हमारे सामने कमरे में पहुंचा तब मिली।

श्री अध्यक्ष—इसमें एक तो यह है कि नोटिस के लिये आप कह ही नहीं सकते क्योंकि कार्यक्रम का जो नोटिस दिया गया है उसमें शुरू से ही यह दिया गया था।

"यदि विधान सभा ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि इन दिनों, जो कि शनिवार हैं, विधान सभा की बैठकें हों। यदि विधान सभा ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि इन दिनों, जो कि क्रमशः महीने के चतुर्थ एवं द्वितीय शुक्रवार हैं, असरकारी कार्य के लिये उसके स्थान पर सरकारी कार्य हों।"

दूसरे नियम १७३ में दिया हुआ है—

"Motion for suspension of a rule".

यह बिना नोटिस के आ सकता है। इसमें सिर्फ मेरी इजाजत लेनी पड़ेगी। वह इजाजत ले कर ही कार्य हो रहा है। इसमें कोई वैधानिक आपत्ति की बात नहीं है।

श्री राजनारायण—हमारे प्रश्न का जवाब नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष—उस पर मुख्य मंत्री जी विचार करेंगे ।

श्री राजनारायण—तो प्रस्ताव इस समय नहीं आयेगा न ?

श्री अध्यक्ष—वह तो वैधानिक आपत्ति अभी हटाई है मैंने । आपकी प्रार्थना जो है उस पर तो माननीय मुख्य मंत्री जी विचार करेंगे ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, दूसरा जो वैधानिक प्रश्न रखा था मैंने उसका जवाब नहीं दिया । दूसरा प्रश्न यह है कि क्या किसी अनावश्यक बात के लिये भी कोई नियम को निलम्बित करने का प्रस्ताव हो सकता है ? क्योंकि इसकी इस समय कोई आवश्यकता नहीं है । अभी बजट भी यह सरकार पेश करेगी या नहीं इसमें भी संदेह है . . . .

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें । यह वैधानिक आपत्ति नहीं है । आवश्यक है या नहीं आवश्यक है, यह सदन तय करेगा । अगर अनावश्यक है तो सदन उसको अस्वीकार कर देगा । सिर्फ राजनारायण जी उसको अनावश्यक समझते हैं, इसलिये सदन भी समझता है, यह बात नहीं है ।

श्री राजनारायण—इस समय तो श्रीमन्, मैं आप से ही अपील कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—मैं उसको तय नहीं करता हूं । मैं तो सदन के ऊपर उस चीज को छोड़ता हूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं आपकी आज्ञा से एक मोशन यह पेश करना चाहता हूं कि यह २२१ नियम, जो सस्पेंशन आफ रूल्स का है वही सस्पेंड कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—जी हां, आप कर सकते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव यह है कि जो संकल्प माननीय मुख्य मंत्री जी का आया है सस्पेंशन आफ रूल्स के लिये, शनिवार के लिये, वह रूल ही सस्पेंड कर दिया जाय, यानी सस्पेंशन आफ रूल्स ही न हो । तो मेरा यह प्रस्ताव है कि रूल २२१ सस्पेंड कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम २२१ निलम्बित कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में —७९,

विपक्ष में—१५६ ।)

श्री अध्यक्ष—दूसरा प्रश्न माननीय मुख्य मंत्री के विचार के लिये उनके सामने रखे देता हूं । श्री पालीवाल जी ने उनसे अपील की है कि शाम को जो सब दलों के नेताओं की मीटिंग मुख्य मंत्री जी ने बुलाई है वहां इस पर विचार हो जाय और वहां निर्णय होने के बाद कल यह प्रस्ताव ले लिया जाय । इस विषय में माननीय मुख्य मंत्री जी की राय मैं जानना चाहता हूं ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, माननीय पालीवाल जी को मेरा वह पत्र तो याद होगा जिसके द्वारा उनको और दूसरे विरोधी दलों के नेताओं को मैंने कष्ट दिया है । उसमें मैंने खासतौर से इस बात का जिक्र किया है कि क्वेश्चन आवर का ठीक-ठीक उपयोग कैसे हो, इस प्रश्न पर विचार किया जायगा और यहां माननीय झारखंडेराय जी ने भी परसों या नरसों इसी बात का जिक्र किया था । तो हम लोग खासतौर से आज शाम को प्रश्नों के सम्बन्ध में ही मिलने वाले हैं । इस सम्बन्ध में मैं और क्या कह सकता हूं सिवाय इसके कि जो यहां पुराने सदस्य हैं उनको मालूम है कि, आज नहीं सालों से यह परम्परा रही है कि बजट के जमाने में

शनिवार और नान-आफिशियल डे दोनों को हम ले लेते रहे हैं। मैं कोई कारण नहीं देखता कि पुरानी परम्परा को हम छोड़ दें जबकि हमारा खयाल है कि ३१ तारीख तक, हम बजट तब तक पास नहीं कर सकते जब तक कि जो प्रस्ताव हमने रखा है उसे पास न किया जाय।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय मुख्य मंत्री जी की कठिनाई को ध्यान में रख कर ही मैंने उनसे यह अपील की है। हमारा सुझाव यह है कि शनिवार को लेने के बजाय प्रति दिन १ घंटा रोज ५ से ६ बजे तक कार्यवाही अधिक हो तो जो ५ घंटे की कार्यवाही होती है उसी से यह शनिवार बच जाता है। इस पर विचार किया जायगा यह सूचना मुझे मिली थी और अगर माननीय मुख्य मंत्री जी विचार करने को तैयार हों तो कल के लिये इस पर निर्णय स्थगित किया जा सकता है।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव का मैं विरोध करूं। यह सही है जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि शुक्र और शनिवार को भी बजट के दिनों में असेम्बली की बैठक हुआ करती थी और सरकारी कार्यवाही होती थी, लेकिन हमको यह भी विदित है कि पिछले कुछ समय से सरकार जितनी बेरहमी के साथ काम कर रही है उतनी पहले कभी नहीं करती थी। अगर अन्याय करती थी तो याद दिलाने के बाद उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से उत्तर भी देती थी, लेकिन आज माननीय राजस्व मंत्री और दूसरे मिनिस्टर साहबान जो जवाब इस वक्त दे रहे हैं और जिस ढंग से कानून बना हुआ है उसको भंग कर रहे हैं और सारी मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं उस सबको देखते हुए मैं मजबूर हूं कि माननीय मंत्री जी के इस प्रस्ताव का विरोध करूं। यह बात सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी शनिवार या इतवार को भी बैठना चाहें और रात को भी बैठना चाहें तो प्रस्ताव तो पास हो ही जायगा, लेकिन हम अपनी फीलिंग को जरूर उनकी सेवा में भेज देना चाहते हैं और कह देना चाहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं और जो उत्तर सरकार समय-समय पर देती है उससे हमें घोर असंतोष है।

अभी माननीय झारखंडे राय जी ने कहा कि गन्ने वालों का प्रश्न बड़ा विकट प्रश्न है और आज वह स्थिति हो गई है कि सरकार उस पर थोड़ा सा समय दे दे ताकि उस पर विचार कर लिया जाय, लेकिन माननीय इंडस्ट्री मिनिस्टर, जिनके लिये हमारी निगाहों में बड़ी इज्जत है, हम उनको बुजुर्ग समझते हैं, वह हमको बच्चा समझें, तब भी एतराज नहीं है, उन्होंने मेहरबानी नहीं की। इतने बड़े इश्यू पर बिना हमसे सलाह लिये केन्द्रीय सरकार को सलाह दे दी कि गन्ने की कीमत १ रुपया ५ आने और १ रुपया ७ आने करदी जाय, जोकि हर्गिज नहीं की जानी चाहिये थी। आज भूख से मरने पर चर्चा करते हैं तो हम पर डांट पड़ती है। इसलिये हम इस मूड में नहीं हैं, हम इसको बिलकुल सोच नहीं सकते कि शनिवार और शुक्रवार को बैठक करके ये दो-तीन शुक्रवार और शनिवार उनको दें। इन दिनों में तो हम सरकार को कुछ ठीक रास्ते पर ले आने के लिये गैर-सरकारी प्रस्ताव ले आयेंगे और यदि सरकार विचलित हो रही हो, बे रास्ते जा रही हो तो उसको रास्ते पर लाने के लिये हम सदस्यों को समझाने की चेष्टा करेंगे, हम उनकी जानकारी में ले आने की चेष्टा करेंगे, इस सदन से सरकार को दुरुस्त कराने की कोशिश करेंगे और यह कोशिश जरूर करेंगे कि इन तरीकों से हम उनको दुरुस्त कर पायें। अगर उसके बाद हम सरकार को रास्ते पर न ले आ सकें तो फिर दूसरी तरकीब सोचनी पड़ेगी। इसलिये मैं समझता हूं कि ये शुक्रवार और शनिवार इस बजट अधिवेशन में हर्गिज न लिये जायं।

श्री अध्यक्ष—मतलब यह है कि पहले तो मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि जो सुझाव श्री पालीवाल जी ने दिया था वह मुख्य मंत्री जी को मान्य नहीं है। अब यह संशोधन आपके सामने है और प्रस्ताव सामने है। मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं जिसमें आपको बहस करने में और सहूलियत हो।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

इस संशोधन का मतलब यह होता है कि एक-एक घंटा रोजाना बैठक बढ़ा देने से १५-२० घंटे अधिक बहस होगी। अनुदानों के ऊपर मत लेने के लिये २१ रोज रखे हुए हैं। अगर ३ शनिवार इसमें से हटा दिये जायं तो १८ रोज अनुदानों पर बहस होगी। १८ रोज में १८ घंटे ज्यादा मिलेंगे, तो २१ की जगह १८ रोज उसमें मिलेंगे और आम बहस के लिये ४ की जगह ३ रोज मिलेंगे और एक घंटा यहां भी ज्यादा बढ़ेगा तो इस तरह से ३ घंटे बढ़ करके २१ घंटे अधिक हो जायेंगे जो ४ शनिवार से भी अधिक समय होगा। अब पांचवां शनिवार १५ तारीख वाला शनिवार रह गया, उसके लिये श्री जगन्नाथ लहरी जी का जो संशोधन है उसमें कोई गुंजायश नहीं है। बाकी सब की गुंजायश, जहां तक बहस के घंटों या समय का सवाल है, उसमें हो जाती है। लेकिन यह जरूर है कि उनके संशोधन के अनुसार २१ की जगह १८ दिन उसमें मतदान के लिये होंगे और ४ की जगह ३ रोज आम बहस के लिये होंगे। इन सब बातों को सामने रख कर माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, मुझे बड़े दुःख के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी के इस संकल्प का विरोध करना पड़ रहा है। सब से अधिक दुःख का विषय यह है कि शनिवार की बैठक का प्रश्न बहुत दिनों से चल रहा है। जहां तक मुझे सूचना है यह प्रश्न बिजनेस ऐडवायजरी कमेटी में उठा था और वहां इस प्रकार की बात चीत हुई थी और यह भी सुझाव आया था कि आप लोग जो समय के लिये चाहते हैं तो दैनिक बैठक में एक घंटे का समय बढ़ा दिया जाय और मुझे जो सूचना मिली है वह यह है कि .....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में क्या कहा गया है, इसका जिक्र नहीं होना चाहिये।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---श्रीमन्, मैं केवल उदाहरण के लिये कह रहा हूं। यह देखकर, वुडन ऐटीट्यूड की तरह शनिवार के प्रश्न पर विरोधी दल की बात न मानी जाय, बड़ा दुःख हुआ। श्री पालीवाल जी का सुझाव बहुत सुन्दर था कि जब हम सब बात करेंगे तो १० मिनट इस पर भी विचार कर लें, लेकिन मालूम नहीं माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसे क्यों स्वीकार नहीं किया। मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि लहरी जी का जो सुझाव है कि एक घंटे का समय बढ़ा दिया जाय उसमें सब को सहूलियत है और कार्य की अधिकता के कारण जो शनिवार मांगे जा रहे हैं वह भी बात पूरी हो जाती है। इसलिये इसको स्वीकार करने में उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। शनिवार और इतवार का जो प्रश्न है उसे हम बजट अधिवेशन में अध्ययन के लिये, पढ़ने के लिये और कुछ आवश्यक कार्यों के लिये लेना चाहते हैं। इसलिये यह दोनों ओर की सहूलियत के लिये बड़ा व्यावहारिक सुझाव है और सरकार को मान लेना चाहिये और हठ के आधार पर जो थोड़ा सा आपस का विरोधाभास खड़ा होता है उसको रोकना चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि उनको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, श्री पालीवाल जी ने जो प्रस्ताव अभी हमारे सामने रखा था उसका माननीय मुख्य मंत्री जी ने विरोध किया। इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि मुझे उनसे ऐसी आशा नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से मुख्य मंत्री जी द्वारा स्थापित जैसी परम्परा रही उसको देखते हुये मुझे उनके आज के रुख से आश्चर्य हुआ। एक व्यावहारिक सुझाव पालीवाल जी का था कि हम प्रश्नों के विषय पर जब आज शाम को बैठेंगे तो उस समय इस पर विचार करलें और एक मिली जुली चीज पैदा कर के कल कोई प्रस्ताव सदन के समक्ष लाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने इसका विरोध करना उचित समझा। अतः जो संकल्प मुख्य मंत्री जी द्वारा पेश किया गया है, मैं उसका विरोध करना चाहता हूं। इसलिये करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने परम्परा की बात कही है। परम्परायें जो कायम होती हैं वह कभी गलत भी होती हैं और कभी सही भी होती हैं। यह परम्परा चाहे जब से भी रही हो, गलत रही है। आप को याद होगा कि जब जब ऐसा प्रस्ताव आया तो हम लोगों की तरफ से उसका

विरोध किया गया है और प्रार्थना की गई है कि दो चार दिन पहले बैठक बुला ली जाती है तो समय की दिक्कत पैदा होती है। इस पर कई मर्तबा यह चीज पैदा हुई है। इसलिये परम्परा के नाम पर शुक्रवार और शनिवार लेने की बात में उचित नहीं समझता हूं और मैं विरोध करता हूं। वैसे अब कोई चारा नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि कोई रास्ता निकाला जाय और यह माननीय मुख्य मंत्री जी के ऊपर है कि वह श्री पालीवाल जी के सुझाव को स्वीकार करके कोई रास्ता निकालने का प्रयास करें ताकि कोई कठिनाई पैदा न हो। अन्त में मैं यही आशा करते हुये बैठ जाता हूं कि मुख्य मंत्री जी कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका विरोध करता हूं और मेरे विरोध करने के कारण हैं। पहली बात तो यह है कि जहां तक मुझे जानकारी है और मैं आप के द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि हम अपनी स्मरण-शक्ति को पुनः ताजा करें। पहले किसी भी बजट अधिवेशन में सम्पूर्ण शुक्रवार और शनिवार ले लिये गये हों, मुझे याद नहीं है। हां, यह सही है कि जब जरूरत पड़ती है तो सरकार ऐसा प्रस्ताव लाती रहती है कि हम आज का 'सैटरडे'' चाहते हैं और जरूर सरकार ने अपने मत के प्रभाव से ले लिया है। तो परम्परा की दुहाई देकर कि जब-जब यह अधिवेशन हुआ है तब-तब सम्पूर्ण शनिवार और शुक्रवार ले लिये गये हैं यहां पर ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। मुझे याद है कि जब श्री गोविन्दवल्लभ पंत जी यहां मुख्य मंत्री थे तो शनिवार या शुक्रवार को लेने के लिये इस तरह से प्रस्ताव नहीं आते थे। जितने दिन तक वे मुख्य मंत्री रहे और जितने दिन तक माननीय सम्पूर्णानन्द जी मुख्य मंत्री हैं, अगर यह औसत निकाल कर देखा जाय तो इस सरकार के समय में शनिवार का लिया जाना, मैं समझता हूं, उनके समय से कम से कम दुगना तो जरूर होगा। यह शोभा की बात नहीं है।

श्रीमन्, अब मैं आप के द्वारा यह निवेदन करूंगा कि सदन के सम्मानित सदस्य देखें कि यह शनिवार को छुट्टी की व्यवस्था क्यों है? यह इसलिये है कि सदन के सम्मानित सदस्य जो विधान सभा की कार्यवाहियां आगे होने वाली हों, उनके सम्बन्ध में विचार विनिमय करें, आवश्यक अध्ययन करें और उसके अनुरूप सदन में विवाद प्रस्तुत करें। परन्तु यदि शनिवार को लेने का सामान्य नियम बन जाय तो मैं समझता हूं कि आगे जो नियमावली बनेगी उसमें अब शनिवार की छुट्टी की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी क्योंकि अब तो हर मौके पर सरकार ने शायद अपना यह नजरिया बना रखा है कि शनिवार तो हमारा दिन है ही और जैसे चाहेंगे वैसे ले लेंगे।

श्रीमन्, बड़ा हल्ला हो रहा है सदन में।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्यगण जरा शान्त हो जायं, माननीय राजनारायण जी को काफी जोर से बोलना पड़ रहा है।

श्री राजनारायण—दूसरी बात यह है कि अगर बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी का कुछ भी महत्व है तो क्या बिना उससे पूछे माननीय मुख्य मंत्री जी ऐसा कह सकते हैं। श्रीमन्, कल जब आप नहीं थे तो दो बिल और हम लोगों के ऊपर भार स्वरूप दे दिये गये। सरकार स्वतः निश्चित नहीं है कि क्या सरकारी कार्यक्रम हो। ऐसी हालत में आज यह प्रस्ताव प्रस्तुत करना क्या अधिकार का दुरुपयोग नहीं है? निश्चित ही यह अधिकार का दुरुपयोग है। जब अनुदानों पर वादविवाद होगा तो नेता विरोधी दल की सम्मति से समय का बंटन होगा कि किस अनुदान पर कितना समय लिया जाय। इसका भी मौका माननीय मुख्य मंत्री जी ने नहीं दिया। हो सकता है उसी में कुछ गुंजायश निकल आये। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुये एक बात मैं और निवेदन करूंगा जो माननीय गेंदासिंह जी ने कहा, वह भी एक विचारणीय प्रश्न है। प्रदेश की खाद्य समस्या बिगड़ती चली जाय, इसके लिये सरकार के पास समय नहीं है। आम की गुठली खा कर लोग मरते चले जायं, इसके लिये सरकार के पास समय नहीं है। श्रीमन्, मैं आप से निवेदन करूंगा कि नगर निगम

[श्री राजनारायण]

विधेयक जब कि उस समय संयुक्त प्रवर समिति में जाने की बात हुई तो माननीय मंत्रियों की ओर से सदन में यह दुहाई दी गयी कि सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी नगर निगम विधेयक आ जाय ताकि जो ५ बड़े-बड़े शहरों में इस समय जनता के हाथ में ताकत नहीं है, ऐडमिनिस्ट्रेटर्स नियुक्त हैं, वह समाप्त हों। मगर वह नगर निगम विधेयक इस एजेन्डा का लास्ट आइटम है। तो फिर सरकार की किस बात पर विश्वास किया जाय और क्यों विश्वास किया जाय ?

मैं आप के द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम इसका विरोध इसलिये कर रहे हैं कि हमारे सूबे में भुखमरी का सवाल है, हमारे सूबे में अन्नसंकट का सवाल है, हमारे सूबे में बढ़ती हुई चोरी, डकैती और कत्ल का सवाल है, हमारे सूबे में बढ़ते हुये भ्रष्टाचार का सवाल है। इन तमाम सवालों पर सरकार को विचार करने का समय नहीं है, लेकिन अनावश्यक टैक्स को लगाने वाले विधेयक को लाकर सरकार उसके लिये समय लेना चाहती है। मैं यह कहूंगा कि यह अनावश्यक संकल्प है। इसको सरकार वापस ले। ये २, ३ दिन का समय जो सरकार चाहती है उसको बचाया जाय। उस समय को बचाकर सरकार चाहे तो समय निकाल सकती है। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इन तमाम बातों को सामने रखते हुये मैं पुनः आप के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस संकल्प को वापस लें और जो वह दूसरों को गम्भीर बनने की शिक्षा देते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वह स्वयं गम्भीर बनें।

श्रीमन्, मैं यह भी समझता हूं कि इस समय आप हमारा साथ देंगे। मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस समय जिद नहीं करेंगे। माननीय पालीवाल जी ने जो सुझाव दिया है उसके अनुसार इन दिक्कतों का समाधान करने की गुंजायज निकल सकती है। इस पर विचार किया जा सकता है। मैंने स्वयं इस बात को सोचा। अगर कोई नया सदस्य यह कह देता तो मैं समझता कि वह नया आदमी है, लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री इस बात को कहते हैं तब हमारे लिये कठिनाई पैदा होती है इसलिये मैं आप के द्वारा उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब इस तरह के कार्यक्रम के लिये माननीय मुख्य मंत्री या किसी मन्त्री की ओर से बुलावा होता है तो मैं नहीं जाता हूं, क्योंकि उनको एक प्रचार करने का मौका मिलता है। इसी बिल के सिलसिले में आप देखें, यह कहा जा सकता है कि आखिर हम तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव को भंग करना चाहते थे, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि वह भंग न किया जाय। उनको यह प्रचार करने का मौका मिलता है। अगर हमारी बात से कोई सत्य बात निकलती हो और उस सत्य बात से किसी का विरोध होता हो तो हमें उस की परवाह नहीं है। शान्ति के बिना इस पर विचार नहीं हो सकता है। अगर यह प्रस्ताव आज पास न किया जाय तो कौन सी हानि हो सकती है ? क्या धरा धंस जायगी या गगन फट जायगा या माननीय मुख्य मंत्री उड़ जायंगे ? यह प्रस्ताव कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है और तब इस पर विचार हो सकता है।

इसलिये हर दृष्टिकोण से और हर प्रकार से सरकार को इस समय अपनी डिक्टेटरशिप की मनोवृत्ति का परिचय नहीं देना चाहिये क्योंकि मैं जानता हूं कि अक्सर शक्ति के बल पर सरकारी पक्ष के लोग चीजें पास करा लेते हैं और अवैध को वैध करा लेते हैं। मैं समझता हूं माननीय मुख्य मन्त्री जी इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे।

श्री त्रिलोकीसिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस विवाद में हिस्सा लेने के कारण तकलीफ होती है। साधारण तौर पर ऐसे प्रस्ताव बिना विवाद के ही स्वीकार होते हैं या नामंजूर कर दिये जाते हैं। माननीय मुख्य मंत्री ने जो संकल्प उपस्थित किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि ५७–५८ के द्वितीय पूरक अनुदानों तथा वित्तीय वर्ष १९५८–५९ के आय-व्ययक तथा उनसे सम्बन्धित विनियोग विधेयकों को यथासमय पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि शनिवार को असेम्बली की बैठक हो। क्योंकि उसके लिये वक्त मुकर्रर है। मुकर्रर वक्त के अन्दर एप्रोप्रियेशन बिल पास करना है। यह डिमाण्ड्स को वोट

करना है, लेकिन मान्यवर, मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि इस आदरणीय सदन के नियमों के अनुसार नियम १५३ में यह है कि यह वोटिंग १० मई के पहले होनी चाहिये। गालिबन नेता सदन के ध्यान में महज ३१ मार्च है। नियम है १० मई तक हम ग्रान्ट्स पर, डिमान्ड्स पर विचार कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। संविधान की धारा २०६ के अन्तर्गत भी, मैं मान्यवर आप की आज्ञा से उसका कुछ हिस्सा पढ़ देना चाहता हूं जो इस प्रकार है :—

"206. (1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, the Legislative Assembly of a State shall have power—

(*a*) to make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed in article 203 for the voting of such grant and the passing of the law in accordance with the provisions of article 204 in relation to that expenditure;"

आर्टिकिल २०३ में मुख्तसरन यह अर्ज कर दूं कि उसका वास्ता डिमांड्स पर वोट करने से है और आर्टिकिल २०४ एप्रोप्रियेशन बिल से वास्ता रखता है। इन्हीं दोनों विषयों का जिक्र माननीय नेता सदन ने अपने इस प्रस्ताव में किया है। इस आदरणीय सदन को इस बात का पूरा अधिकार है कि वह वोट आन एकाउन्ट लेकर काम चलायें। यह जरूरी नहीं है कि शनिवार या शुक्रवार को बैठा ही जाय और अगले साल के बजट को ३१ मार्च तक ही पास कर दिया जाय।

माननीय नेता सदन ने एक दिन और भी कहा था कि वह सम्बोधित करते हैं फिलिप दि ड्रंक से फिलिप दि सोबर को। जहां तक इस सदन का सवाल है यहां तो पीने की कौन कहे, कहीं स्मोकिंग रूम तक का प्राविजन नहीं रखा गया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो कारण उन्होंने इस प्रस्ताव में बताये हैं, उनके अनुसार यह लाजमी नहीं है कि ३१ मार्च तक ही यह बजट मंजूर करे और यह एप्रोप्रियेशन बिल पास करें। मैं यह अर्ज करूंगा कि कानून के अन्दर गुंजायश रहते हुए भी यह कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा हो।

मैं, अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से आदरणीय सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं जितनी प्रथायें, परम्परायें और कनवेंशन्स हैं वह सब माइनारिटी के इंटरेस्ट में हैं। कोई कनवेंशन पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस में मेजारिटी के हित में नहीं होता है। कनवेंशन्स हमेशा माइनारिटी के हित में होते हैं और मुझे अफसोस है कि माननीय नेता सदन के अन्य विचारों की सख्त मुखालिफत होते हुये भी प्रोसीजरल मामलों में कि कितने दिन बहस हो और कैसे बहस हो, इसमें मुझे उनकी मुखालिफत करनी पड़ रही है। मैं उनसे यह निवेदन करूंगा, मान्यवर, आप के जरिये कि वह पार्लियामेंटरी पद्धति की स्वस्थ परम्परा इस्टैब्लिश करने के लिये, प्रोसीजरल मामलात में इस बात को मद्देनजर रखते हुये कि जो वह चाहते हैं उसके मंजूर होने में कोई रुकावट न पड़े, इस तरफ के बैठने वालों की गुजारिश यह है कि जब तक कोई विशेष आपत्ति की बात न हो, साधारणतया उसे उनको स्वीकार कर लेना चाहिये। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह प्रस्ताव यह आदरणीय सदन नामंजूर करे।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं आज माननीय मुख्य मंत्री जी के संकल्प का कुछ और कारणों से विरोध करना चाहता हूं। इस बात की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि सरकारी ओर से यह कहा जाता है कि काम समय से इसलिये नहीं हो पा रहा है कि विरोधी पक्ष बैठना नहीं चाहता है या समय कम दे रहा है। ठीक इसके विपरीत सरकारी पक्ष अपनी सहूलियत को देख कर ही सदन को बुलाना या भंग करना चाहता है। पिछले अधिवेशनों को गौर से देखने से मालूम होता है कि सदन सरकारी पक्ष के इस निर्णय पर आधारित रहता है कि कांग्रेस कमेटी का कार्य-क्रम किस रूप

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

से चले। पिछले अगस्त में अधिवेशन चल रहा था, वह ठीक इसी लिये स्थगित किया गया कि उसी दिन प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी का चुनाव हो रहा था। उसके बाद १४ नवम्बर की सूचना हम लोगों को दी गयी, लेकिन उसे स्थगित करके ९ दिसम्बर इसलिये कर दिया गया कि माननीय मुख्य मंत्री जी को इलाहाबाद इलेक्शन पेटीशन में जाना था। फिर २६ दिसम्बर को.....

श्री अध्यक्ष—यह आप वैयक्तिक आक्षेप कर रहे हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अगर इसके यह मानी निकलते हैं तो मैं इसे वापस लेता हूं। ठीक २६ दिसम्बर को सदन की बैठक इसलिये स्थगित की गयी कि गोहाटी कांग्रेस में मुख्य लोगों को जाना था। सितम्बर के बाद नवम्बर में सदन की बैठक क्यों नहीं बुलाई गयी? नवम्बर में बुलाने से एरियर नहीं रहता।

श्री अध्यक्ष—असंगत हो रहा है। इसमें केवल बजट के लिये है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—यदि समय की कमी है तो विपक्ष की ओर से कतई नहीं है। हम तब तक बैठना चाहते हैं जब तक हमारे पास एरियर है। किन्तु एरियर रहते हुए भी सदन स्थगित कर दिया जाता है। शनिवार हम विपक्ष वालों को अध्ययन का अवसर देता है। शनिवार के लिये सरकार को क्या विशेषता है? हम को भी यह अधिकार होना चाहिये कि हम अपने प्रस्ताव सदन में दे सकें। इस प्रस्ताव से हमारा यह अधिकार छीना जा रहा है। गैरसरकारी प्रस्तावों को, जब से यह सदन बैठा है, मुश्किल से ३–४ दिन मिल पाये हैं। वे भी हमेशा अन्त में डाल दिये जाते हैं जब कि विचार करने के लिये लोग थक जाते हैं। अभी ३ तारीख को एजेंडे में ऐसा प्रस्ताव था किन्तु सदन का विरोध देखकर मुख्य मंत्री जी ने उसे वापस ले लिया। आज फिर इसे हमारे सामने लाया जा रहा है और येनकेनप्रकारेण बहुमत के बल पर इसे पास कराना चाहते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि यह सदन इस संकल्प को पारित न करे।

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, इन भाषणों को सुनते-सुनते यह कुछ मेरे दिमाग की कमजोरी है कि मुझे इस बात का अन्दाज नहीं रह गया कि क्या रैलेवेंट है और क्या इरेलेवेंट है। इसलिये मेरी मजबूरी है कि बहुत सी बातें जो यहां कही गईं, वे जरूर ही अपनी जगह पर ठीक होंगी, लेकिन मैं उनके संबंध में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मैं केवल एक-दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। बार बार कहा जाता है कि हमको शनिवार का दिन अध्ययन के लिये चाहिये, इत्यादि इत्यादि। इसका मतलब यह हुआ कि पहले शनिवार को जो लोग बजट का काम करते थे वे बगैर पढ़े हुए ही बजट पर अपनी राय दे दिया करते थे, मैं ऐसा नहीं मानता हूं।

परम्परा के सम्बन्ध में कहा गया। वह बड़ी चीज है और उसका लिहाज करना ही पड़ता है, सदनों का कार्य बहुत कुछ उनसे चलता है, लेकिन यह बात नहीं है कि वे केवल माइनारिटी के लिये ही होती हैं। वे दोनों के लिये होती हैं और सब से बड़ी बात यह है कि देश के लिये होती हैं। दोनों से बढ़ कर देश की बात है। यदि हम शुक्रवार या शनिवार का दिन मांगते हैं तो यह देश को ही देते हैं।

त्रिलोकीसिंह जी ने कहा कि हम वोट आन एकाउन्ट का तरीका बरत सकते हैं। जरूर बरत सकते हैं, लेकिन यह अच्छा तरीका नहीं है। अगर कोई एमरजेंसी आ पड़े तो दूसरी बात है। बजट यहां से पास होने के बाद फ़ाइनेंस विभाग उसे देखता है और फिर अलग अलग विभागों में जाता है। तब उसके अनुसार काम होता है। पालीवाल जी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्हें सारी बातें मालूम होंगी। वोट आन एकाउन्ट का दस्तूर यह है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ही पास करना चाहिये यानी ३१ मार्च को जो चीजें खत्म हो जावेंगी, जैसे लोगों को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

१ अप्रैल को वेतन मिलता है और आवश्यक काम वोट आन एकाउन्ट में नहीं लाये जा सकते। उनके लिये बजट पास करना होगा। पास होने के बाद बजट के लागू होने में १ महीना तो लग ही जाता है। इस प्रकार ३१ मार्च और १० मई के बीच का समय भी देर में शामिल हो जायगा। विकास के काम रुके पड़े रहेंगे।

कहा गया कि गवर्नमेंट के काम से देर होती है। इस प्रस्ताव में केवल बजट का जिक्र है। जिस समय हमने बजट पश किया है या करेंगे उससे पहले पेश करना असम्भव बात है। बजट में विकास की बातें केन्द्रीय सरकार और प्लानिंग कमीशन से विवाद के बाद तय होती हैं। उनका आखिरी फैसला अभी ३–४ दिन हुए हमारे पास आया है। जब तक हमें उनसे सहायता का धन मालूम न हो तब तक बजट नहीं पूरा कर सकते, चाहे हमारे प्रस्ताव में समय की तंगी हो या न हो, लेकिन यदि यह बजट ३१ मार्च तक पास नहीं होता है तो हम सभी लोगों पर विकास के कार्यों में देर होने की जिम्मेदारी होगी।

श्री पालीवाल जी या श्री त्रिलोकीसिंह जी की तरह से कोई सुझाव आता है तो वे स्वयं इस बात को मानेंगे कि मैं उसकी, जहां तक सम्भव होता है, बहुत कद्र करता हूं। माननीय गेंदा सिंह जी को कई बातों का बहुत दुख है। मैं उनकी फीलिंग का बहुत ज्यादा लिहाज करता हूं, लेकिन जहां तक प्रदेश की बात है, प्रदेश के हित की बात है, वह हममें से कोई भी शख्स हो, उसके सुझाव और उसकी फीलिंग से बढ़कर है और उसको ऊंचे दर्जे पर रखना पड़ता है। एक और बात है कि जिन तर्कों द्वारा इस प्रस्ताव का विरोध किया गया है, उनसे तो और भी यह बात स्पष्ट हो गयी कि हम इसको सदन के सामने रखें और उससे अनुरोध करें कि वह इसको मंजूर करे।

माननीय गेंदासिंह ने कहा कि यह गवर्नमेंट बहुत गलत काम करती है। पिछले जमाने की गवर्नमेंट इतनी ज्यादती नहीं करती थी। उस समय इतनी ज्यादती नहीं होती थी जितनी ज्यादती इस गवर्नमेंट में होती है। उनके कहने का मतलब तो यही मालूम होता है कि गवर्नमेंट की कटु आलोचना करने के लिये, उसको सेंश्योर करने के लिये और उसको निकम्मा साबित करने के लिये ही, किसी दिन के लिये प्रस्ताव आना चाहिये। मैं इस बात को स्वीकार कर सकता हूं कि अगर गवर्नमेंट के किसी काम से आपको शिकायत हो तो उसकी आलोचना करें, उसको दूर करने के लिये सुझाव दें, लेकिन ख्वामख्वाह आप कहें कि गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही है, ज्यादती ही ज्यादती कर रही है, इस तरह से आप गवर्नमेंट को सेंश्योर करना चाहें तो उसको मैं मानने के लिये और स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं। ऐसी हालत में मेरी मजबूरी है कि जो सुझाव दिये गये हैं, उनको मैं मंजूर नहीं कर सकता। सदन से मेरा यह अनुरोध है कि जो संकल्प मैंने रखा है उसको वह स्वीकार करे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मुख्य मंत्री जी से केवल एक बात पूछना चाहता हूं और वह यह है कि अगर इस प्रस्ताव पर कल विचार कर लें तो प्रदेश की क्या हानि होगी और बजट में क्या बाधा पड़ेगी ?

श्री त्रिलोकीसिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय नेता सदन ने कहा कि वोट आन एकाउंट के कारण तनख्वाह वगैरह पर असर पड़ेगा और जो प्लान या डेवलपमेंट्स के काम हैं उनमें भी बाधा पड़ जायगी, लेकिन आर्टिकिल २०६ जो कांस्टीट्यूशन का है, वह साफ-साफ यह कहता है :--

"(*a*) to make grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed in article 203 for the voting to such grant and the passing of the law in accordance with the provisions of article 204 in relation to that expenditure."

[श्री त्रिलोकीसिंह]

तो मैं केवल उनसे स्पष्टीकरण चाहूंगा कि बजट में क्या रुकावट आ सकती है, क्या उनको यह सन्देह है कि महीने भर के बाद अगर बजट आवेगा तो उसका कोई हिस्सा सदन अस्वीकृत कर देगा जिससे उनकी कोई स्कीम कार्यान्वित न हो सकेगी ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि अगर वे उत्तर देना चाहें तो दें, लेकिन मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वह उत्तर दे चुके हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह---मेरा अनुरोध है कि माननीय मुख्य मंत्री जी बतला दें कि वे वोट आन एकाउंट को कैसे बाधक समझते हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा---श्रीमन्, मैं एक सवाल सदन में उठाना चाहता हूं कि अब समय हो चुका है इसलिये इस पर बाद में विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि हम लोग थोड़ी देर तक और बैठ लेंगे। अब मैं इसके ऊपर राय ले लेता हूं।

(इस समय जन संघ, स्वतंत्र प्रगतिशील विधान सभाई दल तथा साम्यवादी दल के सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम ११ के उप-नियम (२) के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा की बैठक शनिवार को नहीं होती। परन्तु वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के द्वितीय पूरक अनुदानों तथा वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के आय-व्ययक तथा उनसे सम्बन्धित विनियोग विधेयकों को यथासमय पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह सदन यह निश्चय करता है कि इस सदन की बैठक अपने नियमित समय पर शनिवार, दिनांक १५ व २२ फरवरी, १९५८ तथा मार्च १,१५ एवं २२,१९५८ को भी होगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि पहले संशोधन को नहीं लिया गया।

श्री अध्यक्ष---अगर मूल प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो संशोधन के लेने की कोई आवश्यकता नहीं रह जायगी। मूल प्रस्ताव और संशोधन में से एक ही लिया जा सकता है।

श्री राजनारायण---प्रथा तो यही रही है कि पहले संशोधन लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष---कोई प्रथा नहीं है, डिस्क्रिशन पर है। यानी समय बचाने के लिये मैं यह नियमानुसार कर सकता हूं।

श्री राजनारायण---समय बचाने के लिये ?

श्री अध्यक्ष---जी हां, समय बचाने के लिये अध्यक्ष अपने डिस्क्रिशन से ऐसा कर सकता है कि मूल प्रस्ताव को ही पहले ले।

(इस समय श्री राजनारायण ने अपने दल सहित सदन का परित्याग किया---घंटी बन्द होने के बाद)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम ११ के उप-नियम (२) के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा की बैठक शनिवार को नहीं होती। परन्तु वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के द्वितीय पूरक अनुदानों तथा वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के आय-व्ययक तथा उनसे सम्बन्धित विनियोग विधेयकों को यथासमय पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह सदन यह निश्चय करता है कि इस सदन की बैठक अपने नियमित समय पर शनिवार, दिनांक १५ व २२ फरवरी, १९५८ तथा मार्च १, १५ एवं २२, १९५८ को भी होगी।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—१६५,
विपक्ष में—३० ।)

(इस समय १ बज कर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

१४ तथा २८ फरवरी और १४ मार्च, १९५८ को असरकारी कार्य के स्थान पर सरकारी कार्य करने के लिये संकल्प

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प उपस्थित करता हूं :—

"उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम १८ के अनुसार महीने का द्वितीय तथा चतुर्थ शुक्रवार उत्तर प्रदेश विधान सभा के असरकारी दिवस होते हैं । परन्तु वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के द्वितीय पूरक अनुदानों तथा वित्तीय वर्ष १९५८–५९ के आय-व्ययक एवं तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयकों को यथासमय पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह सदन यह निश्चय करता है कि दिनांक १४ व २८ फरवरी, १९५८ एवं मार्च १४, १९५८ को भी , जो द्वितीय व चतुर्थ शुक्रवार होने के कारण असरकारी दिवस हैं, सरकारी कार्य होगा ।"

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसके सम्बन्ध में कुछ ज्यादा निवेदन नहीं करना है, क्योंकि इस संकल्प के पक्ष में भी मेरा वही निवेदन है जो कि इसके पहले वाले संकल्प के सम्बन्ध में मैंने कहा था । बजट हमको ३१ मार्च तक पारित करना है । जैसा कि मैंने उस वक्त भी कहा था इसके पहले बजट को पेश करना हमारे लिये सम्भव नहीं था, इसलिये कि हम जानते नहीं थे कि हमको केन्द्र से डेवलपमेंट कार्यों के लिये कितना अनुदान मिल सकेगा । और यह कोई नयी चीज नहीं है, बल्कि हर साल इन्हीं शब्दों में प्रस्ताव उपस्थित होता रहा है और यह सदन स्वीकार करता रहा है । यह भी मैं सदन को याद दिलाऊं, आपके द्वारा कि जो असरकारी काम का दिवस शुक्रवार, बजट की बहस में आ जाता है, उस कमी को हम पीछे किसी न किसी वक्त दिन दे कर पूरा कर दिया करते हैं । इस साल भी हम जरूर ही ऐसा करेंगे । अगर किसी वजह से यह संकल्प स्वीकृत न हुआ तो एक दिक्कत होगी । हमने वर्तमान नियम में कुछ कम दिन रहते हुए भी इस साल यह किया कि आम बहस के लिये ४ दिन रखे हैं, यानी १ दिन ज्यादा दिया है और वोट आन डिमान्ड्स के लिये १ दिन और बढ़ा दिया, २१ दिन कर दिये । अगर कहीं किसी वजह से शुक्रवार मन्जूर नहीं होता तो जो टोटल दिन दिये हैं, उनमें कमी हो जायगी और सदन को बजट पर बहस करने का पूरा मौका नहीं मिलेगा जितना हम देना चाहते हैं । इसलिये मैं आशा करता हूं कि सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, अभी शनिवार को सदन की कार्यवाही होने के सम्बन्ध में काफी विवाद हो चुका है । उन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर मैं इस प्रस्ताव का भी विरोध करता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह जरूर कहा है कि जो शुक्रवार वे लेंगे उनको बाद को दे देंगे, लेकिन इसमें दिक्कत, जो कठिनाई सभी सदस्यों को आ सकती है वह यह है कि जो प्रस्ताव महत्व के हैं, वे सदन के सामने विचार के लिये अपने प्रस्तावों के द्वारा लाना चाहते हैं वे करीब दो महीने पीछे पड़ जाते हैं । बहुत से ऐसे विषय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

होते हैं जिनमें माननीय सदस्य प्राइवेट मेम्बर्स बिल या प्रस्ताव लाना उपयुक्त समझते हैं। अगर वह प्रस्ताव, जो जल्दी आने चाहियें, वह दो महीने बाद आते हैं तो मैं समझता हूं कि वह प्रदेश के हित में नहीं होता। इस सदन में दुर्भाग्यवश इतने शुक्रवार सरकार द्वारा ले लिये गये हैं, ऐसी परम्परा को जारी करके कि व्यक्तिगत सदस्य जो अपना कार्य प्रस्तावित कर सकते हैं उसमें उस पैमाने पर कार्य यहां नहीं हुआ है जितना कार्य लेजिस्लेटिव काउंसिल में और लोक सभा में हुआ है उसकी तुलना में हम लोग यहां पर प्राइवेट मेम्बर्स बिल और रेजोल्यूशंस पर कम ध्यान दे पाये हैं।

इसलिये भी मैं समझता हूं कि शुक्रवार न लिये जाने चाहियें। मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं तो पहले आप के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से, फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस प्रस्ताव को अगर आज न लें तो बड़ी अच्छी बात हो।

सुबह भी वैधानिक प्रश्न उठाया गया था और मैं समझता हूं कि चूंकि माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक व्यवस्था स्थापित कर दी है इसलिये उस पर विवाद ही होगा। इसलिये मैं पुनः आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से जरूर कहूंगा कि अभी पहली बैठक में वोट करके तमाम शनिवारों को मिलाने का प्रस्ताव पास करा लिया गया है। अब यह गैर-सरकारी दिन जो शुक्रवार आते हैं, हमारे माननीय अवस्थी जी ने उस समय कहा था कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर विचार करना बहुत जरूरी है। माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि बाद में कोई तिथि इसके लिये तय कर देंगे, उस समय ले लिये जायेंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को जरूर स्मरण कराऊंगा। अब वह स्मरण करें या न करें यह अधिकार सभी को है। जब-जब यह आश्वासन सरकार की ओर से दिया गया है कि फलां-फलां बात के लिये दिन मुकर्रर कर दिया जायगा, बाद में क्या वह सब पूरे हुए हैं?

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—जरूर पूरे हुए हैं।

श्री राजनारायण—साधारण सी बात है—जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर देर से कोई न्याय देने की बात भी कहे तो एक प्रकार से इनकार ही होता है। इसलिये मैं फिर चाहूंगा कि सरकार इस पर विचार करे और यह संकल्प आज ही न पास कराये क्योंकि कल शुक्रवार तो शायद आ नहीं रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—कल १४ तारीख भी इसमें है।

श्री राजनारायण—तो हमारा निवेदन नहीं मानेंगे। मगर वह मानें या न मानें, हमारा निवेदन करना तो आवश्यक ही है। इसलिये उनसे निवेदन करता हूं और सदन के सम्मानित सदस्यों से भी निवेदन करता हूं कि सरकार ने गैर-सरकारी दिनों का इस तरह से अपहरण किया है। इसको सदन के सम्मानित सदस्य न मानें तो ज्यादा अच्छा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री द्वारा रखे हुए संकल्प का विरोध करता हूं।

श्री नेकराम शर्मा—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि माननीय राजनारायण जी ने यह कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आश्वासन दिये हैं वह पूरे नहीं हुए हैं। जब गत वर्ष भी बजट पेश हुआ था उसमें जितने गैर सरकारी दिन ले लिये गये थे, बाद में एक-एक दिन दे दिया गया।

माननीय तिवारी जी ने कहा कि संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वे दो महीने बाद लिये जायंगे। कोई ऐसे खास जरूरी प्रस्ताव नहीं जिनके कारण बड़ी हानि हो जाय। प्रस्ताव पीछे भी लिये जा सकते हैं। दोनों दलीलों का कोई अर्थ नहीं निकलता। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि यह पास हो जाना चाहिये।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प का विरोध करता हूं, इसलिये कि पिछली बार भी गैरसरकारी दिन छुट्टी पड़ जाने से नहीं मिल सका था, हालांकि हमारी पार्टी के उसमें स्वयं चार प्रस्ताव बैलट से आये हुए थे, लेकिन वह नहीं आ सके। इसके बाद भी अब आने वाले महीनों के गैरसरकारी दिनों को ले लेना उचित नहीं है। जितना कि सरकारी काम का महत्व है उससे किसी भी प्रकार कम महत्व इन असरकारी दिनों का विरोधी पक्ष के लिये नहीं होता है। हमारे वे ही प्रस्ताव आते हैं जिनको हम आवश्यक समझते हैं तथा जिन प्रस्तावों को सरकार नहीं लाना चाहती, उन प्रस्तावों को भी हम इन दिनों का इस्तेमाल करके सदन के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की जो सरकार की नीति है यह प्रजातंत्रीय पद्धति और मर्यादा के विरुद्ध है, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दलों के उपनेताओं के विचारों के साथ, अपने को सम्बद्ध करता हुआ, मैं भी माननीय मुख्य मंत्रीजी के इस प्रस्ताव का कि शुक्रवार को ले लिया जाय, बड़े दुख और अदब के साथ विरोध करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा ही एक दूसरा प्रस्ताव अभी आया था और बड़े दुख के साथ मैं इधर बैठने वालों के जजबात आपके मार्फत उधर बैठने वालों के सामने पेश करना चाहता हूं कि हमें सदन का परित्याग करना पड़ा। हम यह जानते हैं कि उधर के बैठने वालों की संख्या ज्यादा है, वह जो चाहेंगे वह होगा, वह होता है और वह करवा लेते हैं, महज एक ब्रूट मेजारिटी (Brute majority) की वजह से, लेकिन डेमोक्रेसी के सिद्धान्त ऐसे हैं कि महज मेजारिटी कुछ नहीं हुआ करती। कहा गया है "डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट आफ डिस्कशन" (Democracy is a Government of discussion.) तो अगर आप किसी बिल पर बहस न चाहें तो एक दिन शुरू में ही कह सकते हैं कि इसके बाद क्लोजर मोशन आ जाय, क्योंकि आपकी अक्सरियत है, लेकिन व्यावहारिक चीज यह नहीं है। चीज यह है कि जो भी बात यहां पर आये उस पर दोतरफा यहां विचार हो, अगर कोई उचित बात विरोधी दल की तरफ से कही जाय तो उसको आप मान लें। अपनी ब्रूट मेजारिटी' की ताकत से अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह एक बड़ी खराब पद्धति है, बड़ा खराब प्रिसीडेंस आप आने वाले लेजिस्लेटर्स के सामने रखते हैं कि यहां तो हमेशा यह होता रहा है कि मेजारिटी हमेशा (माइनारिटी) पर हावी रही है इस हाउस पर और जो चाहा है उसमें उसने मनमानी की है....

श्री उपाध्यक्ष—'हाउस ने मनमानी की है' ये शब्द आपत्तिजनक हैं। हाउस हमेशा सही काम करता है। आप गवर्नमेंट के लिए कह सकते हैं, लेकिन हाउस के निर्णयों के बारे में ऐसा कहना उचित नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मैं वापस लेता हूं। मैं कहता हूं कि मेजारिटी ने हमेशा माइनारिटी को दबाया है और हमेशा अपनी मनमानी की है। यह आप एक बुरी पद्धति आने वाली सन्ततियों के लिए और आने वाले लेजिस्लेटर्स के लिए कायम कर रहे हैं। इस प्रस्ताव में तीन दिन मांगे गए हैं। तो वह तीन दिन तो इस तरह भी मिल सकते हैं कि २६, २७ और ३१ मार्च को विधायी कार्य रखे गए हैं। उन तीन दिनों में विधायी कार्य न लेकर उनको बजट के लिये ले लिया जाय और ये विधायी कार्य बाद के लिए पोस्टपोन कर दिये जायं। यह मेरा सुझाव है। इस तरीके से ३१ मार्च के अन्दर बजट पास हो जाता है और एक थोड़ी सी सहूलियत जो हमको मिली हुई है, चन्द दिनों की उसके ऊपर क्यों बिला जरूरत

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

आप नजर दौड़ा रहे हैं। एक छोटी सी चीज मिली हुई है उस पर भी नजर गड़ाना, यह आपको शोभा नहीं देता है। इन शब्दों के साथ में माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, हेल्दी कन्वेंशन डालने की जिम्मेदारी माइनारिटी के ऊपर नहीं है। माइनारिटी हेल्दी कन्वेंशन डालने के कार्य में कहीं कासिर रहे तो उसके ऊपर दोष लगाया जा सकता है। अगर हम लोग जो माइनारिटी में हैं उदारता करते हैं तो उसको तो यह कहा जा सकता है कि यह अवसरवादिता है, लेकिन उदारता का मतलब है कि बलवान आदमी उदारता करे। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि बलवान इस सदन में कौन है। हाथापाई की बात मैं नहीं करता, जिसकी संख्या अधिक हो वही बलवान है और उसी को उदार होना चाहिये।

मैं समझता हूं कि हमारा जो गैर-सरकारी दिन है वह बहुत सोच समझ कर रक्खा गया है। सरकार को अधिकार है कि अपनी तरफ से जिस प्रकार का चाहे बिल ले आये और हमारे उत्तम से उत्तम सुझावों को भी अस्वीकार करके अपने बिल को पास करा ले। तो हमको तो कहीं गुंजायश नहीं है सिवा इसके कि हम गैरसरकारी दिनों पर जो जनता की सबसे ज्वलन्त समस्यायें हैं उनकी तरफ देश का या सरकार का ध्यान दिलायें। यह नहीं कहा जा सकता कि कोई मिनिस्टर सिर्फ चुने जाने से डिस्पाटिक ऐटीट्यूड नहीं ले लेगा। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि कुछ मिनिस्टर ऐसे हैं जिन्होंने डिस्पाटिक ऐटीट्यूड अख्तियार कर लिया है। इसलिये हमारे लिये दूसरा रास्ता नहीं रह जाता है कि हम बजट के जमाने में भी उन बातों पर रोशनी डालें और गैर-सरकारी दिन पर प्रस्तावों द्वारा सरकार को रास्ता दिखाने की कोशिश करें। आखिर डिस्कशन से ही तो डेमोक्रेसी में सारी बातों का फैसला हुआ करता है। डिस्कशन का मौका हमको मिल सके और अच्छा मौका मिल सके जिससे हम हेल्दी कन्वेंशन्स डाल सकें। मैं समझता हूं कि अब जरूरी हो गया है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव का विरोध किया जाय और माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव का विरोध करने में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा कष्ट होता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने दोपहर के पहले कुछ कहा और मैंने उसे बहुत गौर से सुना। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं उनका कितना लिहाज करता हूं। उनका कहना ठीक है कि मेरा वह लिहाज करते हैं। यह उनका बड़प्पन है, लेकिन मैं उनका कितना लिहाज करता हूं यह कहने की मुझे जरूरत नहीं। क्या उन्होंने कभी इस पर गौर किया कि १४४ आदमी जो माइनारिटी में हैं उनकी फीलिंग्स किस तरह से हर्ट होती हैं? उनकी फीलिंग्स एक हैवानियत के ढंग पर हर्ट की जाती हैं। हमको इंसान समझने की कोशिश नहीं की जाती है। जब हम सरकार को इंसानियत की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त सरकार बिल्कुल बेरहम तरीके पर हमारे साथ सलूक करती है। फिर हमारे लिये रास्ता क्या रह जाता है?

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार पर, जो हिन्दुस्तान में स्टेट्स के खयाल से सबसे ताकतवर सरकार है, हेल्दी कन्वेन्शन्स डालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उसमें भी जहां माननीय सम्पूर्णानन्द चीफ मिनिस्टर हों जो जिन्दगी भर पब्लिक वर्कर रहे हैं, जो किसी ऐसे परिवार से पैदा नहीं हुए जिसकी संस्कृति जुल्म करने की हो, जो गरीब खानदान में पैदा हुए और गरीबी से जिन्होंने अपनी तालीम हासिल की और गरीबी से अपना जीवन गुजारा, उस आदमी के नेतृत्व में जो सरकार हो, उस सरकार में अगर ३४ लाख किसानों के ऊपर जूते पड़ रहे हों, मार पड़ रही हो और जो कानून हमने बना रक्खे हों उनकी तरफ कतई ध्यान न दिया जाता हो, उनकी अपेक्षा की जा रही हो और वह सरकार कानून तोड़ रही हो तो ऐसी सूरत में हमारे लिये मजबूरी है कि इस प्रकार का हम जनहित में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रस्ताव लायें और गैर सरकारी दिनों में हम इस माननीय सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करें। इसलिये मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

(राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं एक व्यवस्था की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं दुबे जी को बुला चुका हूं। मैं समझता हूं आपका प्रश्न इसी से संबंधित है। आप इनके बाद उपस्थित करें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुःख है कि फिर माननीय मुख्य मंत्री जी के इस दूसरे प्रस्ताव का भी मुझे विरोध करना पड़ रहा है। माननीय मुख्य मंत्री स्वयं जानते हैं कि अपोजीशन के पक्ष में जितने लोग बैठे हैं बहुत सी बातों पर उन लोगों के बड़े स्पष्ट विचार हैं और उन विचारों की जो मनोभावना है उस पर जब ठेस लगती है तो उनको विरोध करने के लिये मौन वाक-आउट भी करना पड़ा। माननीय मुख्य मंत्री स्वयं जानते होंगे कि हमने पहले प्रस्ताव पर बगैर स्टेटमेंट दिये चुप-चाप वाक-आउट किया। स्वस्थ परम्परा बनाने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बहुमत दल के ऊपर होती है और उसके साथ-साथ यह भी होता है कि जो अल्पमत दल है उसकी मनोभावनाओं और विचारों को ध्यान में रखते हुए ऐडजस्ट करके ही परम्परा बनायी जा सकती है। अपने बहुमत का बल माइनारिटीज के ऊपर लादने के बाद स्वस्थ परम्परा नहीं बन सकती। यह जो प्राइवेट मेम्बर्स का दिन रखा गया है यह बहुत सोच करके रखा गया होगा। उसका यह भी एक भाव है कि बजट सेशन में जो लोग कुछ बातें न कह सकें उनके ऊपर अपने प्रस्ताव लाकर सरकार को स्पष्ट अवगत करा दें। यह मान लेना कि मंत्री सर्वशक्तिमान होने के बाद सर्व-सूचना सम्पन्न भी हैं, यह गलत होगा। बहुत सी सूचनाएं उनको नहीं होतीं। यहां भी मंत्री लोग स्वीकार करते हैं कि मुझे सूचना नहीं है। तो उस प्रकार की सूचना दिलवाना, उन गलतियों की ओर ध्यान आकृष्ट करने का जो अवसर है उसको अगर सरकारी कार्यवाही में ले लिया जाय तो मैं समझता हूं कि वह गलत होगा।

इन शब्दों के साथ मैं फिर माननीय मुख्य मंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस बात को मान लें और इस प्रस्ताव को प्रेस न करें।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम ७४ और ७५ की ओर दिलाना चाहता हूं। अगर इन नियमों को ध्यान में रखें तो कम से कम कल, १४ फरवरी को जो शुक्रवार है वह ले लिया जाय, इस तरह का प्रस्ताव नहीं आना चाहिये। क्योंकि इस नियम, ७४–७५ के अनुसार माननीय स्पीकर महोदय के आदेश से कोई बैलट प्रस्ताव और विधेयक के बारे में हो चुका है और बैलट के द्वारा प्रस्ताव और विधेयक निर्धारित भी किया जा चुका है। इसमें लिखा है कि १२ दिन का नोटिस दिया जाना चाहिये, अगर कोई माननीय सदस्य प्रस्ताव या रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं और जिस दिन प्राइवेट मेम्बर्स की डेट हो उसके लिए स्पीकर महोदय बैलट लेंगे। तो इसका अर्थ यह है कि २ फरवरी को कोई बैलट हो चुका है और यह कम से कम तय हो चुका है कि १४ फरवरी के दिन क्या होगा तो मैं समझता हूं कि उस दिन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं लाया जाना चाहिये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में यह बात आई नहीं कि यह व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठा? मैं तो समझता हूं कि कोई माननीय सदस्य किसी प्रस्ताव पर खुद बोल चुकने के बाद यह सवाल उठा ही नहीं सकते कि यह व्यवस्था के विरुद्ध है। माननीय नारायणदत्त जी खुद बोले हैं और अब यह उनका व्यवस्था का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि इस एतराज को पेश करना अव्यवस्था का प्रश्न है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री ने एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाया है कि जो सदस्य पहले बोल चुके हैं वह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठा सकते।

श्री उपाध्यक्ष---मेरी राय है कि हर शख्स को हर समय पहले से ज्यादा अकलमन्द होने का हक है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, इसका उत्तर तो दें ?

श्री उपाध्यक्ष---इस प्रस्ताव से नियम १८ का निलम्बन होना है तो ऐसी हालत में यह तो उचित ही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि इनका बैलट लिया गया है या नहीं, क्योंकि बैलट के लिये स्पीकर साहब का उत्तरदायित्व है ?

श्री उपाध्यक्ष---इसके संबंध में जो डायरेक्शन्स स्पीकर को बैलट के संबंध में हैं, वह यह हैं कि:---

"The priority obtained in the ballot will determine the order in which the motion will be taken up in the Assembly on the Friday first available after the date of the ballot for non-official business; all notices not finding a place in the ballot shall lapse."

तो यह 'फ्राइडे फर्स्ट अवेलेबिल 'उपलब्ध' के लफ्ज हैं। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो वह अवेलेबिल नहीं होगा। इस लिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि बैलेट क्यों नहीं हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष---अब मैं फैसला दे चुका हूं और मैं समझता हूं कि काफी वादविवाद हो चुका है। इसलिये अब सदन के विचारार्थ प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम १८ के अनुसार महीने का द्वितीय तथा चतुर्थ शुक्रवार उत्तर प्रदेश विधान सभा के असरकारी दिवस होते हैं। परन्तु वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के द्वितीय पूरक अनुदानों तथा वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के आय-व्ययक एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयकों को यथासमय पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह सदन यह निश्चय करता है कि दिनांक १४ व २८ फरवरी, १९५८ एवं मार्च १४, १९५८ को भी जो द्वितीय व चतुर्थ शुक्रवार होने के कारण असरकारी दिवस हैं, सरकारी कार्य होगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी)

श्री उपाध्यक्ष---मैं यह माननीय सदस्यों को बतला देना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को जानकारी न होने की वजह से मैंने इस डिवीजन की मंजूरी दे दी है, लेकिन डिवीजन खड़े होकर मांगने की जरूरत है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---आप खड़े थे इसलिये मैं खड़ा नहीं हुआ।

श्री राजनारायण---आप खड़े रहें और हम खड़े हो जायं तब भी व्यवस्था का प्रश्न आ जाता है और हम बैठे रहें तब यह बात है।

(घंटी बन्द होने के उपरान्त)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम १८ के अनुसार महीने का द्वितीय तथा चतुर्थ शुक्रवार उत्तर प्रदेश विधान सभा के असरकारी दिवस होते हैं। परन्तु वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के द्वितीय पूरक अनुदानों तथा वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के आय-व्ययक एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयकों को यथासमय पारित करने की

आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह सदन यह निश्चय करता है कि दिनांक १४ व २८ फरवरी, १९५८ एवं मार्च १४, १९५८ को भी, जो द्वितीय व चतुर्थ शुक्रवार होने के कारण असरकारी दिवस हैं, सरकारी कार्य होगा ।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ:--

पक्ष में--१६१,

विपक्ष में--४० ।)

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं एक सूचना जानना चाहता हूं कि जब ये गैर-सरकारी प्रस्ताव आये थे तो २ तारीख को उनकी बैलटिंग क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने स्वतः उसके लिये प्रस्ताव भेजा है और आपके सचिव की जानकारी में है । हमको संदेह है.....

श्री उपाध्यक्ष--आप जानकारी करना चाहते हैं तो संदेह क्यों है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--यही प्रश्न मैंने पहले किया था ।

श्री उपाध्यक्ष--बैलट हुआ या नहीं, वह तो वस्तुस्थिति का पता लगाना चाहते हैं । आप कृपया बैठें ।

इसके बारे में एक शुक्रवार के लिये बैलट हो चुका है और जो डायरेक्शन मैंने पढ़ कर आपको सुनाया क्योंकि इसके बाद यह शुक्रवार उपलब्ध नहीं था इसलिये माननीय अध्यक्ष ने आज्ञा दी कि १४ तारीख के लिये वही विषय रखे जायंगे । अब इत्तफाक से १४ फरवरी, २८ फरवरी और १४ मार्च, ये तीनों दिन उपलब्ध नहीं हैं । तो अब जब समय मिलेगा तो जो पहले बैलट हुआ है वही विषय लिये जायंगे और जब वे समाप्त हो जायंगे तब दूसरे विषय लिये जायंगे ।

श्री राजनारायण--इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा इधर प्रस्ताव गया है उसका तो अब कोई बैलट ही नहीं होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--दोबारा नोटिस देने पर बैलेट होगा क्योंकि तीन शुक्रवार तो निकल गये । उसके बाद देखा जायगा कि कौन-सा दिन उपलब्ध है ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, आप स्वतः देखें कि विरोधी पक्ष की ओर से हम लोग कितना एकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं । इतना महत्वपूर्ण गैरसरकारी प्रस्ताव हमने दिया था और और माननीय सदस्यों ने भी दिया होगा, लेकिन वह नहीं लिया जायगा । सरकार अपनी हठवादिता पर अड़ी हुई है और हर समय अपनी संख्या के बल पर जायज और नाजायज बात करती रहती है इसलिये अपने विरोध को प्रदर्शित करने के लिये हम यह बिल्कुल आवश्यक समझते हैं कि यह सरकार और बाहर के लोग भी यह जान सकें कि यह सरकार बिल्कुल निरंकुश, स्वेच्छाचारी और मनमाने ढंग से काम करने पर तुली हुई है अतः उसके विरोध में हम १० मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं ।

(इसके पश्चात् श्री राजनारायण ने समाजवादी दल के अन्य सदस्यों के साथ सदन का परित्याग किया ।)

श्री नेकराम शर्मा--मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । कोई माननीय सदस्य स्पष्टीकरण दे रहे थे, लेकिन वह एक लम्बा भाषण देने लगे....

श्री उपाध्यक्ष--वह १० मिनट के लिये सदन का त्याग करना चाहते थे इसलिये भूमिका थी ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---श्रीमन्, हम लोगों ने सरकार को एकोमोडेट करने की बहुत कोशिश की, परन्तु सरकार के इस अनरेस्पान्सिव और वुडेन ऐटीट्यूड के कारण वह न हो सका और अपनी संख्या के बल पर उन्होंने हमारी बातों को नहीं माना। अतः इसके विरोध में हम भी सदन का १० मिनट के लिये त्याग करते हैं।

(इसके पश्चात् राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे ने भारतीय जन संघ के अन्य सदस्यों के साथ सदन का परित्याग किया।)

श्री चन्द्रजीत यादव---श्रीमन्, हम भी इसके विरोध में कि जो सरकार ने विरोधी दल के आग्रह को स्वीकार नहीं किया है वाक आउट करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---आपने समय की सीमा निर्धारित नहीं किया।

(इसके पश्चात् श्री चन्द्रजीत यादव ने साम्यवादी दल के अन्य सदस्यों के साथ सदन का परित्याग किया।)

*उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५८† (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष---अब आइटम ५ पर जो मुख्य प्रस्ताव में दो संशोधन रह गये हैं मैं उनको पहले लूंगा।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक मास के भीतर दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, मैं अपने संशोधन को आपकी आज्ञा से वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५८, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा ३ का संशोधन।

२---यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ (जिसे आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ में---

(१) खंड (५-ए) के उपखंड (i), में शब्द "or rules" तथा "made thereunder." के बीच में शब्द "or order" बढ़ा दिये जायं;

(२) खंड (१०) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"(10) 'Rural area' means the area of a district excluding every municipality and every notified area as defined in the U. P. Municipalities Act, 1916, every Town Area as defined in the U. P. Town Areas Act, 1914 and every Cantonment as defined in the Cantonments Act, 1924;"

---

*३ फरवरी, १९५८ की कार्यवाही में छपा है।

†७ फरवरी, १९५८ की कार्यवाही से।

(३) खंड (१२) में शब्द "any rule" तथा "lawfully made" के बीच में शब्द "or order" बढ़ा दिये जायं;

तथा

(४) अन्त में निम्नलिखित नये खंड (१३) से (१८) के रूप में बढ़ा दिये जायं :—

(13) "Assembly Rolls" means the electoral rolls prepared for the Assembly Constituencies under and in accordance with the provisions of the Representation of the People Act, 1950 ;

(14) "Constituency" means a Constituency provided by Delimitation Order under section 5 ;

(15) "Election" in Chapter II means an election to fill a seat on a board ;

(16) "Elector" in relation to a constituency means a person whose name is for the time being enterd in the electoral roll of that constituency ;

(17) "Order" means an order made under the Act and published in the official *Gazette* or in the manner prescribed, and

(18) "Scheduled Castes" means the castes specified as Scheduled Castes in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, with reference to Uttar Pradesh.

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ में प्रस्तावित धारा ३ की उपधारा (४) के भाग (18) की पंक्ति ३ में अंक '1950' तथा कामा ',' के बीच में "as amended by the Scheduled Castes Order, 1956" रख दिये जायं।

श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना है कि सन् १९५६ में पार्लियामेंट में एक संशोधन हुआ था जिसमें हरिजन जातियों में कुछ जातियां बढ़ाई गई हैं। सन् १९५० का जो ऐक्ट है उसमें वह रह गई हैं। तो नये संशोधन के अनुसार जो अधिकार उनको मिला है वह इस पुराने ऐक्ट के अनुसार रखने से वह वंचित रह जायंगे और उनको उनकी जनसंख्या के अनुसार जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये वह नहीं मिलेगा। इसलिये मैंने इन शब्दों को बढ़ाये जाने का अनुरोध किया है जिससे १९५६ में जो जातियां उसमें जोड़ी गई हैं उनको भी अधिकार प्राप्त हो जाय। मुझे आशा है मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—मैं समझता हूं श्रीमन्, यह बिल्कुल अनावश्यक है। माननीय सदस्य ने पढ़ने और समझने में थोड़ी भूल की है। वास्तव में जो सन् १९५० वाले ऐक्ट में संशोधन हुआ है तो वह आगे चल कर भी संशोधन हो सकता है। अगर अब उसको बदलते हैं तो आगे संशोधन होने पर उसको फिर बदलना पड़ेगा, लेकिन हमने जो अमेंडमेंट ओरिजिनल में रखा है वह इन्टैक्ट रहता है। जो लाभ हमारे मित्र पहुंचाना चाहते हैं वह उनको पहुंचेगा। इसलिये मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री मुरलीधर कुरील—तो क्या यह जो कुछ जातियां बढ़ाई गई हैं वह इसमें आ जाती हैं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, वह आ जाती हैं।

श्री मुरलीधर कुरील—तो मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा ४ का संशोधन ।

३—मूल अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (२) तथा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(2) The Board shall consist of—

(*a*) a President,

(*b*) such number of elected members, not less than 30 nor more than 80 as the State Government may by notification in the official *Gazette* fix.

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ में नयी धाराओं ४—ए तथा ४—बी का बढ़ाया जाना ।

४—मूल अधिनियम की धारा ४ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धाराओं ४—ए तथा ४—बी के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

Reservation of seats for Scheduled Castes.

"4-A. (1) Seats shall be reserved for Scheduled Castes in each board.

(2) The number of seats reserved under sub-section (1) shall bear as nearly as may be the same proportion to the total number of seats on the board as the population of the Scheduled Castes in the rural area of the district board bears to the total population of such area as determined at the last census held under the Indian Census Act, 1950."

Term of board.

"4-B. (1) Except as provided in section 169 the term of every board shall be four years :

Provided that the State Government may, by notification in the official *Gazette*, extend from time to time the term of all or any of the boards.

(2) The term of a board shall begin from the date of notification issued in pursuance of section 46 that the board has been constituted."

*श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा 4—A की उपधारा (1) की पंक्ति एक में शब्द "Scheduled Castes" के स्थान पर शब्द "Backward classes" रख दिये जायं ।

श्रीमन्, आपसे मुझे केवल यह निवेदन करना है कि एक तरफ हमारी सरकार सेकुलर स्टेट होने का दावा करती है और दूसरी तरफ कास्ट के नाम पर रियायत देती है । आपके सामने अभी भुखमरी का प्रश्न आया और आपने देखा कि भूख से मरने वाले दूसरी जाति के लोग भी हैं और इस कम्युनिटी के पक्षपात का फल आज सारा देश भोग चुका है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो हमारे दिल की भावना सारे देश और राष्ट्र के प्रति है उसको व्यक्त किया जाय । श्रीमन्, दक्षिण भारत के सम्बन्ध में जो खबरें अखबारों में प्रकाशित हो रही हैं वह हमारे सामने हैं और उसकी प्रतिक्रिया खंडित भारत के रूप में आपके सामने पहले ही आ चुकी है । मेरा यह मतलब नहीं है कि पिछड़ी जातियों के उत्थान की कोई गुंजायश न रहे । मैं चाहता हूं कि उनके जीने का प्रबन्ध सब से पहले किया जाय ।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं । जो अमेंडमेंट हमारे सामने पेश है वह मेरे ख्याल से अनकांस्टीट्यूशनल है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसलिये कि संविधान में सिर्फ शेडयूल्ड कास्ट के लिये ही रिजर्वेशन की बात पेश की गई है और उसके अलावा किसी और कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। इसलिये हम यहां कोई ऐसा अमेंडमेंट पेश नहीं कर सकते कि जो कांस्टीटयूशन के खिलाफ हो। इसलिये मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसको आउट आफ आर्डर करार दिया जाय।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---श्रीमन्, इसका निर्णय तो आप करेंगे, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि यह बिल्कुल कांस्टीटयूशनल है और हमको बोलने का हक है और हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। संभव है आप कानून के आधार पर कुछ कहें, लेकिन कानून में कोई लिमिट नहीं है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि इस सम्मानित सदन के सदस्य इस बात को निगाह में रखें कि जाति के नाम पर आप जो छूट देते जा रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष---आपने तो गुण-दोष पर वाद-विवाद करना शुरू कर दिया। स्वायत्त शासन मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---मुझे तो सिर्फ इतना ही निवेदन करना है कि यह एक तो अनावश्यक है और कांस्टीटयूशन के हिसाब से भी हम सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट के लिये ही रिजर्वेशन रख सकते हैं। रिजर्वेशन मुसलमानों के लिये नहीं रखना चाहिये था इसलिये हम उसको भी निकाल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---मैं सुल्तान आलम खां जी के प्वाइंट आफ आर्डर को स्वीकार करता हूं और मैं इस संशोधन की इजाजत नहीं दूंगा क्योंकि वह संविधान के खिलाफ पड़ जाता है।

श्री पदमाकरलाल श्रीवास्तव---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तुत विधेयक के खंड ४ में प्रस्तावित धारा 4--A की उपधारा (२) की पंक्ति ४ में से शब्द "board" निकाल दिया जाय।

मान्यवर, इसके सम्बन्ध में मुझे कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको मान लेंगे क्योंकि यह ड्राफ्टिंग की मिस्टेक है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन् मुझे यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा 4--A की उपधारा (2) की पंक्ति ४ में से शब्द "board" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी गढ़वाल)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा 4--B की उपधारा (1) के प्रतिबन्ध की पंक्ति २ के शब्द "from time to time" के स्थान पर शब्द "only once in times of exigencies" रख दिये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें कुछ अधिक नहीं कहना है। सिर्फ इसमें जो गवर्नमेंट को यह पावर प्रोवाइड की गयी है कि वह आफिशियल गजट के द्वारा समय-समय पर बोर्ड्स के टर्म को बढ़ा सकती है, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि सरकार इस पावर को अपने हाथ में क्यों रखना चाहती है? जब कोई नेशनल इमर्जेंसी की स्थिति आ जाय, तब तो सरकार बोर्ड की मियाद को बढ़ा ले और वह भी सिर्फ एक मर्तबा, लेकिन जब तक ऐसे खतरे की कोई बात न हो तब तक इससे ज्यादा मियाद न बढ़ायी जाय।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, इस प्रस्ताव को मानने में मुझे कठिनाई है कि इससे ज्यादा मियाद न बढ़ायी जाय, लेकिन इसी धारा के मुताल्लिक आगे श्री नेकराम शर्मा और श्री लक्ष्मीनारायण बंसल का एक संशोधन है जिसमें यह है कि अगर एक मर्तबा के बाद मियाद बढ़ाने की आवश्यकता हो तो लजिस्लेचर की स्वीकृति से मियाद बढ़ायी जाय। उसको मैं

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

मान सकता हूं, क्योंकि उसमें कोई डेडलाक होने का डर नहीं मालूम होता है । क्योंकि सदन के सामने वह प्रस्ताव आयेगा और वह जैसा उचित समझेगा, करेगा। इसमें कोई दोष नहीं दिखलायी देता और उनकी बात भी रह जाती है और जो खतरा है वह भी हट जाता है।

श्री उपाध्यक्ष---क्या माननीय सदस्य अपने संशोधन को वापस लेना चाहते हैं ?

श्री सूरतबन्द रमोला---माननीय मंत्री जी के स्पष्टीकरण के बाद मैं अपने संशोधन को वापस लेने की अनुमति सदन से चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा 4--B की उपधारा (1) के प्रतिबन्ध के स्थान पर निम्निलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय---

"Provided that the State Legislature by an Act extend the term of the boards in case of national emergency provided also that no extension shall be for a period of one year at a time".

मान्यवर, सामान्य विवाद के अवसर पर इसके बारे में काफी चर्चा हुई थी। अब तक राज्य सरकार को मूल अधिनियम के अन्तर्गत ही यह अधिकार प्राप्त था कि बोर्ड के कार्य-काल की अवधि को वह बढ़ा सकती है। मान्यवर, अब तक के अनुभव के आधार पर हम यह निःसंकोच कह सकते हैं कि सरकार ने अपने इस अधिकार का दुरुपयोग किया है और इस प्रान्त के अन्दर प्रजातन्त्र का गला घोंटा गया है। एक साल की मियाद बढ़ाने का अधिकार सरकार के पास था, लेकिन देखा यह गया है कि लगातार ६ साल तक यह सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव को टालती गयी। तो श्रीमन्, इस संशोधन द्वारा हम सरकार के हाथ से इस अधिकार को छीनना चाहते हैं। इस संशोधन के मंजूर हो जाने के बाद ऐसा होगा कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसके हाथ में यह अधिकार आ जायेगा कि किसी वक्त जब कोई संकट का समय हो, नेशनल इमरजेंसी हो, राष्ट्रीय संकट हो, तो मजबूरन बोर्ड के कार्यकाल की अवधि बढ़ाई जा सकती है और वह भी विधान मंडल के कानून के द्वारा। राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं होना चाहिये, क्योंकि उस अधिकार का राज्य सरकार आज तक दुरुपयोग करती चली आ रही है, लेकिन इसको मान लेने के बाद कोई भी चुनाव नहीं टाला जा सकेगा जब तक कि राष्ट्र के सामने कोई महान् संकट न हो। साधारणतः चुनाव टालने की यह प्रवृत्ति प्रजातन्त्र के लिये घातक है। अतः मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे संशोधन को मान लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---इसी प्रकार का एक संशोधन श्री ब्रजनारायण तिवारी का है और दूसरा श्री नेकराम शर्मा का है, यही विषय उनका भी है इसलिये वह भी पेश हो जायं और साथ में ही विचार होकर उन पर वोट ले लिया जाय।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मेरा भी एक संशोधन था।

श्री उपाध्यक्ष---मैंने आपका नाम पुकारा था उस समय आप नहीं थे, इसलिये आपको अब संशोधन पेश करने का मौका तो नहीं मिल सकता, आप चाहें तो बाकी संशोधन पेश होने के बाद बोल सकते हैं।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा 4--B की उपधारा (1) का प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय, वह इस प्रकार है :---

"Provided that the State Government may, by notification in the official *Gazette*, extend from time to time the term of all or any of the boards."

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

यह ऐसा संशोधन है कि अगर वह संशोधन जो अभी पहले पेश हुआ है मान लिया जाय तो इसकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। मुझे केवल यह कहना है कि ४ वर्ष का जो समय है वह किसी बोर्ड के लिये बहुत काफी है, लेकिन जो यह प्रतिबन्ध लगाया जाता है वह सरकार को असीमित अधिकार देता है। सरकार तो स्वयं ५ साल के बाद बदल सकती है, लेकिन मालूम होता है कि यह अधिकार १०० वर्ष का लिया जा रहा है। पता नहीं सरकार इस तरह का अधिकार लेने के लिये क्यों उत्सुक है? क्या उसकी कठिनाई है? ४ साल के बाद साधारणतः चुनाव हो जाया करेंगे, एक दो साल के लिये हो सकता है, कोई राष्ट्रीय संकट हो, खास परिस्थिति हो तो अवधि बढ़ाने की बात सोची जा सकती है, लेकिन इसमें लिखा है कि जब भी सरकार की तबियत चाहे बढ़ा दे, यह मुनासिब नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।

श्री नेकराम शर्मा----उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा 4–B की उपधारा (1) के प्रतिबन्ध के पश्चात् निम्नलिखित दूसरा प्रतिबन्ध रख दिया जाय :—

"Provided further that the term so extended shall not exceed one year without obtaining the previous sanction of the Legislature."

श्रीमन्, आजादी के बाद हमने अपने देश में प्रजातांत्रिक पद्धति का एडाप्शन किया और उसे स्वीकार किया, लेकिन आज हम देखते हैं कि संसार के प्रजातांत्रिक देशों में लेजिस्लेचर से ज्यादा केबिनेट अपने हाथ में शक्ति लेती जा रही है और केबिनेट डिस्टेटरशिप की ओर बढ़ती जाती है, लेकिन प्रजातन्त्र के लिये आवश्यक है कि विधान सभाएं सुप्रीम हों। हमने अपने यहां भी देखा कि जिला बोर्डों के इलेक्शन्स सन् ५२ में सम्पन्न न हुए और आज तक भी न हो पाये। इसलिये आवश्यक है कि विधान सभा के पास यह शक्ति आये कि यदि सरकार एक साल से अधिक अवधि बढ़ाना चाहे तो वह प्रश्न असेम्बली के सामने आये। यह एक इन्नोसेंट सा संशोधन है और माननीय मंत्री जी प्रजातंत्र के हामी हैं, इसलिये जरूरत है कि लेजिसलेचर (Legislature) को शक्तिशाली बनावें। कैबिनेट के हाथ में यह अधिकार न हो कि जब तक चाहे बोर्ड्स का ऐक्सटेंशन करती रहे। तो आवश्यक हो जाता है कि अगर १ साल से ज्यादा टर्म बढ़ाया जाय तो असेम्बली से उसकी स्वीकृति ली जाय। मुझे आशा है मंत्री जी मेरे इस इन्नोसेंट संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके द्वारा नेकराम शर्मा जी को, उन्होंने जो सच बात हाउस के सामने रखी, उसके लिये, मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं भी उसकी ताईद करूंगा यानी कि ऐग्जीक्यूटिव यानी Cabinet दिन प्रतिदिन ज्यादा ताकत ले रही है और लेजिस्लेचर की ताकत कम हो रही है। श्रीमन्, यह प्रावीजन (Provision) प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के एकदम खिलाफ है। यह प्रावीजन अंग्रेजों के जमाने की याद दिलाता है कि वे ऐसा बोर्ड बनाते थे जो उनकी हां में हां मिलाये। उसकी एक निशानी आज भी इस ऐक्ट में उससे भी ज्यादा व जबरदस्त तरीके से रखी गयी है। जैसा दोनों तरफ के सदस्यों ने कहा कि ऐग्जीक्यूटिव की ताकत प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के ही खिलाफ़ नहीं है, बल्कि जनता को भी परेशान करने वाली है। मैं दो मिनट में आपके सामने अल्मोड़ा की नगरपालिका की बात रख दूं। वहां की १६ स्ट्रेंथ थी उसमें से १२ मेम्बर विरोधी दल के आये तो सरकार ने उसे सुपरसीड कर दिया। अन्य बोर्डों के चुनाव हुए परन्तु वह सुपरसीडेड बोर्ड आज भी चल रहा है। मैं आज सुबह उसके बारे में कामरोको प्रस्ताव भी लाया था, लेकिन दुर्भाग्य से वह स्वीकार नहीं हुआ। पहले तो ऐडमिनिस्ट्रेटर ने हाउस टैक्स मनमाना बढ़ा दिया। अब पानी का टैक्स कई गुना बढ़ा दिया है। जिससे वहां हाहाकार मची हुई है। जिन लोगों के घर में पानी का कनेक्शन नहीं है उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया है। इस तरह के अत्याचार होते हैं।

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

अगर हम ऐडमिनिस्ट्रेटर को इस तरह का मौका देते हैं या सरकार यह ताकत अपने हाथ में लेती है कि जब चाहे वह बोर्ड को सुपरसीड करदे तो उससे भी बड़े-बड़े अनर्थ होंगे। इसलिये मैं मंत्री जी स अर्ज करूंगा कि वह ताकत सरकार न ले।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---सुपरसेशन का सवाल नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---ऐक्सटेंशन का ही सवाल सही। "जिसको पिया चाहे वही सुहागिन"। जिसका टर्म आप एक्सटेंड करना चाहेंगे उसका ऐक्सटेंड हो जायगा। सेक्शन १६९ में सुपरसेशन की ताकत आपने बोर्ड को दी है, वह डिलीट नहीं कर रहे हैं। जिस बोर्ड को चाहेंगे सुपरसीड करवा देंगे और जिससे सरकार खुश होगी उसको फंड्स भी काफी मिलेंगे, जीप भी मिलेगी, यहां बराबर विधान सभा व विधायक निवास के सामने अल्मोड़े बोर्ड की जीप खड़ी सबने देखी, लेकिन कोई ऐक्शन उसके खिलाफ नहीं लिया। मनमाना वहां के टोचर्स का इस्तेमाल भी होगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि इधर से जो संशोधन आया है उसको स्वीकार किया जाय।

*श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---उपाध्यक्ष महोदय जो संशोधन पेश हुये हैं मैं उनका विरोध करता हूं। मुझे इस बात से बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई गोविन्दसिंह जी ने जो तकरीर की उसमें वह सुपरसेशन के ऊपर कह गये, कुछ टैक्स की बात भी कह गये....

श्री उपाध्यक्ष---माननीय नवलकिशोर जी जरा बैठ जायं। माननीय शांतिप्रपन्न शर्मा जी आप जानते हैं कि कोई माननीय सदस्य सदन में एक तरफ से दूसरी तरफ़ नहीं जा सकते और न जब कोई सदस्य भाषण कर रहे हों उस वक्त उनके और इस आसन के बीच से नहीं निकल सकते, लेकिन आपने दोनों नियमों का उल्लंघन किया है।

हरिजन कल्याण मंत्री के सभा सचिव (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है। भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा।

श्री नवलकिशोर---उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जो क्लाज हमारे सामने था उसका सुपरसेशन से कोई सम्बन्ध नहीं था जो आज संशोधन आये मुझे ऐसा लगा कि इसमें एग्जीक्यूटिव के प्रति एक अविश्वास की भावना है और हमारे एक साथी ने कैबिनेट के ऊपर भी थोड़ी सी अविश्वास की बात की। मैं यह नहीं समझ पाया कि गवर्नमेंट को इस बात का अधिकार न हो कि वह समय-समय पर बोर्ड की अवधि को बढ़ा सके, बल्कि यह अधिकार हाउस को हो और हाउस की राय से ही वह एक्सटेंड की जा सके।

मैं समझता हूं कि इसमें कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हमारे सामने आयेंगी। जिस समय कि बोर्ड के टर्म को बढ़ाने का सवाल हो, उस समय इस बात की बिलकुल निश्चितता नहीं हो सकती कि हमारा हाउस सेशन में होगा या नहीं होगा। ख्वाहमख्वाह किसी बोर्ड के टर्म को बढ़ाया जाय उसके बारे में यह बात कहना कि इस तरह कुछ डिक्टेटोरियल टेंडेंसी होती चली जाती है, मैं समझता हूं कि अगर गवर्नमेंट की डिक्टेटोरियल टेंडेंसी होती चली जाती है तो बहुत कुछ जिम्मेदारी हाउस की होनी चाहिये। अगर हाउस इतना सतर्क और जागरूक हो तो कोई वजह नहीं कि कोई गवर्नमेंट डिक्टेटोरियल टेंडेंसी की होती चली जाय।

डेमोक्रेसी के अन्दर पार्टी गवर्नमेंट हुआ करती है। पार्टी की कुछ डिसिप्लिन होती है और हाउस के अन्दर कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। जहां तक विरोधी दल की तरफ से बातें कही गयीं, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं हुई, क्योंकि उनका विश्वास न होना साधारण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सी बात है। अगर विरोधी दल का विश्वास न हो तो वह बात समझ में आ सकती है। लेकिन आज हमारे सामने प्रश्न यह है कि एक्सटेंड करने की ताकत गवर्नमेंट को होनी चाहिये या नहीं। मैं यह समझता हूं कि आपको यह अधिकार है कि आप एक साल, छः महीने, तीन महीने जितनी चाहें सीमा लगा दें, लेकिन हर बात को गवर्नमेंट न कर सके, वह किसी बात की मोहताज हो और उसके बाद असली मंशा फ्रस्ट्रेट हो जाय तो मैं समझता हूं कि वह चीज चलने वाली नहीं है। मेरा अपना यह खयाल है कि जो यह संशोधन आया है शायद कुछ थोड़ा सा इसके पीछे भ्रम सा है। मैं समझता हूं कि जो इसके अन्दर क्लाज (सी) है, तीन महीने के लिये मियाद बढ़ायी जायगी। मैं समझता हूं कि तीन महीने की मियाद भी ज्यादा नहीं है। मैं चाहता हूं कि जैसा वह क्लाज है उसे वैसा ही पास किया जाय।

*श्री बलवानसिंह---श्रीमन्, माननीय नवलकिशोर जी ने जो इसका समर्थन किया है कि सरकार जितने दिन चाहे बोर्डों की अवधि बढ़ा सके, उसका मैं विरोध करता हूं। अगर आप देखें श्रीमन्, १९२२ में भी जब यह ऐक्ट बना था, उस वक्त भी यही चीज थी कि चार साल बोर्ड की जिन्दगी होनी चाहिये। अब छः साल बाद इसका चुनाव होने जा रहा है। बोर्ड कोई ऐसी चीज नहीं है जिस का चुनाव टाला जाय। पार्लियामेंट या असेम्बली की तरह इसके चुनाव को नहीं रोका जा सकता कि देश पर कोई आपत्ति आ गयी इसलिये टाल रहे हैं। बोर्ड के अन्दर ऐसी चीज नहीं आती। श्रीमन्, बोर्ड का चुनाव न होने की वजह से इस सूबे का बड़ा नुकसान हुआ है। देहातों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कें हैं वे इतनी खराब हो चुकी हैं और एक भी काम ठीक से नहीं हुआ है। उसका कारण यही है कि चुनाव नहीं हुआ। अगर चुनाव होता तो इतना जबर्दस्त नुक्सान सूबे का न होता। छः साल के तजुर्बे के बाद भी सरकार इस बात के बंधन में नहीं आना चाहती कि एक साल से ज्यादा हम उसकी जिन्दगी को न बढ़ा सकें।

नवलकिशोर जी ने कहा कि हो सकता है उस वक्त सेशन हो या न हो। एक साल का समय तो बहुत होता है। एक साल के अन्दर तो सेशन आयेगा ही, आखिरकार बजट सेशन आता है। टाइम आयेगा उसके अन्दर, उस सेशन के अन्दर, आप एक साल के अन्दर सोच सकते हैं। एक साल से ज्यादा नहीं रखेंगे। चार साल और एक साल, पांच साल काफी होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---आप माननीय नेकराम शर्मा के संशोधन का समर्थन कर रहे हैं?

श्री बलवानसिंह---जी हां। समर्थन कर रहा हूं और कुछ और भी मुझे कहना है।

श्रीमन्, इस सरकार को बहुत शौक है, जहां तक इंगलैन्ड की पार्लियामेंट है या अमेरिका की पार्लियामेंट है, उसकी बहुत कुछ कापी कर रखी है। इनका दिमाग बिलकुल इंग्लिशमैन का हो चुका है, जहां तक सिर्फ कापी करके लिखने का ताल्लुक है, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं है। इंगलैन्ड की एक-एक धारा की कापी कर रक्खी है वह दिखाने के लिये कि हम कितने डेमोक्रेट हैं, हमारे देश में कितनी डेमोक्रेसी है, इंग्लैन्ड और यू०एस०ए० की तमाम चीजें लेकर कांस्टीट्यूशन में रख दी हैं, लेकिन एक का भी पालन नहीं करते। इंगलैन्ड में सन् १९४५ में चुनाव हुआ जब कि उस देश की एक एक ईंट के ऊपर वार की आवाज थी और वहां पर ऐबनार्मल चीजें थीं। उस वक्त इंग्लैन्ड ने अपने देश में चुनाव कराया, लेकिन यहां पर १९४८ के बाद से किसी दिन भी इमरजेंसी नहीं आयी कि इस सरकार को सन् १९५२ के बाद एक दिन भी उसकी वजह से चुनाव को टालने की आवश्यकता हुई हो।

मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि आखिर जो आप टाइम लेना चाहते हैं इमरजेंसी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सिलसिले में वह क्यों? सबसे नीचे की ताकत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवानसिंह]

हाथ में है। हमारी पार्टी का जैसा कांस्टीट्यूशन है उसके अनुसार हम चौखम्भा राज के अन्दर, जिले की ताकत को सब की सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को देना चाहते हैं। अगर यह सरकार वैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाये तो उसको अपनी नीयत साफ करनी चाहिये। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वह जिले के अन्दर सारी ताकत दे, पुलिस की ताकत दे, प्लानिंग और काटेज इंडस्ट्रीज के जितने भी काम हैं, सब उसके अधीन करे तो कुछ कल्याण हो सकता है, लेकिन वह कुछ नहीं है। सरकार ने कोई ताकत उनको नहीं दी है और उसके ऊपर भी उनकी जिन्दगी को बढ़ा देना यह तो एक हद है।

तो यह सरकार पहले अपनी नियत को साफ करे। छः साल के बाद यह बिल हाउस के अन्दर आया जबकि यह बात सदन में आ चुकी है कि सरकार ने छः साल तक चुनाव नहीं कराया तो कितनी डिसआनेस्ट है यह सरकार और उस पर भी कोई लिमिटेशन नहीं चाहती। अगर अब भी हम कोई चेक नहीं रखेंगे तो सरकार अपनी मर्जी पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव को टालती रहेगी, जिसका नतीजा यह होगा कि गांवों की जो हालत है, जो वहां के हास्पिटल्स हैं, जो स्कूल्स हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब हो जायगी अगर इस सरकार पर कोई अंकुश नहीं हुआ। इस बिल के अन्दर वैसे कोई अच्छी चीज नहीं थी। हमने उसका विरोध किया, लेकिन फिर भी जब ले आये तो उसकी जिन्दगी के ऊपर कोई लिमिटेशन रखें। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा था कि किसी भी कीमत पर .....

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य ने कोई संशोधन मूव नहीं किया है। आपका कोई संशोधन सदन के सामने रखा नहीं है। आपने इरादा किया होगा।

श्री बलवानसिंह---इसलिये मेरा कहना है कि एक साल से ज्यादा इसकी जिन्दगी को बढ़ाने की ताकत सरकार अपने हाथ में न ले।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का, मुझे खेद है कि विरोध करने के लिये आपके सामने आया हूं और वह इस कारण कि

(व्यवधान)

यह भी होता है कि हम कोई चीज इस सदन में लायें तो बड़ी सुविधा से प्रजातंत्र हमारे सामने आ जाता है। किसी एक मुकदमे के मसले पर डिस्कशन हो तो वहां भी प्रजातंत्र आ जायगा। मेरे खयाल में प्रजातंत्र को हम बहुत बढ़ा देंगे अगर हाई-कोर्ट के मुकदमे इस हाउस में ले आये जायं और उन पर बहस हो। प्रजातंत्र के विकास का जहां तक संबंध है उसका अर्थ यह नहीं है कि उसे यह सदन तय करता है या कौन तय करता है, हमें उसके विकास करने में मुख्यतः कार्य विभाजन पर जोर देना होगा, हमें यह निश्चित करना होगा कि यह सदन क्या करेगा, कैबिनेट और सर्विसेज का क्या कार्य होगा। जहां तक कार्य विभाजन का संबंध है मैं समझता हूं कि इस सदन का काम कानून बनाना है, इस सदन का काम ऐडमिनिस्ट्रेशन या संचालन नहीं है। कार्य संचालन में अगर दिक्कतें आयें उन पर तो यह सदन गौर कर सकता है, लेकिन नियम यह बना दें कि किसी कार्य का संचालन भी यह सदन करेगा तो यह प्रजातंत्र के विकास में सहायक नहीं होगा, वरन रोड़ा ही अटकायेगा।

श्री उपाध्यक्ष---एक्जीक्यूटिव के नियंत्रण का काम ही इस सदन का मुख्य काम है।

श्री जगदीशप्रसाद---एक्जीक्यूटिव के नियंत्रण का काम सदन का है, ऐडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। आप नियमों द्वारा यह प्रतिबन्ध तो लगा सकते हैं कि एक एक्सटेंशन देंगे या दो, एक साल का एक्सटेंशन देंगे या चार साल का देंगे और इन-इन परिस्थितियों में एक्सटेंशन देंगे, लेकिन जब किसी केस में एक्सटेंशन देने का सवाल आयेगा तो वह भी सदन के सामने आये और उस पर यहां बहस हो तो मैं समझता हूं कि सरकार के खजाने का खर्चा बढ़ेगा। यहां बहस करने में एक एक मिनट पर काफी खर्च होता है इसको माननीय सदस्य जानते हैं। एक-एक मामले को लाकर यहां बहस करने में जनता के धन का अपव्यय होगा और हम किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंचेंगे।

प्रजातंत्र को विकसित करने के लिये हमें एक बात को सोच कर चलना होगा और वह यह है कि हमको सर्विसेज को ईमानदार बनाना है। हमको कैबिनेट पर विश्वास करना है, लेकिन यदि यह सोच कर चलते हैं कि सर्विसेज ईमानदारी से काम नहीं करतीं, खराब काम करती हैं तो मैं निवेदन करूं कि यह असंगत नहीं होगा कि हम किसी भी कानून को ठीक तरह से नहीं बना सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—एक गलतफहमी है। माननीय नेकराम शर्मा का संशोधन आप गौर से देखें। एक साल तक वे इजाजत चाहते हैं। अगर एक साल के बाद जरूरत पड़े तो लेजिस्लेचर की सेंक्शन लेने की बात है।

श्री जगदीशप्रसाद—मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने उस तरफ मेरा ध्यान दिलाया। मैंने संशोधन को अच्छी प्रकार से पढ़ा है और मैं एक बार एक्सटेंशन देने के पश्चात् दूसरी बार देने की बात कह रहा था। मैं अर्ज कर रहा हूं कि जब कोई मसला सरकार के सामने एक्सटेंशन के लिये आता है तो कैबिनेट या मिनिस्टर कंसर्न्ड यहां बैठ कर सोच लेते हैं कि वहां एक्सटेंशन देना है ऐसा नहीं होता है; होता यह है कि नीचे से कागजात, फाइल व रिपोर्ट आती है ऊपर तक और तब मिनिस्टर उस पर दस्तखत कर देते हैं। अगर वह केस यहां आयेगा तो यह नहीं सोचना होगा कि इस कनून के बनाने में यह फायदा है या यह नुक्सान है बल्कि सोचना यह होगा कि कलेक्टर ने जो रिपोर्ट दी है वह गलत दी है, या सही, कमिश्नर ने जो रिमार्क दिया है वह गलत दिया है या सही। यह सदन का काम नहीं है। हमको यह समझना होगा कि जो रिपोर्ट वे करते हैं वह सही करते हैं, हां, प्रतिबन्ध लगाईं नियमों द्वारा वह दूसरी बात है।

फिर इस सदन का फैसला किसी नियमित प्रणाली द्वारा होता है, यहां प्रत्येक प्रश्न बहुमत से निश्चय होता है। किसी व्यक्तिगत मामले का फैसला हाथ उठा कर करना कहां तक उचित होगा? यह सदन कोई उसूल तो तय कर सकता है और उन उसूलों को जो संचालित कर रहे हैं उनको कसौटी पर कसा जाय, इसे तो मैं उचित समझता हूं, लेकिन किसी व्यक्तिगत मामले को यहां लाना उचित न होगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री मलिकानसिंह (जिला मैनपुरी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेकराम शर्मा जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। इस प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव सन् ५२ में हो जाने चाहिये थे, किन्तु लेजिस्लेचर को कोई पावर न देने के कारण बराबर ६-६ महीने का एक्सटेंशन जिला बोर्ड्स को मिलता रहा और उसका परिणाम यह हुआ कि जिला बोर्ड्स की हालत ऐसी हो गई कि स्कूलों की न तो इमारतें हैं और न सड़कों की हालत ही अच्छी है। ४ साल पहले की टूटी हुई सड़कों की आज तक मरम्मत नहीं हो पाई। इसकी पूर्ण जिम्मेदार यह सरकार है। हम ५ साल से बराबर देखते चले आये हैं कि सरकार ने इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को ६-६ महीने करके एक्सटेंशन दिया और वह बराबर बढ़ते चले गये।

श्री उपाध्यक्ष—एक बात मैं कह दूं कि मैं पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा। नयी-नयी दलीलें दी जा सकती हैं, लेकिन हर माननीय सदस्य बराबर कही हुई बातों को दुहराना शुरू कर दें तो मैं उसकी इजाजत नहीं दे सकता।

श्री मलिकानसिंह—श्रीमन्, मैं पुनरावृत्ति नहीं कर रहा हूं, मैं तो जो परिणाम जनता पर इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की मियाद के बढ़ाने से हुये उस संबंध में बराबर कह रहा हूं, मैं इससे पहले मौजूद नहीं था, मैं नहीं जानता कि अन्य सदस्य इस संबंध में क्या बोले, लेकिन इस समय जिन सदस्यों ने भाषण दिये हैं उनमें शायद पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसका मैं पूर्ण ध्यान रखूंगा।

श्रीमन्, मैं यहां यह कह रहा था कि जो सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मियाद बढ़ाने का कार्य किया और उसको बढ़ाते चले गये, उसके कारण ५ साल के बाद आज हर जिले में

[श्री मलिखान सिंह]

कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बने हुए हैं। उनके कारण वहां जनता को और अध्यापकों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती थी उसके ऊपर मैं प्रकाश डाल रहा था। आज यदि कोई ऐसा अधिकार हम देते हैं तो यही सरकार नहीं, इसके बाद आइन्दा आने वाली सरकार भी उनको इस्तेमाल कर सकती है और अपनी सत्ता का यह सरकार दुरुपयोग कर सकती है। तो जिस प्रकार से मियाद बढ़ा-बढ़ा कर डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का कुचक्र चलाया गया उसी के अन्दर हम बराबर पिसते चले आये। इस प्रकार से मियाद बढ़ाने के मैं बिलकुल पक्ष में नहीं हूं। तीन महीने के लिये बढ़ाये और जो माननीय नेकराम शर्मा ने कहा है कि एक साल के बाद अगर सरकार बढ़ायेगी तो इस हाउस से परमीशन ले और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की अवधि को बढ़ाये। यह वास्तव में प्रजातंत्र की प्रणाली हो सकती है; अभी श्री जगदीशशरण अग्रवाल ने जो भाषण दिया और कहा कि हमें यह देखना होगा कि जिले के कलेक्टर की रिपोर्ट क्या आती है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मैं उपमंत्री जी का ध्यान स्पीच की ओर दिला रहा हूं। मैं चाहता था कि वह व्यवस्था का खयाल रखें।

श्री उपाध्यक्ष---मैंने देखा नहीं, अब तो बच गये।

श्री मलिखानसिंह---तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि जो कलेक्टर की रिपोर्ट होगी उसको यदि मानेंगे तो यह काम तो विदेशी शासन ही किया करता था कि अपने नौकरशाही के कर्मचारियों की रिपोर्ट के ऊपर वह आश्रित थे। आज सदन में उनका यह कहना कि हमें कलेक्टर की रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, मैं यह कहूंगा कि यह सरकार और इस सरकार के बनाने वाले भी उन्हीं आधारों पर जा रहे हैं कि कलेक्टर की या नौकरों की रिपोर्ट ही प्रमुख होगी और जनता के प्रतिनिधियों का कहना कोई अर्थ नहीं रखता। फिर तो इस लेजिस्लेचर या हाउस में कोई काम करना ही बेकार है। कलेक्टर अपना कानून बनाकर उपस्थित करेंगे और सरकार उसको मान लिया करे।

तो मुझे यह निवेदन करना है कि हमें यहां पर सोचना होगा कि सरकार आगे किसी भी हालत में मियाद बढ़ाने के लिये बाध्य न हो और मैं तो नेकराम शर्मा जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और यह कहता हूं कि जब भी एक साल के बाद मियाद बढ़ाई जाय तो लेजिस्लेचर से उसका मत लिया जाय। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

*श्री सुल्तान आलम खां---माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे उस बात का बड़ा अफसोस रहा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इलेक्शन १० साल तक नहीं हो सके, लेकिन इसके बावजूद भी इस बिल को तरमीम करने के लिये जो संशोधन आये हैं उनपर गौर करने की जरूरत पड़ती है तो बड़ी दिक्कत पैदा होती है। वजह यह है कि जो कानून बनाया गया है उसके मुताल्लिक यह बात साफ है कि यह इसलिये बनाया गया है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के इलेक्शन्स जल्द से जल्द करा दिये जायं और इन इलेक्शन्स को जल्द से जल्द कराने के लिये ही, जाहिर है एक काम्प्रीहेंसिव बिल नहीं आ सकता था। अगर लाया जाता तो.....

श्री उपाध्यक्ष---यह तो आप आम वाद-विवाद की बात कर रहे हैं जरा संशोधन पर आजाइये।

श्री सुल्तान आलम खां---मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और कुछ ज्यादा अर्ज नहीं करूंगा। एक काम्प्रीहेंसिव बिल नहीं आया और एक छोटा सा बिल आया है। जाहिर है, इस ऐक्ट में कोई बड़ी तरमीम नहीं की जा सकी। सिर्फ उनकी बुनियाद पर ही तरमीम हो सकती है कि यह बिल जल्दी से जल्दी तैयार हो जाय और उसकी बुनियाद पर इलेक्शन्स हों।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे सामने क्लाज ४ है। मैंने बड़े गौर से इसको पढ़ा। इसके मुताल्लिक हाउस में राय तकसीम है। बाज लोगों की राय है कि गवर्नमेंट के पास अख्तियारात रहने चाहिये और जब जरूरत समझे बोर्ड की जिन्दगी बढ़ा दें, बरअक्स इसके कुछ लोग चाहते हैं कि यह अख्तियारात गवर्नमेंट के पास बिलकुल नहीं रहने चाहिये बल्कि लेजिस्लेचर के पास आ जाने चाहिये।

यह अमेंडमेंट जो नेकराम शर्मा जी ने पेश किया है, इसको मैंने पढ़ा तो मैंने यह महसूस किया कि उनका रिजोल्यूशन एक तरीके का कम्प्रोमाइज है, जो सदन के सामने इस वक्त मौजूद है, जिसके मातहत कुछ अखतियारात गवर्नमेंट के कायम रहेंगे और वह बोर्ड की जिन्दगी में हस्ब जरूरत तौसीअ कर सके और ऐसा भी न हो कि दस पांच साल तक बराबर उसकी जिन्दगी बढ़ाती चली जाय और हम हाउस में बैठकर एतराज न कर सकें, तो जो अमेंडमेंट उन्होंने दिया है, मैं समझता हूं कि वह दोनों जरूरतों को पूरा करता है और इसके जरिये से हमें मौका मिलेगा कि हम एक नये एक्सपेरीमेंट को ट्राई करें। मैं यह समझता हूं और जहां तक मेरी जानकारी है कि किसी और दीगर सूबे में ऐसा बिल पेश नहीं हुआ है जिसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट में इस बिना पर तरमीम की गई हो कि कोई स्टेट इस पावर को लेजिस्लेचर को दे दे। अगर हम इस अमेंडमेंट को पास कर दें तो उत्तर प्रदेश की स्टेट इसमें पायोनियर होगी और हमारी स्टेट हर चीजों में पायोनियर रही है, रिफार्म्स में रही है और मुल्क में पोलिटीकल ऐक्टीविटीज में रही है। मैं समझता हूं कि यह वक्त का तकाजा है जो हम कर रहे हैं। मैं शर्मा जी का मशकूर हूं कि वह एक ऐसा अमेंडमेंट लाये हैं। मैं जाती तौर पर इसकी ताईद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट इसको मंजूर करेगी।

*श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—उपाध्यक्ष महोदय, पहले इसके कि मैं अपनी तकरीर करूं मैं आपको धन्यवाद दूं कि बहुत अर्से के बाद मुझे टाइम दिया।

श्री उपाध्यक्ष—देखिये, धन्यवाद के तरीके के बारे में बतला दूं। बहुत अर्से के बाद वक्त देने की बातें कह कर धन्यवाद देना तो चेयर पर रिफ्लेक्शन है और मैं किसी माननीय सदस्य को इन शब्दों के इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दूंगा। आप इन शब्दों को वापस लीजिये।

श्री रामशरण यादव—अगर असंसदीय हैं तो मैं वापस लेता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव के संशोधन का समर्थन कर रहा हूं। इसके मुताल्लिक बहुत से माननीय सदस्यों ने तकरीरें कीं और कुछ न कुछ जनतंत्र के नाम पर कहा। मैं भी महसूस करता हूं कि जिस समय वह कहते हैं कि गवर्नमेंट को ज्यादा पावर्स दी जायं और लेजिस्लेचर को न दी जायं तो वह जनतंत्र के महत्व को भूल जाते हैं। जनतंत्र में इलेक्शन एक अंकुश होता है और सरकार किसी पार्टी की हुआ करती है। जब तक पार्टी पावर में है यदि उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं रहता है तो वह निरंकुश होकर मनमाने ढंग पर टांग फैलाती है और जो भी अख-तियारात हैं उनका मनमाने तौर पर इस्तेमाल कर सकती है और इसका जाहिरा रूप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के जीवन में देखा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, कहने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की अवधि चार वर्ष की ही थी और आपने देखा कि बढ़ते-बढ़ते कम से कम १०—११ साल गुजर रहे हैं उनके जीवन के और जो भी अव्यवस्था और परेशानी है और डिस्ट्रि-क्ट बोर्ड से मुताल्लिक जो हजारों, लाखों आदमियों की जिन्दगी का सवाल है, देहाती उत्थान का सवाल है वह जहां का तहां अपनी जगह पर कायम रहा।

यह भी कहा जाता है इसके एम्स ऐंड आब्जेक्ट्स में है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का प्लानिंग से भी सम्बन्ध किया जायगा। तो मैं आपके जरिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को इतने अख्तियारात दिये जा रहे हैं तो उस समय गवर्नमेंट को पूरा-पूरा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामशरण यादव]

जिम्मेदार बना देना और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की जिन्दगी उसके हाथ में दे देना कतई मौजूं नहीं है, उसके ऊपर जरूर कुछ न कुछ अंकुश होना लाजिमी है। इसलिये जो माननीय पद्माकरलाल जी ने संशोधन रखा है उसमें माननीय नेकराम जी शर्मा के संशोधन बाइ ऐन ऐक्ट आफ दि लेजिस्लेचर (by an act of the legislature) का भी आविर्भाव हो जाता है, मैं समर्थन करता हूं। लेजिलेचर के सामने जब किसी बोर्ड की जिन्दगी बढ़ाने का सवाल आयेगा तो उसको उन परिस्थितियों पर गौर करने का पूरा हक होगा और वह उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करायेगा। इसलिये इन थोड़े से शब्दों में मैं माननीय पद्माकरलाल जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो संशोधन श्री नेकराम शर्मा ने पेश किया है उसकी ताईद में खड़ा हुआ हूं। जिस वक्त हमने यह संशोधन पेश किया था तो मैं साफतौर से बतलाना चाहता हूं कि हमारी मंशा यह कतई नहीं थी कि गवर्नमेंट को या कैबिनेट को या किसी एग्जीक्यूटिव अथारिटी को सेन्श्योर किया जाय। हमारा मंशा तो केवल यह था कि हमको ऐसी स्वस्थ परम्परायें कायम करनी चाहिए कि आइन्दा आने वाले लोग यह कहें कि हमारे पूर्वजों ने ऐसे अच्छे कन्वेन्शन्स कायम किये।

जहां तक बोर्ड की लाइफ को एक्सटेंड करने का सवाल है, ऐसा मसला रोजमर्रा तो पेश नहीं आता, ऐसी परिस्थितियां तो कभी-कभी आती हैं जब बोर्ड की लाइफ को एक्सटेंड करना पड़ता है। यह कहना कि कैबिनेट को ज्यादा पावर्स हैं और उनको कम करना चाहिये सही न होगा, क्योंकि कैबिनेट तो हमेशा उसकी बनेगी जिसकी मेजारिटी होगी। तो चाहे कैबिनेट बढ़ायें या हाउस बढ़ायें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाउस को कांफिडेन्स में लेने से हाउस की प्रेस्टीज बढ़ती है और माननीय सदस्यों को भी एक संतोष होता है कि गवर्नमेंट ने हमको कांफिडेंस में लिया। इसलिये मैं फिर यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट या कैबिनेट की नीयत पर हमला करने की आवश्यकता नहीं है।

अब सवाल यह है कि इसको रखने की जरूरत क्या है? बहुत से माननीय सदस्यों ने यह दलील पेश की कि हमको गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास रखना चाहिये और जब गवर्नमेंट हमारी बनायी हुई है तो हम क्यों अविश्वास करें। मैं कहता हूं कि इसका यहां पर तो कोई मौका ही नहीं है। एमर्जेन्सी के लिये साल भर का अधिकार तो सरकार को हासिल है, लेकिन अगर साल भर से ज्यादा एक्सटेंड करने का मौका पड़ता है तो जरूरी है कि उसके लिये हाउस से सैंक्शन ली जाय। एक रेजोल्यूशन यहां पास किया जा सकता है कि उसकी टर्म एक्सटेंड करना जरूरी है या नहीं। इसलिये इस संशोधन में कोई ऐसी बात नहीं है जो काबिले एतराज हो। मैं समझता हूं कि जो अपोजिशन के सदस्य हैं वह भी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे क्योंकि इससे उनकी भावना का भी मान होता है। वह हमेशा समझते हैं कि गवर्नमेंट ज्यादा अधिकार अपने हाथ में ले रही है, गवर्नमेंट का ज्यादा अधिकार लेने का भी इरादा नहीं है। गवर्नमेंट को अधिकार सदन से मिले हुये हैं जो सदन ने उसको दिये हैं। सदन चाहे तो उनको वापस भी ले सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन की ताईद करता हूं।

श्री मोतीलाल श्रीवास्तव—मैं आपकी आज्ञा से आपके द्वारा नेता सदन से यह प्रश्न करना चाहता हूं कि अभी बहस के ट्रेन्ड को देखते हुये जो मतदान देने की बात है उसके लिये उन्होंने अपनी पार्टी को फ्रीडम आफ वोटिंग दे दी है? व्हिप तो नहीं लगा है?

श्री उपाध्यक्ष—यह मेरे सामने आने की बात नहीं है। इस सदन में जो कार्यवाही होती है उसके लिये यह समझा जाता है कि कोई व्हिपिंग नहीं लगी है। यह अपनी अपनी पार्टी का प्रश्न है तो फिर यह प्रश्न उनसे कैसे पूछा जा सकता है?

श्री विश्वनारायण शर्मा--मुझे यह अर्ज करना था कि यह इस सदन को मालूम है कि इस विधेयक को सिर्फ विरोधीदल के असन्तोष को दूर करने के लिये, उनको तुष्टि प्रदान करने के लिये जो भी हम अयोग्य व्यक्ति दे सकते थे उनकी दृष्टि से उनको देने की कोशिश की गयी है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस दृष्टि से यह सब किया गया वह सिद्ध नहीं हो सकता। अभी तक विरोधी दल के नेताओं ने अधिक से अधिक सहयोग इस बात में दिया कि यह बिल समय से पास न हो सके। ऐसे संशोधन के लिये यहां पर वोटिंग हुआ, एक मत होकर जिसे अगर उसको स्वीकार कर लिया जाता गवर्नमेंट की तरफ से तो यह बिल २, ३ महीने के लिये चला जाता और चुनाव की बात नहीं हो सकती थी। आज भी मैं देखता हूं कि कोई ८० के करीब संशोधन है। जिस तरीके से अभी तक इस पर बहस हो रही है वह यदि जारी रही तो यह आजकल में पास नहीं हो सकेगा। फिर शायद यह ख्वाहिश हो कि सदन का समय बढ़ा दिया जाय। मेरा खयाल है कि जो माननीय सदस्य थोड़ा सा समय भी बढ़ाने का विरोध करते हैं तो वह कैसे इसको गवारा करेंगे। यह विचार कर समय नष्ट न करें और समय से इस बिल को पास कर लें तो अच्छा है। यह बिल महज एक इनेबिलिंग अमेंडिंग बिल था। जैसा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रजेन्ट ऐक्ट है उसके तहत में यह इलेक्शन होने वाले थे। जो चीज बिलकुल नितान्त आवश्यक थी और जिसको करना चाहिये था और जिसके किये बिना इलेक्शन नहीं हो सकते थे, सिर्फ उतनी ही चीज पास करने के लिये यह है। मैं इस पर दोबारा नहीं बोलूंगा। जो नेकराम शर्मा जी ने संशोधन पेश किया उसको मैं स्वीकार कर रहा था और संकेत कर दिया था। उसके बाद फिर यह कहना कि गवर्नमेंट यह करना चाहती है और वह करना चाहती है, यह प्रश्न उठता नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट तो सदन की राय से करेगी। अगर सदन हमारी राय से इत्तफाक करता है तो इसमें हमारा दोष नहीं है। मैं नेकराम शर्मा जी का संशोधन स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--इस सम्बन्ध में मैं आपको सूचना दे दूं कि राजनारायण जी का इस संबंध में एक प्रस्ताव आया है। चूंकि बीच में आ गया था, खंड पर वाद-विवाद हो रहा था इसलिये मैंने उसको लिया नहीं। वह यह है कि "मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक यह विधेयक पारित न हो जाय तब तक सदन की कार्यवाही चलती रहे।" तो खंड ४ के बाद में इसको लूंगा और आपने जो अपील की है सचमुच उस पर माननीय सदस्यों को ध्यान देना चाहिये।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--मैं एक निवेदन कर दूं कि यह माननीय मंत्री जी की अपील नहीं थी। यह जो लीपापोती हुई है उसका स्पष्टीकरण था और एक लांछन हमारे ऊपर लगाया गया है। तो यह जो लांछन लगाया गया है उसको मैं स्पष्ट कर दूं। इसके लिये मैं आप से इजाजत चाहता हूं। विरोधी दल का कतई यह मकसद नहीं है कि चुनाव न हों। मैं सोशलिस्ट पार्टी की ओर से और जितने दूसरे लोगों को जानता हूं उनकी ओर से भी कहता हूं कि हम सब चाहते हैं कि चुनाव अविलम्ब हों, आज हों, कल हों, परसों हों। यह एक बात साफ है।

दूसरी बात यह कि उन्होंने नेकराम जी का संशोधन मान लिया। इसके लिये हमको प्रसन्नता है।

तीसरी बात यह कि हम अब भी यह करने के लिये तैयार हैं और मानेंगे कि इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को भंग कर दिया जाय और एक एडहाक कमेटी बना दें जैसा कि मैंने पहले ही अपना मंतव्य व्यक्त किया था और गांव सभाओं के लोग उसका इंतजाम करें। चुनाव मार्च या अप्रैल तक हो जायं। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी सरकार चुनाव करा दे और अगर इसके लिये सरकार तैयार नहीं है तो इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये जिसकी लाश से दुर्गन्ध निकल रही है और जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है, उसके सुधार के लिये यह विधेयक जल्दी से जल्दी पास हो जाय। इतना स्पष्ट है कि हम चुनाव को टालना नहीं चाहते।

[श्री राजनारायण]

माननीय मंत्री जी जरा जो अमेंडमेंट कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रहे हैं और जो कांग्रेसी लोग बोलने खड़े हो रहे हैं, उनको रोकें। हम लोग तो अगर आप कहें तो फिर वाकआउट कर देंगे। यह पास हो जाय और इसके लिये अगर सरकार चाहे तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन सरकार तब तक जरूर बैठे जब तक कि यह पास न हो जाय।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं इसलिये कि उन्होंने नेकराम जी का संशोधन मान लिया। अगर सरकार की ओर से कर्त्तव्य पालन भी होता हो तो धन्यवाद देने में उस के लिये भी कोताही नहीं होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---इससे सरकार की हिम्मत बढ़ती है (हंसी)

श्री गेंदासिंह---जी हां और आदमी काम करने की ओर जाता है। जहां तक उन्होंने इस विधेयक को जल्दी पास करने की बात की, मैं समझता हूं कि इसमें उनको शक नहीं होना चाहिये किसी से और जिस तरह से लोगों ने प्रवर समिति में जाने वाले संशोधनों को वापस लिया है उससे ही उनकी मंशा जाहिर हो जाती है कि यह विधेयक जल्द से जल्द पास हो जाय। मैं समझता हूं कि इसमें अधिक समय लेना उचित नहीं है और इस तरफ के बैठने वाले सभी लोग यह चाहते हैं कि यह जल्द से जल्द पास हो जाय और जैसा कि राजनारायण जी ने कहा, अगर आप आवश्यक समझें तो इधर के लोग बोलना बंद कर देंगे। यह काम सरकार ने गड़बड़ कर रखा था और अगर नेकराम जी और पद्माकर लाल जी ध्यान न दिलाते तो सरकार से जुर्म हो ही जाता। लेकिन लोगों ने बोल दिया इसलिये सरकार जुर्म करने से बच गई। इसलिये जहां जरूरी हो वहां बोल कर जिस वक्त तक यह पास न हो उस वक्त तक बैठ कर इसको पास जरूर कर लेना चाहिये। जो सड़ी गली चीज चली आ रही है उसमें और कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि हमारी पार्टी के नेता ने यह वचन दे दिया है कि हम इसको आज ही और जल्दी पास करना चाहते हैं इसलिये मैं कम से कम समय में दो तीन बातें आप के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री सुल्तान आलम खां---मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि वक्त तो हाउस का खुद ही लिया जा रहा है, इसलिये कि जिस चीज पर हम बहस कर रहे हैं उसका कोई मोशन हमारे सामने नहीं है, राजनारायण जी ने या किसी साहेब ने पेश नहीं किया है। इसलिये उनसे कहा जाय कि संशोधन पर ही बोलें।

श्री उपाध्यक्ष---वह संशोधन पर ही बोल रहे हैं। पहले मैंने इजाजत दे दी थी और वह भाषण उनका जारी है। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, वह और उनकी पार्टी के लोग व्यग्र हैं। हमारी ओर से राजनारायण जी ने आश्वासन दे ही दिया है कि जब तक यह विधेयक पास न हो जाय हम बैठें।

मुझे सरकार की दो प्रकार की बातों पर अक्सर परेशानी होती है। मंत्री जी ने पहले कहा था कि वह एक अच्छा बिल लाना चाहते थे जिस में बोर्ड के अधिकार बढ़ जाते और उनका संगठन हो जाता। अखबारों में चर्चा भी हुई। यदि सरकार महसूस करती है कि वह ४ साल से ज्यादा मियाद नहीं बढ़ायेगी तो जैसा उचित समझे इसमें रखें और सदन उस पर विचार करेगा। लेकिन जब दो साल के लिये हुआ और ४ साल की बात पर मंत्री जी कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। दो साल के बाद वह कानून ला ही रहे हैं। और यहां यह जोर दे रहे हैं कि बोर्ड की अवधि को बढ़ाने का अधिकार सरकार के पास रहे। दूसरी बात यह है कि १ मंत्री या दस मंत्रियों के हाथ में इस प्रदेश के ६ करोड़ लोगों का भाग्य दे दिया जाय और प्रजातंत्र को मजबूर किया जाय। तीसरी बात यह है

कि एकतंत्र की ओर हम लोग जावें। मैं समझता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य यह नहीं चाहेगा कि प्रजातंत्र के अधिकारों को संकुचित करके एकतंत्र को बढ़ावा दिया जाय। जो यह निर्णय करे कि बोर्ड का समय कितना बढ़ाया जाय। अगर मंत्री जी को कोई परेशानी है, जिससे वह बोर्ड का समय बढ़ाना चाहते हैं तो यहां विधेयक ला सकते हैं और सचमुच ऐसे कारण हैं तो वह अपने आप पास हो जायगा। सच्ची आवश्यकता को सभी महसूस करेंगे।

मान लिया कोई लड़ाई छिड़ जाय या कोई और ग्रेव डेंजर देश में खड़ा हो जाय, तो कौन ऐसा आदमी होगा जो चुनाव की चर्चा करेगा और उन बड़ी बातों की ओर ध्यान न देगा ? यहां के माननीय सदस्य , जो प्रजा के प्रतिनिधिस्वरूप यहां आये हैं , वह यदि समय के बढ़ाने के बारे में अपना निर्णय दें तो वह ज्यादा उपयुक्त और शोभनीय होगा या मंत्री जी के अकेले करने से ज्यादा उपयक्त और शोभनीय होगा ? अकेला आदमी भी कभी-कभी अच्छा काम कर सकता है। लेकिन फिर भी प्रजातंत्र के जो हामी हैं, वे कभी इस बात को पसन्द नहीं करते हैं कि एक आदमी के हाथ में सारी ताकत हो, चाहे वह कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, क्योंकि एक आदमी अक्सर गलती कर सकता है, लेकिन प्रजा कम से कम गलती करती है । श्रीमन्, इन शब्दों के साथ मैं आपके द्वारा इन्हीं तीन बातों की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। एक तो यह कि माननीय मंत्री जी जो बोर्ड के समय बढ़ाने की ताकत की मांग कर रहे हैं, वे इस को सिद्ध करके दिखलावें क्योंकि मालूम होता है कि उनके हृदय में कोई छिपी हुई चीज अवश्य है कि जब एक मर्तबा बोर्ड बन जाय तो . . .

श्री उपाध्यक्ष—यह बात आप सरकार के लिये कहें तो ज्यादा उपयुक्त है, माननीय मंत्री जी के लिये न कहें।

श्री रामस्वरूप वर्मा—माननीय मंत्री जी से मेरा मतलब सरकार से ही था। माननीय मंत्री जी भी सरकार के अन्दर ही हैं, इसलिये कि यहां तो ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी है। तो समय बढ़ाने की बात जो सरकार कर रही है, श्रीमन्, आपके द्वारा मैं आदरणीय सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात का कतई अधिकार सरकार को न दे कि वह एक दिन का भी समय बढ़ा सके। सरकार दो साल के अन्दर फिर बिल लाने वाली है, तो उस बिल को लाकर अपनी कथनी और करनी को सिद्ध कर दे कि जो वह कहती है वही करती भी है। इस से यह स्पष्ट हो जायगा कि इस बिल के द्वारा मंत्री जी क्यों समय बढ़ाने की बात पर जोर दे रहे हैं और सरकार का अगला कदम क्या होगा।

दूसरी बात यह है कि प्रजातंत्र के अन्दर जनता के प्रतिनिधियों का यह फर्ज है कि वे देखें कि कैबिनेट के हाथ में कोई असीमित ताकत तो नहीं जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष—पुनरुक्ति हो रही है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—तो श्रीमन्, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इधर आकृष्ट करना चाहता हूं कि वे इन तीनों बातों पर सोचें कि इस धारा को हटा दिया जाय और ६ करोड़ के भाग्य को कैबिनेट के हाथों में केन्द्रित करने का अधिकार न दिया जाय।

श्री जगदीशनारायण (जिला मुरादाबाद)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री नेकराम शर्मा जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है, उसको गैर जरूरी समझते हुये भी मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अपने संशोधन के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि इसकी आवश्यकता इसलिये है कि जो मौजूदा कैबिनेट है वह डिक्टेटोरियल तरीके अख्तियार करती चली जाती है। इसलिये यह गैर जरूरी बात होने दी जाय।

श्री नेकराम शर्मा—मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी।

श्री जगदीशनारायण—अगर मैं कोई गलत बात कहता हूं तो आपको भी कहने का मौका मिलेगा, आप जवाब दे दीजियेगा, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं ? मैंने गैर जरूरी शब्द का जो इस्तेमाल किया, वह इसलिये किया कि आप ने जो संशोधन पेश किया है उसमें कोई प्रजातंत्र की बात मेरी समझ में तो नहीं आयी। जहां तक कैबिनेट की बात है, सरकार जो होगी वह बहुमत की होगी तो उसका जो फैसला होगा वह तो लेजिस्लेचर में आयेगा और उसे वह पास करेगा। कैबिनेट की पालिसी तो वही होगी जो सरकार की पालिसी है। इसलिये यह अच्छा है और इस से एक लाभ यह होगा कि सरकार का जो दृष्टिकोण होगा वह लेजिस्लेचर के सामने आयेगा और इस से जो हमारे विरोधी पक्ष हैं, उनको भी थोड़ी सी सान्त्वना मिलेगी। इसलिये यह जल्दी पास हो जाय तो अच्छा है क्योंकि इस से सरकार के ऊपर भी कुछ चेक रहेगा और विरोधीदल के लोगों को भी कुछ सान्त्वना मिल जायगी। इसलिये मैं श्री नेकराम शर्मा के इस गैरजरूरी प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री नेकराम शर्मा के संशोधन का समर्थन करता हूं और उसी के साथ-साथ माननीय मंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इस संशोधन को मान लिया है। मुझे ताज्जुब लगता है जब हमारे सरकारी पक्ष के लोगों ने और खासकर श्री नवलकिशोर जी ने कहा कि एमरजेंसी के समय में सरकार के हाथ में यह शक्ति होनी चाहिये कि समय को बढ़ा सके। लेकिन जब ११ साल तक बोर्डों के चुनाव नहीं हुए और उसके बीच में २ बार असेम्बली और संसद के चुनाव हुए तो बोर्डों के चुनाव के लिये कौन सी एमरजेंसी बीच में खड़ी हो गयी थी ? मैं समझता हूं कि सरकार के हाथ में ऐसी शक्ति देना उसमें एक तानाशाही रुख को पैदा करना होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस तरह के अधिकार सरकार के हाथ में न रहें और जनता की जो सही भावना है, उसके द्वारा जो चुना हुआ यह सदन है, उसमें यह प्रश्न आये, सरकार जरूरी समझे तो प्रश्न को यहां लाये और सदन समझे कि सरकार समय किस कारण से बढ़ाना चाहती है। तब जरूरी हो तो समय बढ़ाया जाय। मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और मांग करता हूं कि मौजूदा सड़ियल डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को जल्द से जल्द भंग कर दें। जिनके पास न पैसा है, न सड़कें हैं न इमारतें हैं। स्कूलों में न तो चौकी है, न टाट है, लड़के जमीन पर बैठते हैं। उन स्कूलों का अब कोई उपयोग नहीं है। मुझे आशा है मंत्री जी जल्द से जल्द चुनाव करायेंगे, हम लोग बैठने को तैयार हैं मंत्री जी इस बिल को शीघ्र ही पारित कराने की कृपा करेंगे।

(श्री अब्दुल लतीफ नोमानी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—उपाध्यक्ष महोदय, आपने अभी क्लोजर मूव होने से पहले श्री नोमानी को बुला लिया था।

श्री उपाध्यक्ष—पहले श्री अब्दुल लतीफ नोमानी अपना भाषण कर लें।

श्री अब्दुल लतीफ नोमानी (जिला गोरखपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल पर दोनों पक्षों की तकरीरें, जो आज भी हुई और पहले भी हुई हैं, उनको बड़े गौर से सुनता रहा हूं। मैं मुख्तसर तौर पर इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि इस बिल को पेश करते हुये ही मंत्री जी ने कह दिया था कि सिर्फ आवश्यक और जरूरी जो तरमीमें थीं जिनके बगैर चुनाव नहीं हो सकते थे वही लायी गयी हैं। ऐसी हालत में, जब कि दोनों पक्ष के लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाय तो इसके ऊपर जो गैरजरूरी बहस हुई मेरे खयाल से इस का कोई मौका नहीं था। बहरहाल मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री नेकराम शर्मा के संशोधन के बाद इस बिल

की दफा ४ के बारे में जो तरमीम विरोधी पक्ष की ओर से हैं वह गैरजरूरी हैं और मैं उन माननीय सदस्य से उम्मीद करता हूं कि वह अपनी तरमीम को मेहरबानी करके वापस कर लेंगे और इस बिल को जल्द से जल्द पास हो जाने देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--अब संशोधनकर्त्ताओं में से कोई साहब चाहें तो जवाब दे सकते हैं ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बावजूद इसके कि माननीय मंत्री जी ने श्री नेकराम शर्मा का संशोधन स्वीकार कर लिया है, मैं माननीय सदन के समक्ष यह कहना जरूरी समझता हूं कि उससे भी काम नहीं चल सकता । मैं तो कतई इस पक्ष का नहीं हूं कि सरकार के हाथ में कोई भी अधिकार रहे, चाहे वह अधिकार एक मास का हो, २ मास का हो या साल भर का हो, सरकार के हाथ में यह अवधि बढ़ाने का अधिकार नहीं रहना चाहिये और इसमें मंत्री जी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । जब वह इतना मान रहे हैं तो इतनी बात और स्वीकार कर लें कि एक दिन के लिये भी अवधि लेजिस्लेचर की स्वीकृति के बगैर नहीं बढ़ाई जा सकती ।

श्री नेकराम शर्मा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है । मैं मंत्री जी के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करता हूं और उन माननीय सदस्यों के प्रति भी जिन्होंने इस संशोधन को समर्थन करते हुए स्वीकार कर लिया है । मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं । मैंने यह सिद्धान्त की बात कही कि लेजिस्लेचर, कैबिनेट और एग्जीक्यूटिव का क्या सम्बन्ध है । दुनिया में कैबिनेट्स कितनी पावरफुल होती जा रही हैं, लेजिस्लेचर की शक्ति अपने हाथों में लेती जा रही हैं, इसके प्रमाण प्रत्यक्ष हैं । मेरा मतलब यह नहीं है कि प्रेजेन्ट कैबिनेट में कोई अविश्वास की बात है, यह सिद्धान्त की बात है जिसका मैंने जिक्र किया है । एक सदस्य ने ऐसी बात कही, मुझे गलत समझा मैं सरकार का आभारी हूं और मंत्री जी का भी कि उन्होंने इस संशोधन को स्वीकार कर लिया ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा 4-B की उपधारा (1) के प्रतिबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय :

"Provided that the State Legislature by an Act extend the term of the boards in case of national emergency provided also that no extension shall be for a period of one year at a time."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा 4-B की उपधारा (1) का प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा 4-B की उपधारा (1) के प्रतिबन्ध के पश्चात् निम्नलिखित दूसरा प्रतिबन्ध रख दिया जाय :

"Provided further that the term so extended shall not exceed one year without obtaining the previous sanction of the Legislature."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राजनारायण---श्रीमन्, आपने हमारा प्रस्ताव सुना ही दिया था। लेकिन मैं फिर आपकी आज्ञा से अपना छोटा सा, नन्हा सा प्रस्ताव उपस्थित करता हूं। वह इस प्रकार है कि "जब तक यह विधेयक पारित न हो जाय तब तक इस सदन की कार्यवाही चलती रहे"। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि इस में कोई विरोध नहीं होगा क्योंकि मंत्री जी ने ऐसी अपनी इच्छा प्रकट की। तो वह बड़े लालायित और उत्सुक हैं कि यह विधेयक पास हो ताकि जल्दी से जल्दी चुनाव की तैयारी करें और चुनाव कराके जो बोर्ड सड़ गये हैं, उनको समाप्त करें। तो सरकार भी हमारे इस प्रस्ताव से सहमत है। ऐसी बात पहले से चूंकि मंत्री जी ने व्यक्त कर दी है इसलिये ज्यादा समय न लेकर मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजनारायण जी के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मंत्री जी का जो यह आरोप है कि विरोधी दल के लोग इसको जल्दी पास करना नहीं चाहते हैं, इससे कम से कम यह आरोप खत्म हो जाता है और राजनारायण जी का प्रस्ताव सरकार के लिये एक कसौटी है। हम यह देखना चाहते हैं कि अगर सचमुच सरकार की नीयत है .....

श्री उपाध्यक्ष---कसौटी है या चुनौती ?

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव---दोनों ही हैं। अगर सरकार की नीयत है कि विधेयक को जल्दी पास करके चुनाव करा ले तो मेरा कहना है कि राजनारायण जी के प्रस्ताव को सरकार को मान लेना चाहिये कि आज उस वक्त तक हम बैठें जब तक कि क्लाज बाई क्लाज इस विधेयक को पास न कर लें।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि पहले माननीय मंत्री जी का रुख मालूम हो जाय।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि विरोधी दल की इच्छाओं की पूर्ति के लिए हर तरह से हम लोगों को सजा मिलेगी, कदम-कदम पर हम सताये जायेंगे। मेरी इच्छा यह नहीं है कि यहां बैठ कर समय नष्ट किया जाय और जो लोग इसको पारित करने में सहायता और सहयोग देना चाहते हैं उनको सताया जाय। मेरी इच्छा यह है कि इसको समझदारी के साथ पास किया जाय और बड़ी आसानी से पास किया जा सकता है। बहुत सारे संशोधन तो बिलकुल निरर्थक हैं।

श्री उपाध्यक्ष---इस प्रस्ताव के बारे में आप की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---मेरी प्रतिक्रिया यह है कि अगर वह समय दें, घंटे भर के अन्दर पास करने की बात करें तो मैं तैयार हूं। लेकिन रात को तीन बजे तक, चार बजे तक बैठने की बात करें, तो मैं इसके लिये तैयार नहीं हूं। अगर ज्यादा गौर करना चाहते हैं तो कल का दिन मिल गया है। कुछ समय कल लें लें। लेकिन निश्चित समय होना चाहिये। छोटा सा बिल जिसके लिए पांच मिनट काफी हैं उसके लिये इस तरह से परेशान किया जा रहा है यह बात मेरी समझ में नहीं आती। इस तरह हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठाया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष---यह आपत्तिजनक शब्द है। आप शरीफ हैं और दूसरे शरीफ नहीं हैं इसमें ऐसी ध्वनि निकलती है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, हमें क्या नहीं कहा जाता ?

श्री उपाध्यक्ष---वह सरकार को कहा जाता है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---हम सताते हैं, यह करते हैं, वह करते हैं, ऐसी सरकार है, सब कहा जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—सरकार के लिये ये शब्द कहे जा सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी के लिये नहीं कह सकते।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अगर मेरे मुंह से यह बात अच्छी नहीं लगती तो मैं माफी चाहता हूं।

श्री गोविंदसिंह बिष्ट—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राजनारायण जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

मुझे सिर्फ इतना जनसंघ पार्टी की तरफ से कहना है कि हम लोग भी यह चाहते हैं और विरोधी दल के खिलाफ यह लांछन लगाना गलत है कि हम इस बिल को पास नहीं करना चाहते। इधर के बैठने वालों की सबकी यह इच्छा है कि यह बिल जल्दी से जल्दी पास हो जाय। लेकिन जल्दी में कहीं ऐसी गलती न हो जाय जैसी अभी हम करते मगर माननीय नेकराम शर्मा जी के संशोधन से हम वह गलती नहीं कर पाये हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में हम एक ऐसी ताकत दे देते जिससे वह नाजायज इस्तेमाल करती। यदि सदन यह चाहता हो कि इस बिल के खंडों पर भी विचार हो जाय तो आज एक घंटे से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि काफी तरमीमात हैं। मैं माननीय मंत्री जी से सविनय आग्रह करना चाहता हूं कि इस टाइम पर पाबन्दी न लगाएं। इसके अलावा मैं टाइम के प्रस्ताव में कुछ संशोधन चाहता हूं कि कल का दिन हमारे पास सारा रखा है। अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत होगा। सदन ऐसा प्रस्ताव स्वीकार कर ले कि जितना बिल आज न पास हो सके, कल के लिये रखा जाय। वह भी एक सुझाव हो सकता है, क्योंकि कल को हमें कुछ नहीं करना है। केवल अनुपूरक अनुदान होगा। उसके बाद सारे दिन यही बहस हो जायगी। लेकिन यह प्रस्ताव आज पास हो जाय, इतना मेरा निवेदन है।

श्री सुल्तान आलम खां—प्रश्न यह है कि इसमें बहुत से ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जो बिल्कुल गैरजरूरी हैं और अगर आप माफ करें तो मैं यह कहूंगा कि फ्रिवोलस हैं। इसलिये मैं हाउस से अपील करूंगा, चाहे वह इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, वह अपने सारे अमेंडमेंट्स को वापस ले लें। फिर उसके बाद यह बिल बहुत आसानी से पांच बजे तक पास हो जायगा। और अगर यह मुमकिन न हो तो कल दिन में यह हाउस बैठे और ५ बजे तक बहुत आसानी से यह पास हो जायगा।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)— माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव अभी श्री राजनारायण जी ने रखा है, वह काफी महत्व का है। माननीय सुल्तान आलम खां जैसे आदमी के द्वारा इसका विरोध हो रहा है। तर्क यह दिये गये कि जो संशोधन हैं वह बेकार हैं, तो मैं आप की सेवा में यह निवेदन कर रहा हूं कि अगर उन्होंने ध्यान से उन संशोधनों को देखा होता तो उनको मालूम हो गया होता कि जिन लोगों ने संशोधन दिये हैं उन लोगों ने मूल उद्देश्य को भी स्थान स्थान पर ठीक कर दिया है। जो कुछ हम काम करें वह ठीक करें इस उद्देश्य से वे संशोधन लाये गये हैं। माननीय मंत्री जी यह कह रहे हैं कि ५ मिनट में ये सारे संशोधन वह स्वीकार कर रहे हैं.....

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जो माकूल हैं।

श्री रामायणराय— अब माकूल कौन हैं यह तो सदन निर्णय करेगा। इन संशोधनों को उपेक्षा की दृष्टि से देखना उचित नहीं है। इसलिये माननीय राजनारायण जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नेकराम शर्मा—श्रीमन्, जो संशोधन उपस्थित है वह काफी महत्वपूर्ण है। माननीय राजनारायण जी ने जो समय बढ़ाने का प्रस्ताव किया है मैं उसके विरोध में हूं, क्योंकि आज के बाद कल भी हम लोग बैठेंगे तो कल तक हम को काफी समय मिलेगा जिससे कि हम संशोधनों पर अच्छी तरह से विचार कर सकेंगे। इसलिये मेरा सुझाव है कि आज कोई समय न बढ़ाया जाय और कल हम लोग बैठ कर इसको पास कर लें।

श्री नवलकिशोर—उपाध्यक्ष महोदय, असल में यह विधेयक जल्दी पास हो जाय, इसके सिलसिले में बहुत सी बातें चुनौती और कसौटी की कही गयीं। विरोधी दल कितना उत्सुक है इस बिल के पास करने को इसका एक सबूत तो यही है कि आज तीन बजे तक का समय दो प्रस्तावों पर लगा दिया जब कि आज का दिन बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिल के लिये फिक्स्ड था। मुझे इस बात से बड़ी तकलीफ होती है कि विरोधी दल जिस को इस बात का बड़ा गर्व है कि वह टैक्स पेयर का बड़ा भारी कस्टोडियन है, लेकिन सैटरडे को बैठना नहीं चाहता, नान आफिशियल डे देना नहीं चाहता और उसके बाद अब हम पर यह बात थोपी जाती है कि गलती तो उनकी है कि उन्होंने तीन बजे तक का टाइम खराब किया और अब चाहते हैं कि टाइम बढ़ाया जाय। मेरा स्पष्ट मत है कि या तो इस विधेयक को आज खत्म कर दिया जाय उसके लिए हम थोड़ी देर बैठें और अगर नहीं तो कल का दिन दिया जाय, और, कल इस पर विचार होगा।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजनारायण जी के प्रस्ताव को सुनकर मुझे एक लतीफा याद आ गया। एक लड़का बहुत शैतान था। वह अपने मां-बाप को बहुत तंग किया करता था। एक दिन उसके बाप ने बहुत तंग आ कर कहा कि जा कुएं में गिर पड़। वह जाकर कुएं में टांग लटका कर बैठ गया। लोगों ने पूछा कि क्या बात है तो उसने कहा कि मैं तो अपने पिता जी की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। यही हाल इस प्रस्ताव का है। जिस वक्त शनिवार का दिन लेने के लिये मुख्य मंत्री जी ने प्रस्ताव किया तो उस पर तो तीन बजे तक बहस होती है और बीच में वाक आउट भी होता रहा ताकि उनको तो आराम मिल जाय और हम यहां काम करें। तो हाउस का ज्यादा टाइम बढ़ाने की जरूरत नहीं है। माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि अगर आज इस बिल को पास करने की जिम्मेदारी विरोधी दल ले तो टाइम बढ़ा दिया जाय वरना क्या फायदा हुआ कि टाइम भी बढ़ाया जाय और बिल भी पास न हो। इसलिये मैं उसकी मुखालिफत करता हूं।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो वाद विवाद खड़ा हो गया है, उसमें मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय नवलकिशोर जी ने यह आरोप लगाया विरोधी दल के ऊपर कि हम इसको पास नहीं करना चाहते। इसलिये हमने उन दो प्रस्तावों के ऊपर वाक आउट किया और ख्वामख्वाह के लिए वक्त बर्बाद किया। मैं नहीं समझता कि अगर इस बीच में सरकार कोई न्याय के खिलाफ काम करती है और कोई अनुचित बात पास कराना चाहती है तो हम किसी बिजनेस कमेटी के फैसले से इतने बंधे हुये हैं कि हम सरकार के उस काम का विरोध न करें। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे, वे हमारे अधिकारों के ऊपर एक तरह से आघात थे और उनको सरकार अपने बहुमत के बल पर लाने का प्रयत्न कर रही थी। हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते थे। इसलिये हमने अपने अधिकारों का प्रयोग कर के उनका विरोध किया। हम जो वाक आउट कर गए उसका अर्थ यह नहीं था कि हम आराम करने के लिये गये थे। हम सरकार को चुनौती देते हैं, अगर जनहित का काम है तो सरकार बैठे, हम ६ घंटे, ८ घंटे बैठने के लिये तैयार हैं?

सरकार की तरफ से प्रस्ताव आता है कि समय बढ़ाया जाय, लेकिन जब माननीय राजनारायण जी का प्रस्ताव आया कि हम आज रात तक बैठ कर इसको पास करें, तो उस पर एतराज होने लगा। और लोगों को परेशानी पैदा हो गयी। मैं नहीं समझता कि इस तरह की बात क्यों की जाती है। अगर माननीय मंत्री जी इस बिल को वस्तुतः पास करना चाहते हैं तो उन्हें भी हिम्मत के साथ खड़े हो कर यह बात कहनी चाहिये और मैं राजनारायण जी से अपील करूंगा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लें और इसी बिल पर कल सारे दिन बहस हो जाय । यह न हो कि कल और बिल ले आया जाय, और इस पर एक आध घंटे के बाद क्लोजर मूव हो जाय । इस तरह की चाल में मैं नहीं फसना चाहता ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--सप्लीमेंटरी बजट के बाद कल इसको ले लिया जाय और एक रीजनेबिल टाइम में इसे पास कर लिया जाय ।

श्री राजनारायण--अब मुझे ऐसा लगता है कि सरकारी पक्ष में जितने लोग बैठे हैं उनमें पार्लियामेंटरी प्रोसेस का ज्ञान किसी को नहीं है ।

एक सदस्य--आक्षेप वापस लीजिये ।

श्री राजनारायण--आक्षेप नहीं है । यह सत्य है । आप माननीय मुख्य मंत्री जी को खड़ा कर दीजिये, मैं साबित कर दूंगा कि पार्लियामेंटरी पद्धति का ज्ञान उन्हें भी नहीं है ।

श्री सुल्तान आलम खां--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर । उपाध्यक्ष महोदय, क्या किसी मेंम्बर, जो इस हाउस का सदस्य हो, को यह अख्तियार है कि अपने अलावा जितने भी और मेम्बर्स हों उन सबको अनपार्लियामेंटेरियन बतलाये और यह कहे कि वे पार्लियामेंटरी पद्धति नहीं जानते ।

श्री नेकराम शर्मा--इसमें आप भी शामिल हैं और अध्यक्ष महोदय भी ।

श्री उपाध्यक्ष--उन्होंने अपने को और सरकारी पक्ष तक को ही सीमित रक्खा है । इसमें अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का सवाल नहीं है ।

श्री राजनारायण--मैं कह रहा था . . . . . .

श्री उपाध्यक्ष--पर्लियामेंटरी पद्धति पर डिवेट इस समय नहीं हो रही है ।

श्री राजनारायण--एक बात मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर वे यह आश्वासन दे दें कि सप्लीमेंटरी बजट के बाद कल इस पर अबाध गति से वादविवाद होगा तो मैं अपना प्रस्ताव वापस लिये लेता हूं । वैसे तो कल भी यह प्रस्ताव ला सकता हूं क्योंकि पग पग की हमको जानकारी है ।

श्री उपाध्यक्ष--मैं कोई शर्तिया सवाल लेने को तैयार नहीं हूं । लेकिन वादविवाद से ऐसा लगता है कि आज कार्यवाही ५ बजे तक समाप्त कर दी जाय और कल जो शेषांक है उस पर वादविवाद हो जाय ।

श्री राजनारायण--मेरा दूसरा सुझाव यह भी है कि आज ७ बजे तक भी हम काम करने को तैयार हैं और हो सके तो इसे समाप्त कर दिया जाय । लेकिन माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि जितने रीजनेबिल संशोधन हैं हम सब मान लेंगे, लेकिन यह नहीं बतलाया कि कौन-कौन से संशोधन रीजनेबिल हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--उनको वक्त दीजिये ।

श्री राजनारायण--तो आज अभी से यह सदन स्थगित कर दिया जाय और हमको बतला दिया जाय कि कल इन इन संशोधनों को वे मान रहे हैं और इन इन संशोधनों को नहीं मान रहे हैं । जितने बाकी रह जायंगे उनके लिये ३-४ घंटे में वादविवाद हो जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय राजनारायण जी स्वशासन मंत्री की बात सुनना चाहते हैं ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--कल ११ बजे से पहले कुछ माननीय सदस्य मुझ से मिल लें तो बड़ी आसानी से तय हो सकता है । राय तो बहुत बदलने वाली है नहीं जैसी हम सब लोगों की है । बहुत स्पीचेज हों तो ५-५ मिनट मूवर्स की स्पीच हो जाय । उसके बाद वोट हो

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

जाय । इस तरह से २ घंटे के अन्दर पास हो सकता है । २–४ कांसिक्वेंशनल और कुछ प्रिंटिंग के संशोधन हैं उनको ठीक कर लिया जाय । आसानी से २ घंटे में कल यह पास हो सकता है । अगर जरूरत हो तो थोड़ा सा वक्त और बढ़ा लें, यह संभव हो सकता है । वह चीज कल उठायी जाय, आज न उठायी जाय और अगर वह निश्चित कर लें तो मुझे आज भी ७ बजे तक बैठने में कोई एतराज नहीं है । लेकिन पौन घंटा तो आज ही बरबाद हो गया ।

श्री राजनारायण---वह तो आप कर रहे हैं ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---हम ही कर रहे हैं । न यह बिल लाते न टाइम वेस्ट होता ।

श्री उपाध्यक्ष---तो आज ५ बजे बहस खत्म हो जाय और कल इसपर फिर विवाद जारी रहे ।

खंड ५

५---मूल अधिनियम की धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय

पी० ऐक्ट
या १०,
१२२ की
रा ५ का
तस्थापन
ubstitu-
on)

"5 (1) For purposes of election to a board there shall be constituencies provided by order under this section.

Delimitation of Constituencies.

(2) The Director of Elections (Local Bodies) shall, by Order determine—

(*a*) the constituencies in which the rural area of each district shall be divided for purposes of election of members to the board ;

(*b*) the extent of each constituency ;

(*c*) the number of seat or seats allotted to each constituency ;

(*d*) the number of seats, if any, reserved for the Scheduled Castes and the constituencies in which they shall be reserved.

(3) In alloting seats to constituencies regard will be had to the population of the areas of the constituency.

(4) The Director of Elections (Local Bodies) shall publish for objections and suggestions the draft of the Order proposed to be made under sub-section (2) for a period of not less than seven days by causing to be affixed a copy of the same at the notice board of the office of the District Magistrate and of the Tahsildar of each Tahsil and of the Board.

(5) The Director of Elections (Local Bodies) shall consider any objections filed under sub-section (4) and after making such amendments, alteration or modifications as he may find necessary, publish the Order in the official *Gazette* and thereupon the Order as so published shall become final.

(6) The Director of Elections (Local Bodies) may at any time in the same manner amend the Delimitation Order or make a new Delimitation Order."

श्री रामायणराय---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (1) की, पंक्ति २ में शब्द 'by' तथा शब्द 'order' के बीच में शब्द 'an' रख दिया जाय ।

यह एक शाब्दिक संशोधन है । आशा है मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जैसा वह अब है, वह भी सही है । 'an' के बीच में लाने से गलत हो जायगा, अर्थ में कोई अन्तर नहीं पड़ता ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ की प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (1) की पंक्ति २ में शब्द 'by' और शब्द 'order' के बीच में शब्द 'an' रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (2) की पंक्ति १ में शब्द "(local bodies)" तथा शब्द "shall" के बीच में शब्द "Uttar Pradesh" रख दिये जायं ।

मान्यवर, यह शाब्दिक संशोधन है और उत्तर प्रदेश रहना अत्यन्त आवश्यक है । मैं समझता हूं कि मंत्री जी इसको मान जायगें ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, यह बिल्कुल अनावश्यक है क्यों कि इसकी लैंगुयज ही ऐसी है, इसलिये जरूरी नहीं है ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव---श्रीमन्, इस पर वोट कर लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (2) की पंक्ति १ में शब्द "(local bodies)" तथा शब्द "shall" के बीच में शब्द, "Uttar Pradesh" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री सूरतचन्द रमोला---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (2) के भाग (a) के अंत में शब्द "But the distance of each constituency should not exceed beyond ten miles." रख दिये जायं ।

इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि जो ओरीजनल सैक्शन 5 (2) (a) है वह इस तरह से है कि ---

"the constituencies in which the rural area of each district shall be divided for purposes of election of members to the board."

मेरी प्रार्थना यह है कि हमारे जिले में कांस्टीटुएन्सीज बन रही हैं और सरकार की ओर से ३६ मेम्बर्स निर्धारित हुये हैं । जिस तरह से कांस्टीटुऐन्सीज बांटी गई हैं उनसे बड़ी दिक्कत होगी । इसमें या तो मेम्बर्स बढ़ाये जाय या कांस्टीटुएन्सी कोई भी दस मील से ज्यादा फासले पर न हो । गंगोत्तरी ७५ मील की कांस्टीटुएन्सी है, इसी तरह से यमुनोत्तरी की कांस्टीटुएन्सी मंसूरी से मिला दी । मेरा निवेदन यह है कि दस मील से ज्यादा कोई कांस्टीटुऐंसी न हो या मेम्बरों की तादाद बढ़ाई जाय ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमान्, जो संशोधन आया है उसमें सब से ज्यादा असुविधा पहाड़ी जिलों में होगी क्योंकि प्रस्ताव यह है कि जो असेम्बली की कांस्टीटुऐन्सीज हैं उनको ही ४/५ में बांट दिया जायगा, तो आशा तो की जाती है कि वह दस मील से कम ही होंगी, लेकिन पहाड़ों में जगहें बहुत दूर-दूर हैं इसलिये उनके बांटने में बड़ी दिक्कत होती है और दस मील से ज्यादा हो जाती हैं और ऐसा भी हो सकता है कि कोई एरिया छोड़ देना पड़े । इसलिये कोशिश यह की जायगी कि जो ईजिली अवेलेबिल हों उस तरह से किया जाय । मेंम्बरों को बढ़ाना सम्भव नहीं है । अगर कहीं इनजस्टिस हुई है तो उस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री सूरतचन्द रमोला--मैं माननीय मंत्री जी के आश्वासन के बाद अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---इसके वापस लिये जाने में किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ?

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, मुझे आपत्ति है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि श्री सूरतचन्द रमोला को अपना संशोधन वापस करने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामायणराय--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (२) के भाग (d) की पंक्ति २ में शब्द "Constituencies in which they shall be reserved" के स्थान पर शब्द "name of such constituencies" रख दिये जांय।

श्रीमन्, यह डायरेक्टर महोदय नम्बर आफ सीट्स का निर्णय करेंगे और इसके साथ-साथ ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जिनमें ये लड़ेंगे उनका भी निश्चय यही करेंगे। इसलिये यहां पर "name of such constituencies" रख देने से स्पष्ट हो जायगा।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--फायदा क्या होगा ?

श्री रामायणराय-- ऐसे एक वेग चीज है। ऊपर जो मैंने संशोधन रखा था, भाषा की दृष्टि से अगर देखा जाय तो वह ज्यादा प्रयोगिक था और ऐसी बातें जिनसे आपका बिल सुन्दर बन जाय उन्हें तो स्वीकार ही करना चाहिये।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--श्रीमन्, अगर यह समझ में आ जाता कि इससे बिल सुन्दर बन रहा है तो मैं जरूर स्वीकार कर लेता, लेकिन मालूम तो यह होता है कि इससे असुन्दर हो रहा है।

*श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं श्री रामायणराय जी के इस संशोधन का समर्थन करता हूं। इसलिए कि इसमें जो अधिकार डायरेक्टर आफ़ एलेक्शन्स को दिये गये हैं ये बहुत हैं। मैं आपसे अपना निजी अनुभव बताना चाहता हूं कि यह ऐक्ट पास होने नहीं पाया और पहले से डिलिमिटेशन की कार्यवाही शुरू हो गयी और उसमें इंटरेस्टेड लोग अपनी मनमानी कांस्टीटुएंसीज बनानी शुरू कर चुके हैं और इस सम्बन्ध में निजी बैठकें होती हैं। लोगों को अभी आब्जेक्शन्स पहुंचने के टाइम लिमिट का ध्यान भी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष---इस संशोधन से इससे क्या मतलब ? जिस पर आप बात कर रहे हैं वह अभी आगे आने वाला है। कृपया बैठें।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं रामायणराय जी के प्रस्तावित संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---किस नम्बर के संशोधन का ?

श्री मोतीलाल अवस्थी--जो २० नम्बर पर है।

श्री उपाध्यक्ष---अभी १७ नम्बर का संशोधन पेश हुआ है। (श्री रामायणराय जी से) आपको कुछ कहना है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री रामायणराय--मैं तो यही चाहता था कि मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेते। और मैं समझता हूं कि यह तो ऐसा संशोधन है कि इस पर सदन की राय आप ले लें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (2) के भाग (d) की पंक्ति २ में शब्द "Constituencies in which they shall be reserved" के स्थान पर शब्द "name of such constituencies" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री सूरतचन्द रमोला--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (3) के अन्त में शब्द "but the population should not vary more than three thousand in each constituencey" रख दिये जायं।

मेरी प्रार्थना यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में जो कांस्टीटुएंसीज बनी हैं उनमें एक तो करीब ७ हजार की है और दूसरी १४ हजार की है। तो पापुलेशन में इतना वैरिएशन नहीं होना चाहिये। इससे तो एक उम्मीदवार से ७ हजार में चुनाव लड़ना पड़ेगा और दूसरे को १४ हजार में। यह ठीक नहीं है। इसलिए मुझे आशा है कि मंत्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--श्रीमन्, बिल्कुल उन्हीं कारणों की वजह से जिनसे पहला संशोधन स्वीकार नहीं किया जासका, मैं इसे भी स्वीकार करने में असमर्थ हूं क्योंकि यहां बैठकर कागज पर बनाना हो तो हम बना सकते हैं, लेकिन प्रकृति ने वहां दूसरी स्थिति बना रखी है। एक-एक एरिया थिकली पापुलेटेड है और एक एक एरिया में कम आबादी है तो ऐसे व्यक्ति नेचुरली एक जगह से दूसरी जगह कुछ ज्यादा हो सकते हैं। वहां पर १-२ हजार का अन्तर हो जाय तो उसको दूसरी जगह काटकर मिलाना सम्भव नहीं है। इससे और ज्यादा दिक्कत बढ़ जायगी। जो दिक्कत पहले प्रस्ताव के सम्बन्ध में थी, वही दिक्कत इसके सम्बन्ध में है। इसलिए यह उचित नहीं है और मैं समझता हूं माननीय सदस्य इसको वापस ले लेंगे।

*श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो कहा, आपके द्वारा मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले जिस तरह से पटवारियों की सर्किल थी, हिल्स में, और जिस तरह से कांस्टीट्युएन्सी थी, तो वह यहां पर बैठकर बनाई जाती है। वहां जो दिक्कत पड़ती है वह यह कि वह एरिया इतना बड़ा हो जाता है जिससे इतने बड़े एरिया की नुमायन्दगी वह मेम्बर नहीं कर सकता है। हिल के लिये ७ हजार रखा गया है, लेकिन वहां पर जो एलेक्शन आफिसर बना रहे हैं वह ६ हजार पापुलेशन पर बना रहे हैं। मैं यह कहूंगा कि अगर ७ और १४ का अन्तर हो जाय तो संविधान इस बात की इजाजत देता है, लेकिन हिल्स के लिये एक्जेम्पशन जरूर होना चाहिये। यही मुझे निवेदन करना था।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव--मैं श्री रमोला जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे मन्त्री जी ने जो दलील पेश की है उससे मैं सहमत नहीं हूं। जो पहली तरमीम थी वह एरिया के सम्बन्ध में थी कि दस मील से ज्यादा न हों। उसके लिये यह दलील ठीक थी, लेकिन वही दलील इसमें भी लागू करना मेरी समझ में नहीं आता है। यहां पर वह कैसे लागू होती है? पापुलेशन तो फिक्स कर सकते हैं, इलाका चाहे कितना भी हो जाय। ३ हजार फिक्स कर दिया गया तो इससे उनको सुविधा होगी और पापुलेशन में अन्तर ज्यादा भी नहीं आयेगा। दस मील से ज्यादा न हो यह पहाड़ी इलाके के लिये लागू हो सकता है, लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव]

पापुलेशन में पहाड़ी या मैदानी इलाके में कोई अन्तर नहीं होता है । इसलिये मैं समझता हूं कि यह जरूरी है कि ३ हजार की पापुलेशन फिक्स कर दी जाय । इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं और माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि वह इसको मान लें ।

श्री सूरतचन्द रमोला--उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उस से यह जाहिर होता है कि जो नम्बर हमारे हिल्स के लिये दिये गये हैं उनकी कांस्टीट्यूएन्सी में फर्क हो जायगा और ज्यादा मेम्बर बढ़ जायंगे । इसलिये मेरा निवेदन है कि मेरा संशोधन वापस करने की इजाजत दी जाय ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव--मुझे आपत्ति है ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह संशोधन वापस करने की अनुमति दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सूरतचन्द रमोला--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के प्रस्तावित धारा जकी उपधारा (4) की पंक्ति ३ व ४ में शब्द "seven days" के स्थान पर शब्द "thirty days" रख दिये जांय ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव--श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर माननीय सदस्य इस संशोधन को भी वापस ले लें और इस को पेश ही न करें तो इस से सदन का समय बच जायगा ।

श्री सूरतचन्द रमोला--इरादा तो नहीं है, लेकिन अगर समुचित उत्तर मिल गया तो वापस ले लूंगा । इसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि--The Director of Elections (Local Bodies) shall publish for objections and suggessions the draft of the Order proposed to be made under sub-section (2). मेरी प्रार्थना यह है कि सिर्फ ७ दिन हिल्स में इसके लिये पासिबिल नहीं हो सकते हैं क्योंकि वहां पर जो हेडक्वार्टर्स हैं वहां पहुंचने में भी लोगों को ९ दिन लग जाते हैं। तो वह ७ दिन में आब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसे स्वीकार कर लें ।

श्री विश्वनारायण शर्मा--लोग यह चाहते हों कि मई तक चुनाव न हो सकें और यह बिल व्यर्थ जाय तो मैं इसको स्वीकार कर लूंगा और मैं अभी भी विरोधी दल को वार्न करता हूं कि टाइम इतना काफी है कि उसमें ही काफी देर लग जाती है । अगर ७ दिन की जगह १०, १४ और २० रखा गया तो हमारे लिये चुनाव कराना नामुमकिन हो जायगा । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इन सारे संशोधनों को आप लोग वापस ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष--दो संशोधन इसमें और इसी तरह के हैं--एक ब्रजनारायण तिवारी जी का और दूसरा रामायणराय जी का । आप लोग भी इसे साथ ही प्रस्तुत कर दें ।

श्री रामायणराय--श्रीमन्, खंड ५ में प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (4) की पंक्ति ३ में शब्द "Seven" के स्थान पर शब्द "fourteen" रख दिया जाय, इस संशोधन को पेश करते समय मेरे सामने यह बात स्पष्ट थी कि चुनाव जल्दी होने चाहिये । हम लोगों ने बराबर इस बात को कहा भी है । आखिर यह संशोधन किस आशय से रखा गया है इस बात को भी माननीय मंत्री जी को गौर करना चाहिये था । ७ के स्थान पर १४ दिन का संशोधन इसलिये है कि वह अपने आर्डर के द्वारा निर्वाचन क्षेत्र का निर्णय करेंगे । उसकी सीमा के सम्बन्ध में वह अपना नोटिफिकेशन करेंगे, सीटों की संख्या का निर्णय करेंगे और उसके ऊपर एतराज करने की अवधि केवल ७ दिन रखी गयी है । यह बिल गांव वालों से संबंधित है । उनको तहसील और जिले में जाने में कितनी कठिनाई

होती है और उनको सूचना कितनी दिक्कत से मिलती है इन बातों की ओर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान होना चाहिये था। एक अच्छी नियत से और गांव वालों के कल्याण की भावना से, यह संशोधन रखा गया है और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह इसको स्वीकार करने की कृपा करें। ७ के स्थान पर १४ दिन की बात हम कर रहे हैं और वह इसलिये कि एलेक्शन के सम्बन्ध में जनता को अपनी राय व्यक्त करने का अवसर मिल सके। एक ओर तो जनता को अपनी राय देने से, माननीय मंत्री जी वंचित रखना चाहेंगे और दूसरी ओर स्थानीय स्वराज्य और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में डेमोक्रेसी की वह बात कहेंगे। तो यह अत्यन्त गढ़ बातें हैं। मैं आशा करूंगा कि इस पुनीत उद्देश्य को देखते हुये हमारे संशोधन को वह स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष (श्री ब्रजनारायण तिवारी से)---आप के संशोधन में और इसमें केवल एक दिन का फर्क है। अगर आप बोलना चाहें तो बोलें।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---मुझे बोलना यह है कि निर्वाचन क्षेत्र के निर्धारण में केवल ७ दिन रखे गये हैं वह संतोषजनक नहीं हैं। क्योंकि लेखपाल सर्किल तोड़ेंगे नहीं और वह गांव ऐसे बने हुये हैं कि कांस्टीट्यूयेन्सीज पूरी नहीं हो पाती हैं। हम लोगों ने इस तरह के एतराज पेश किये हैं कि अगर वह गांव तोड़ें तो सब से छोटा लेखपाल सर्किल हो। उसी आधार पर मैं श्री रामायण राय जी के संशोधन को मानता हूं। मैं चाहता हूं कि यह सीधा सा संशोधन है और इसको माननीय मंत्री जी को मान लेना चाहिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं अपनी पूर्व भूल को स्वीकार करते हुये कहता हूं कि जो कुछ पहले मैंने कहा था वह इस श्री रामायण राय जी वाले संशोधन के सम्बन्ध में कहा था। मैं अपने उन तर्कों को न दुहरा कर यही चाहूंगा कि यह संशोधन स्वीकार किया जाय।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धारा (5) के उपधारा (4) के सम्बन्ध में जहां तक मैं समझ पाया हूं माननीय मंत्री जी का मंशा यह है कि कांस्टीट्यूयेन्सीज बनान में और कितनी सीटें रहें तथा कितने सदस्यों का रिजर्वेशन रहेगा शेड्यूल्ड कास्ट के लिये, इस सब के लिये डाइरेक्टर आफ इलेक्शन्स को पूर्ण अधिकार नहीं रहेगा, अधिकारियों को पूर्ण अधिकार नहीं रहेगा, बल्कि इस पर जनता से भी कुछ राय ली जायगी, उनके भी सुझाओं और ऐतराजों पर विचार करने के बाद यह कार्य होगा। मैं समझता हूं कि मंत्री जी को श्री रामायणराय जी के संशोधन को मानने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिये। ७ दिन का समय बहुत अपर्याप्त है। यदि सरकार चाहती है कि ७ दिन मौन रहे तो काम तो तब भी चल सकता है। परन्तु पूर्णतः अधिकार आपके अधिकारियों के हाथ में, डाइरेक्टर आफ़ इलेक्शन्स के हाथ में रहेगा कि जिस तरह चाहें लखनऊ में बैठे-बैठे लकीर खींच दें और नक्शा बना दें कि यहां से सीट्स रिजर्व होंगी और वे वोटरों की संख्या भी यहीं बैठे-बैठे निर्धारित कर दें। यदि सरकार राजनीतिक दलों की और वहां की जनता की राय से, जो वहां की हालतों को जानते हैं, लाभ उठाना चाहती है तो यह संशोधन उसे स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---अब आप कल बोलें।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१३ फरवरी, १९५८।

नत्थी 'ह'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ २७८ पर)

भुखमरी के सम्बन्ध में प्राप्त हुई सूचना का विवरण तथा की गई कार्यवाही

जिला	प्रकाशित सूचना का संक्षिप्त विवरण	की गई कार्यवाही
१	२	३
देवरिया ..	२ व्यक्तियों की भुखमरी से मृत्यु जिनमें से एक श्रीमती धौरा की मृत्यु तरिया सुजान ग्राम में हुई ।	जिलाधीश से रिपोर्ट मांगी गई थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इन महिलाओं की मृत्यु भुखमरी से नहीं हुई बल्कि लम्बे अर्से की बीमारी से हुई ।
,,	निम्नलिखित व्यक्तियों की हालत भोजन के अभाव से दयनीय है— डोमा साकिन, बतरौली, चोकट वल्द सोमारी, बिल्लर वल्द रामबक्स, मु० शानिचरी जौजे अकलू, मु० रमरिया बेवा वृजमोहन, भवरू की माता, सरजू रामगति वल्द भागू, गुलअरिया बेवा भुहल, मोहरमिया बेवा रघुवीर, झिनकों बेवा रघुनन्दन, साकिन चाक ।	जिलाधीश से रिपोर्ट मांगी गयी है ।
गोरखपुर ..	ककरही गांव में श्रीमती ऋतिराजी देवी के भाई जगरोपन की १९ जनवरी से भूख की शिकायत से मृत्यु हुई ।	जिलाधीश से विवरण मांगा गया है ।
,,	श्रीमती शकुन्तला देवी एम० एल० सी० ने एक वक्तव्य में कहा है कि आरजी महुअवा (थाना नई कोट) में अठानी और सवरून निशा नामक दो महिलायें भूख से मर गई हैं ।	जिलाधीश से रिपोर्ट मांगी गई है ।
,,	विगत ३ माह में छितही बुजुर्ग बेलवांहा तथा भखलिया ग्रामों में भूख से १४ मर्द, स्त्री तथा बालकों की मृत्यु हुई है ।	जिलाधीश से रिपोर्ट मांगी गई है ।
,,	फरेंदा तहसील के छितही बुर्द तथा बेलवहां ग्रामों में सात मर्द, स्त्री तथा बच्चों की भूख से मृत्यु हो जाने का समाचार मिला है ।	जिलाधीश से रिपोर्ट मांगी गई है ।

जिला	प्रकाशित सूचना का संक्षिप्त विवरण	की गई कार्यवाही
१	२	३
मिर्जापुर	औराई क्षेत्र में जौगीवारी, कनवीपुर, तिरलोकपुर तथा उसके निकटवर्ती ग्रामों में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। जोगीवारी में एक हरिजन स्त्री प्रसूता अवस्था में भूख से तड़प कर मर गई। सात व्यक्तियों का एक परिवार रोज एक सेर अनाज पर जी रहा है। कुनवीपुर में रामदास कुम्हार ने दम तोड़ दिया।	जिलाधीश से रिपोर्ट मांगी गई है।
मिर्जापुर	मिर्जापुर के दक्षिण में भीषण अकाल के बारे में कुरहट और करगरा गावों में आठ तथा मदाइन ग्राम में १० व्यक्ति भूख से मरणासन्न अवस्था में पड़े हैं। किसनहुवा ग्राम थाना कोल तहसील राबर्ट्सगंज में गुरू और चेरा नामक व्यक्तियों के परिवार में क्रमशः ८-१० हाड़ और मांस के जीवित प्राणी हैं।	जिलाधीश से रिपोर्ट मांगी गई है।
,,	ग्राम देवहरा, थाना लालगंज के शिवम्बर उर्फ चोथिर मल्लाह की अन्नाभाव से मृत्यु हो गयी।	जिलाधीश से रिपोर्ट मांगी गई है।
,,	मिर्जापुर के राबर्ट्सगंज तहसील के मूरतिया नामक गांव में १ व्यक्ति की भूख से मृत्यु हो गई है।	जिलाधीश से रिपोर्ट मांगी गई है।

नत्थी 'ख'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८४ पर।)

No. 822/XXIX-AF--RF-179-57

FROM

SRI SHRI RAM SINGH,
DEPUTY SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH,

TO

THE REGIONAL FOOD CONTROLLER,
GORAKHPUR/LUCKNOW/KANPUR.

OD&CIVIL PPLIES"A" DEPART-MENT.

Dated Lucknow, February 8, 1958.

Subject : **Sale of Coarse Foodgrains at subsidized rates**

SIR,

IN partial modification of G. O. no. 6975/XXIX-AF—RF-179-57, dated December 20, 1957, on the above-mentioned subject, I am directed to say that with effect from February 10, 1958, the selling rates of all *rabi* coarse foodgrains (gram, barley and *bejhar*) will be as follows:

Wholesale selling rates .. Rs.9.60 per maund net weight (bags to be charged for separately at 63 naye paise per piece).

Retail selling rates .. 4 seers to a rupee.

2. Other terms and conditions will be the same as laid down in G. O. no. 3259/XXIX-AF, dated July 18, 1957.

3. These orders are being issued with the concurrence of the Scarcity Department. The above-mentioned rates will, however, be introduced in the scarcity affected areas of the marginally noted districts only. Sale of coarse foodgrains in areas other than scarcity affected areas in these districts will not be made on subsidized rates unless otherwise directed.

1. Azamgarh.
2. Ballia.
3. Basti.
4. Deoria.
5. Ghazipur.
6. Gorakhpur.
7. Jaunpur.
8. Mirzapur.
9. Varanasi.
10. Gonda.
11. Faizabad.
12. Pratapgarh.
13. Sultanpur.
14. Allahabad.

4. The receipt of this G. O. no. may please be acknowledged.

Yours faithfully,
SHRI RAM SINGH,
Deputy Secretary.

No. 822(i)/XXIX-AF—RF-179-57

1. COPY forwarded for information and necessary action to the District Magistrates concerned.

2. COPY forwarded for information to--
(i) Scarcity Deparment.
(ii) Food and Civil Supplies (C) Department.
(iii) Foodgrains Section.
(iv) Claims Section.
(v) Finance (E-1) Department.

By order,
SHRI RAM SINGH,
Deputy Secretary.

FINANCE E-I DEPARTMENT

No. 822(ii)/XXIX-AF

COPY forwarded for information to—

(i) The Accountant General, Uttar Pradesh, Allahabad.

(ii) All Regional Accounts Officers concerened and Assistant Regional Accounts Officer, Moradabad.

By order

I. ALI,

Assistant Secretary.

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

No. 336(ST)/IS-1116(ST)-57

FROM

SRI K. D. AGARWAL,
ANU SACHIV TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH,

TO

THE SECRETARY,
BOARD OF REVENUE (TAXATION),
UTTAR PRADESH.

Dated Lucknow, January 24, 1958.

Subject: **Collection and Realization of postponed land Revenue dues in the Scarcity-stricken Areas**

SIR,

RAJASWA (ABHAVA) VIBHAGI.

I AM directed to say that the Board are aware that scarcity conditions are at present prevailing in the marginally noted districts on account of deficiency of rainfall, and it is felt that the collection of land revenue, the recovery of which was postponed hitherto and which have become due for realization along with demand of *kharif* 1365 *fasli* in these areas would cause serious hardship to the cultivators. At the same time speedy collection of these dues which have not been postponed under any provision of law is also necessary. A *via media* has, therefore, to be found to meet the situation. Government are of the view that action on the following lines would be desirable and be taken up immediately;

1. Varanasi.
2. Mirzapur.
3. Jaunpur.
4. Ghazipur.
5. Ballia.
6. Gorakhpur.
7. Basti.
8. Azamgarh.
9. Deoria.
10. Gonda.
11. Faizabad.
12. Pratapgarh.
13. Bahraich.
14. Sultanpur.
15. Allahabad.
16. Banda.

(*a*) *Khatas where estimated loss in Kharif* 1365 *Fasli is annas* 8 *in a rupee or above*—The amount postponed should again be postponed for the next *fasal.*

(*b*) *Khatas where estimated loss in Kharif* 1365 *Fasli does not exceed annas* 8 *in a rupee but exceeds* 6 *annas in a rupee*—Efforts should be made to collect 50 per cent of the postponed dues. The rest may be postponed for the next *fasal.*

(*c*) *Khatas where the estimated loss does not exceed annas* 6 *in a rupee*—The entire amount of the postponed dues should be collected during the current *fasal.*

2. I am to request the Board to consider issuing of necessary orders in this connexion to the District Officer concerned as early as possible and to endorse a copy of the same to Government for information.

3. I am also to invite attention of the Board to an essential difference between postponed and suspended items of Government dues. While postponement is made in respect of realizable dues on which no relief is found admissible under rules and recovery of which is to be made but is postponed under inherent powers of Government, suspension is in respect of dues on which relief has been worked out under provision of rules, and which amount is either proposed for remission or for keeping under suspension for specified period to be remitted also subsequently, if necessary. The above order is in respect of postponed items and is not applicable to cases of suspension. [This difference was also pointed out in paragraph 4 of G. O. no. 1475(ST)/IS—116(ST)-1957, dated May 4, 1957, a copy of which was also endorsed to the Board.]

Yours faithfully,
K. D. AGARWAL,
Anu-Sachiv.

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ २८७ पर)

सूची

तहसील निघासन, जिला खीरी के ग्रामों के नाम जिनमें मई तथा जून, १९५७ में आग लगने की दुर्घटनायें हुईं

क्रम संख्या	नाम ग्राम	क्रम संख्या	नाम ग्राम
१	२	१	२
१	बधिया कला	२३	हरदुवारही
२	बसंतापुर	२४	चिकनाजोती
३	सीगांही कलां	२५	हरदोवाही
४	मिलिक	२६	सेमरी
५	ढाकेरवा	२७	मोतीपुर
६	सीस्सैया	२८	ढकरेवा खालसा
७	निघासन	२९	नारंगाबाद
८	सरगरा	३०	झनडी लालपुर
९	बोझिया	३१	गोदरिया
१०	बेला परसुवा	३२	खैरीगढ़
११	परसिया	३३	भगवन्त नगर
१२	रूपन पुरवा बेलहा	३४	छेदुईपतिया
१३	बमहनपुर	३५	नैनापुर
१४	पढ़वा	३६	अकठी
१५	पलिया	३७	सूरतनगर
१६	मुरामा	३८	निहाली पुरवा
१७	गुदरिया	३९	मरौचा
१८	सुथना बरसोला	४०	बेलवापुरवा
१९	मोतीपुर	४१	बोधापुरवा
२०	खरवहिया	४२	मझेगई
२१	सीगांही	४३	तिलोकपुर
२२	मुर्गाहा		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८७ पर)

हेन्सवाजार एन० ई० एस० ब्लाक में दिसम्बर ३१, १९५७ तक होने वाले मुख्य कार्यों की सूची ।

१—अच्छे किस्म के बीजों का वितरण	..	..	११,२८०	मन
२—रसायनिक खाद का वितरण ..	..	..	२,०५५	,,
३—खोदे गये कम्पोस्ट पिटों की संख्या	..	..	१,७३३	
४—दिये गये औजारों की संख्या ..	..	..	१८३	
५—किये गये डिमान्सट्रेशनों की संख्या	..	..	१,०८८	
६—लगाए गए फलदार पेड़ों की संख्या	..	..	६,५०१	
७—लगाए गए नलकूपों (ट्यूबवेलों) की संख्या	..	..	३	
८—अतिरिक्त क्षेत्र जिस में सिंचाई की गई	..	..	८,७५२	एकड़
९—अच्छी नस्ल के बांटे गए पशुओं की संख्या	..	..	८२	
१०—बधिया किये गये बैलों की संख्या ..	..	..	२,३३८	
११—पशु जिनके टीका लगाया गया ..	..	..	४५,८६४	
१२—पशु जिनका इलाज किया गया	..	..	४,२६८	
१३—अच्छी नस्ल की चिड़ियां बांटी गईं	..	..	१५७	
१४—कोआपरेटिव सोसाइटियां जिनका संगठन किया गया		..	१०२	
१५—कोआपरेटिव सोसाइटियों के बनने वाले मेम्बरों की संख्या		..	२,५४७	
१६—पानी पीने के कुएं जो बनाए गए	..	..	६७	
१७—पानी पीने के कुएं जिनकी मरम्मत की गई	..	..	११८	
१८—पक्की नालियां बनाई गईं ..	..	..	८६६	गज
१९—सोकेज पिट्स जो बनाए गए ..	..	..	६८२	
२०—वह लोग जिनके टीके लगाए गए..	..	..	११,७८२	
२१—पाखानों की संख्या जो बनाए गए	..	..	९७६	
२२—बिना धुएं के चूल्हे जो बनाए गए	..	..	९	
२३—खुलने वाले नए स्कूलों की संख्या	..	..	३	
२४—सामुदायिक केन्द्रों की संख्या ..	..	..	४४	
२५—खुलने वाले पुस्तकालयों की संख्या	..	..	२१	
२६—बालिगों के लिये खुलने वाले शिक्षा केन्द्रों की संख्या		..	४१	
२७—वह बालिग जिनको शिक्षित किया गया	..	..	९३८	
२८—कच्ची सड़कें बनायी गईं ..	..	..	४८	मील
२९—कच्ची सड़कें जिनकी मरम्मत की गई	..	..	१०	,,

विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९२ पर)

टेस्ट वर्क के लिये स्वीकृत धनराशि का विवरण

	रु०
१—बस्ती	६,००,०००
२—आजमगढ़	४,४०,०००
३—देवरिया	५,४५,०००
४—गोरखपुर	१,३०,०००
५—बलिया	१२,५००
६—फैजाबाद	६०,०००
७—बहराइच	५०,०००
८—इलाहाबाद	१,००,०००
९—गाजीपुर	१,००,०००
१०—मिर्जापुर	२५,०००
योगफल ..	२०,६२,५००

संसद पुस्तकालय सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९३ पर)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में विभिन्न मदों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता का विवरण

विकास की मद	ऋण	अनुदान	योग (लाख रुपयों में)
१—कृषि-कार्यक्रम ..	६३४.१५	३९.४३	६७३.५८
२—राष्ट्रीय प्रसार एवं सामुदायिक योजनाएं ..	७२.१६	..	७२.१६
३—सिंचाई तथा बिजली योजनाएं	२९०.००	..	२९०.००
४—उद्योग	६९.८३	८.२६	७८.०९
५—यातायात तथा परिवहन ..	..	..	..
६—समाज-सेवाएं ..	२५४.१३	१६०.२३	४१४.३६
७—विविध ..	..	२.१५	२.१५
८—विविध विकास कार्यों के लिये धन (Miscellaneous Development Fund)	३५०.००	..	३५०.००
कुल योग ..	१६७०.२७	२१०.०७	१८८०.३४

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९३पर)

विकास क्षेत्र, हसायन, जिला अलीगढ़ (जो २६-१-१९५५ को खुला तथा जुलाई, १९५६ में सधन विकास खंड बना दिया गया) में पुस्तकालयों, वाचनालयों का विवरण

ग्राम का नाम	पुस्तकालयों, वाचनालयों की संख्या	पुस्तकों की संख्या	समाचार पत्रों की की संख्या	रिमार्क
१--हसायन ..	१	१,१७४	१४	
२--मेकुरी ..	२	४८५	१५	एक पुस्तकालय चल (mobile) है।
३--बाढ़ी ..	१	५०	४	
४--बांड ..	१	५०	..	
५--महासिंहपुर	१	२८६	९	
६--जिरोलीकलां	१	३५६	१	
७--खेडियाकला	१	१५०	..	
८--मोरा	१	३५	४	चल-पुस्तकालय
९--सिकतरा ..	१	३५	४	,, ,,
१०--इटनी ..	१	३५	४	,, ,,
योग ..	११	२,६५६	५४	

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ज'

सूची १

(देखिए तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९४ पर)

सूची उन व्यक्तियों की जिन के मकान तथा खलिहान में आग सन् १९५७ ई० में लगी तहसील बिसौली जिला, बदायूं

क्रम-संख्या	सूचना मिलने की तिथि	घटना की तिथि	नाम ग्राम	नाम व्यक्ति	तादाद व्यक्ति	तफसील सहायता	सहायता की तिथि	विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	१८-४-५७	१५-४-५७	टिकोरी	(१) नन्हे, (२) सालिक, (३) थम्मन (४) एकराम, (५) टीकाराम, (६) मोहकम, (७) रते, (८) गमल, (९) रते, (१०) रूपी, (११) नेमी, (१२) डोरी, (१३) जीवन, (१४) मुन्ना, (१५) पोइपी, (१६) डाल चन्द, (१७) सेवी, (१८) रामस्वरूप, (१९) शंकर, (२०) मेवाराम, (२१) भीकम, (२२) अच्छन खां, (२३) तुलाराम, (२४) चेतराम, (२५) रोशन, (२६) अंगद, (२७) बुद्धा खां, (२८) फौजदार, (२९) दलावर, (३०) उमराव, (३१) रते (३२) मलखान, (३३) गमल, (३४) चतुरी, (३५) रोइने, (३६) रोशन, (२७) छछ्मी, (३८) देवी, (३९) मोहन (४०) गंगाराम, (४१) हन्सू, (४२) शंकर, (४३) शेर खां, (४४) बद्री, (४५) भूपाल, (४६) खेमकरन, (४७) गोमिद, (४८) टीकाराम, (४९) गरीब शाह।	४९	इमदाद रु० १०० ६८० १२० तकावी ३८३०	१६-४-५७ १४-५-५७ १५-५-५७ ६-६-५७	घटना के अगले दिन से ही सहायता दी जानी प्रारम्भ कर दी गई।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची २

सूची उन व्यक्तियों की जिनके १९५७ में खलिहान आग से जल गए

क्रम-संख्या	सूचना की तिथि	घटना की तिथि	नाम ग्राम	नाम व्यक्ति	तादाद व्यक्ति	सहायता की तफसील	सहायता की तिथि	विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९
						तकावी रु०		घटना के कितने दिन बाद सहायता दी गई
१	१५-४-५७	१३-४-५७	जसरतपुर	(१) चुन्नी	१	..	..	..
२	२०-४-५७	१७-४-५७	पीपरी रफ-नानपुर	(१) मुंशी, (२) प्रेमसिंह, (३) खेमकरन, (४) तारू, (५) दीप, (६) हेतराम, (७) नन्हू, (८) दौली।	८	८३०	१८-६-५७	२ माह १ दिन
३	२०-४-५७	१९-४-५७	मदन गुडी	(१) छंगे	१	..	..	..
४	२३-४-५७	२१-४-५७	धिमरपुरा	(१) गजराज सिंह, (२) मेघ सिंह, (३) रामपाल, (४) सरदार सिंह ..	४	३००	१८-६-५७	१ माह २८ दिन
५	३०-४-५७	२६-४-५७	मियांपुर पिपौरा	(१) सूरजपाल सिंह, (२) छिद्दू, (३) टोकम सिंह ..	३	..	..	..
६	३०-४-५७	२७-४-५७	कटागांव	(१) विलयान, (२) झम्मन, (३) लटूरी	३	..	..	..
७	६-५-५७	४-५-५७	सीकरी	(१) चरना, (२) सुम्मेरी, (३) महेन्द्र, (४) गंगाराम ..	४	इमदाद २०	२९-६-५७	२५ दिन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची ३

सूची उन व्यक्तियों की जिन के मकान १९५७ ई० में आग लगी, तहसील बिसौली, जिला बदायूं

क्रम-संख्या	सूचना मिलने की तिथि	घटना की तिथि	नाम ग्राम	नाम व्यक्ति	तादाद व्यक्ति	तफसील सहायता	सहायता की तिथि	विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	७-१२-५७	५-२-५७	बावेपुर ..	(१) जोगराज (२) हेतसिंह, (३) रामसिंह ..	३	..	..	..
२	७-२-५७	५-२-५७	सिरसावा	(१) बाबू, (२) हीरे, (३) नत्थू, (४) विशुना, (५) बहोरी, (६) चूरी, (७) आलिया, (८) धर्मसिंह	८	..	..	..
३	१४-३-५७	२७-२-५७	बिसौली	(१) अल्लादीन, (२) रमजानी, (३) कल्लू, (४) श्रीमती रम्पो	४	..	..	..
४	२६-३-५७	२५-३-५७	अड्डूपुरा ..	(१) तारा, (२) बहोरी ..	२	..	..	..
५	१९-४-५७	१६-४-५७	अगथरा ..	(१) आसिक हुसेन, (२) हमीद, (३) फिदा हुसेन, (४) लियाकत, (५) मोहम्मद, (६) मेदानशाह, (७) [illegible], (८) मोहम्मद, (९) फकीर मुहम्मद, (१०) मुसम्मात रज्जो, (११) अम्मी खां, (१२) छोटे, (१३) मुसम्मात निम्मी	१३	इमदाद १८५	२९-५-५७	घटना के १ माह २३ दिन बाद सहायता दी गई।
६	२३-४-५७	२१-४-५७	सीकरी ..	(१) तोती	१	..	..	..
७	२३-५-५७	२७-४-५७	जरेडा ..	(१) प्यारेलाल, (२) चम्पत ..	२	..	..	..
८	३०-४-५७	२७-४-५७	उरैना ..	(१) नयाम तुल्ला, (२) हेमराज ..	२	..	..	..
९	७-५-५७	६-५-५७	सहानपुर..	(१) बल्देव	१	..	..	..
१०	३१-५-५७	२९-५-५७	उल्ला ..	(१) भूपाल, (२) सोनी, (३) देवी, (४) गनेशी, (५) गिरन्द,				

अनुभव सभा

				(६) सीदान, (७) लेखराज, (८) झम्मन, (९) लेखराज, (१०) कन्ही, (११) ऊदल, (१२) रामचरन, (१३) परखोती, (१४) मानसिंह, (१५) कोमिल, (१६) नरायन (१७) लोकी, (१८) भग्गू, (१९) रामप्रसाद, (२०) काशीराम, (२१) रामसरूप, (२२) करनसिंह, (२३) गनपत, (२४) वल्ली, (२५) छछमी, (२६) शंकर, (२७) रामलाल, (२८) मलखान, (२९) रामस्वरूप, (३०) जागन, (३१) सुखलाल, (३२) बलवन्त ..	३२	तकावी ८१०	१८-९-५७	घटना के ३ माह २० दिन बाद सहायता दी गई।
११	४-६-५७	२-६-५७	जाफरपुर वस्तपुर	(१) तोती	१	..	..		
१२	१३-६-५७	१७-६-५७	शेखूपुरा ..	(१) छन्नू, (२) डम्बर, (३) वसन्ती (४) गोमिद, (५) भूपाल, (६) चम्पत	६	..	..	..	
१३	१४-६-५७	१७-६-५७	विसौली ..	(१) अली मोहम्मद खां, ..	१	..	..	..	
१४	१६-६-५७	२८-५-५७	गधरोली..	(१) तुर्सी, (२) मुंशी, (३) नेकसू, (४) लाखन	४	..	..	..	
१५	२०-६-५७	१८-६-५७	नगला बारत	(१) पर्वतसिंह, (२) झंडूसिंह, (३) उमराव	३	..	..	..	
१६	२०-६-५७	१९-६-५७	विसौली ..	(१) सूबेदार सिंह, ..	१	..	..	..	
१७	२१-६-५७	१६-६-५७	मिदारी ..	(१) मिश्री, (२) मथुरी ..	२	..	..	..	
१८	१६-७-५७	१६-७-५७	लक्ष्मीपुर..	(१) छोटे खां	१	..	..	..	
१९	२६-९-५७	२५-९-५७	मुसिया नगला	(१) चुन्नी	१	..	..	..	
२०	१६-१०-५७	१४-१०-५७	रोरा ..	(१) जागन	१	..	..	..	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९९ पर)

सूची

		माल							फौजदारी		
तहसीलों के नाम	दिनांक	कागजात दुरुस्ती के मामले	दाखिल खारिज के मामले	इजराय के मामले	जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था नियमावली के नियम ११५ डी के अन्तर्गत मामले	यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट के अन्तर्गत मामले	विविध मामले	कुल जोड़	इंडियन पैनल कोड के अन्तर्गत मामले	विविध अधिनियमों के के अन्तर्गत मामले	कुल जोड़
सदर ..	२८-२-५७	४९०	७७१	९	..	५	८	१,२८३	४४	८	५२
	३१-७-५७	६५०	२९९	१३	५९४	१	१५	१,५२७	१०५	६९	१७४
कुन्डा ..	२८-२-५७	२५४	९००	३३	..	९८ (स्थगित)	..	१,२८५	२४	२३	४७
	३१-७-५७	२१३	९६९	२५	..	१०३ (९८ स्थगित)	..	१,३१०	१०	१५	२५
पट्टी ..	२८-२-५७	५६९	१,०७६	२५	२८१	..	१	१९५२	६८	३३	१०१
	३१-७-५७	१,१४७	७६०	७	२६४	..	२	२,१८०	५०	४	५४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०५ पर)

प्रश्न संख्या ६ का उत्तर

असिस्टेंट जनरल मैनेजर, इटावा द्वारा सरकारी पिकअप पर जनवरी, १९५५ से जून, १९५७ तक किये गये माइलेज का विवरण:

माह	१९५५	१९५६	१९५७
	मील	मील	मील
जनवरी	१०८९	१,९५४	२,६५५
फरवरी	१,१७०	२,०८६	२,४२९
मार्च	१,८०९	१,८९१	२,३४५
अप्रैल	१,६१५	१,६३२	३,०६५
मई	२,३०२	२,५६४	३,०९१
जून	२,१८७	१,९२८	३,०१७
जुलाई	२,०९७	२,५९७	..
अगस्त	२,३३१	२,४८७	..
सितम्बर	२,४०२	१,८७७	..
अक्तबर	१,५२२	२,७३९	..
नवम्बर	१,७३१	२,४९७	..
दिसम्बर	२,४३३	३,५४३	..

पी० एस० यू० पी० ए० पी० --२९१ एल० ए०--१९५८--८१० ।